दश माला, खंड 14, अंक 10

मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2005
15 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

G... & ... Unit
Par... ...ding
...
Acc. No. 59
Dated 4 Jan 2007

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 10, मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2005/15 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 201	4-41
अतारांकित प्रश्न संख्या 1881 से 2069	41-278
सभा पटल पर रखे गए पत्र	282-291
वित्तीय समितियां (2004-2005)—एक समीक्षा	292
प्राक्कलन समिति	
विवरण	292-293
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	293
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
सातवां और आठवां प्रतिवेदन	293
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सड़सठवां प्रतिवेदन	293
सभा का कार्य	347-294
कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005	295
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में विवरण	
श्री पी. चिदम्बरम	348
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बाल कल्याण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	296
(दो) बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों के बैकलॉग को पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	296

विषय कॉलम

(तीन) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. में समूह "क" के अधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

डा. तुषार अमरसिंह चौधरी. 297

(चार) असम के करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कटखल प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर मार्ग परिवर्तन संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य. 297

(पांच) रक्षा कार्मिकों के लिए "एक पद, एक पेंशन" योजना लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 298

(छह) उत्तरांचल के चमोली जिले में जोशीमठ-मलारी के रास्ते से होकर मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए एक नया मार्ग खोले जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी 298

(सात) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन और मोबाइल फोन कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 299

(आठ) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. का टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु देव साय. 299

(नौ) मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खंडेलवाल 300

(दस) देश में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री किशन सिंह सांगवान 300

(ग्यारह) देश में एंडोसल्फन कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन. 301

(बारह) श्रम सहकारिताओं के संबंध में "राष्ट्रीय सलाहकार परिषद" की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी 301

विषय कॉलम

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल फोन सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 302

(चौदह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राठनगर में एक स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 302

(पन्द्रह) बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा 303

(सोलह) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लघु उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा 303

(सत्रह) तमिलनाडु में माऊंट पूरामाल्ली को रेनीगुंटा से पेरियापल्यम को इग्मोर पोर्ट से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के प्रस्तावित कार्य की व्यवस्था करने और उसमें तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी 304

(अठारह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर चार गांवों के लोगों के पुनर्वास कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 304

(उन्नीस) चिदंबरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधि की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी 304

(बीस) नागा समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारेनामै 305

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य 306-307

विषय	कॉलम
राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	308
श्री माणिकराव होडल्या गावित	309
खंड 2 और 1	309
पारित करने के लिए प्रस्ताव	309-310
भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) विधेयक, 2004	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	308
श्री माणिकराव होडल्या गावित	309
खंड 2 और 1	309
पारित करने के लिए प्रस्ताव	309-310
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	311-312
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	312-318
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	319-320
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	319-320

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2005/15 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सर, आज 6 दिसम्बर है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय आज काला दिन है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आप सबसे बैठ जाने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, ये सारे अपराधी हैं। * इन्होंने देश को कलंकित किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बैठ जाएं, तभी आप दूसरे लोगों को बैठने को कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बैठने का अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : सर, आज 6 दिसम्बर है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सर, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? श्री रामदास आठवले, मैं आप पर कार्रवाई कर सकता हूं। आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं? आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवहार निन्दनीय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उस पर आपको शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सभी वर्गों से अपील कर रहा हूं। क्या आपको इस सभा का सदस्य होने पर गर्व है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको गर्व नहीं है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री सुरेश चन्देल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट खड़े हो गये)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को एक-एक कर बुलाऊंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

---

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए न।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आप लोग क्या रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग चुप कीजिए न, यह सही नहीं नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक बार चुप हो जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर जाकर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आपको शोभा नहीं देता है, आपको हम बहन के माफिक देखते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये, एक दफा शान्त हो जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनने को ही तैयार नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आपकी बात रखने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलकर इनको बिठाइये। यह क्या बात हुई?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि भारतीय संसद के लिए यह एक और शर्मनाक दिन है। मैं आशा करता हूं कि इस देश की जनता यह समझे कि उन्हें समुपयुक्त उपाय करने चाहिए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पुलों/उपरि पुलों का निर्माण

***182. श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने कई पुलों/उपरि पुलों की मियाद पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनका फिर से निर्माण करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाये जाने वाले नए पुलों/उपरि पुलों के संबंध में राज्यवार ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी पुलों/उपरि पुलों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन पुलों/उपरि पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विलंब से बचने तथा लक्ष्यों के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) किसी पुल अथवा उपरि पुल की मियाद संरचना, प्रयुक्त सामग्री, पर्यावरण, अनुरक्षण स्तर आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है इसलिए पुलों अथवा उपरि पुलों की कोई परिभाषित निश्चित मियाद नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ड) वर्ष 2004-05, 2005-06 के दौरान और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों/उपरि पुलों के निर्माण के राज्य-वार ब्योर क्रमशः विवरण-I, II और III पर दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी, हां। स्वीकृत पुलों/उपरि पुल कार्यों पर मंत्रालय के स्तर और एन.एच.ए. आई/राज्य लोक निर्माण विभाग दोनों के स्तर पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है और जहां तक संभव होता है विलंब से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है सिवाए ऐसे विलंब के जो ठेका संबंधी/श्रमिक/कार्य स्थल संबंधी/तकनीकी समस्याओं के कारण अपरिहार्य है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत पुलों/उपरि पुलों की संख्या			पूरे किए गए पुलों/उपरि पुलों की संख्या	निर्माणाधीन पुलों/उपरि पुलों की संख्या	शुरू किए जाने वाले पुलों/उपरि पुलों की संख्या	कार्य शुरू न होने के कारण
		मंत्रालय	बीआरओ	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	35	0	35	11	24	0	
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	2	0	2	0	
3.	असम	1	8	9	0	9	0	
4.	बिहार	4	0	4	0	2	2	निविदा स्तर पर
5.	छत्तीसगढ़	1	0	1	0	0	1	निविदा स्तर पर
6.	गुजरात	6	0	6	0	6	0	
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0	
8.	हरियाणा	1	0	1	1	0	0	
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0	1	0	
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	
12.	कर्नाटक	34	0	34	5	28	1	निविदा स्तर पर
13.	केरल	1	0	1	0	1	0	
14.	मध्य प्रदेश	3	0	3	0	2	1	कोर्ट के स्टे के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ
15.	महाराष्ट्र	15	0	15	0	15	0	
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	
17.	मेघालय	6	0	6	0	6	0	
18.	मिजोरम	1	0	1	0	0	1	निविदा स्तर पर
19.	नागालैंड	0	2	2	0	2	0	
20.	उड़ीसा	3	0	3	0	2	1	निविदा स्तर पर
21.	पंजाब	1	0	1	0	1	0	
22.	राजस्थान	1	1	2	0	1	1	निविदा स्तर पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	
24.	तमिलनाडु	25	0	25	0	19	6	निविदा स्तर पर
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	
26.	उत्तरांचल	0	3	3	0	3	0	
27.	उत्तर प्रदेश	3	0	3	0	3	0	
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	
31.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	
	जोड़	142	16	158	17	127	14	

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत पुलों/उपरि पुलों की संख्या			पूरे किए गए पुलों/उपरि पुलों की संख्या	निर्माणाधीन पुलों/उपरि पुलों की संख्या	शुरू किए जाने वाले पुलों/उपरि पुलों की संख्या	कार्य शुरू न होने के कारण
		मंत्रालय	बीआरओ	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	1	0	0	1	निविदा स्तर पर
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	1	निविदा स्तर पर
3.	असम	0	2	2	0	0	2	निविदा स्तर पर
4.	बिहार	5	0	5	0	0	5	निविदा स्तर पर
5.	छत्तीसगढ़	1	0	1	0	1	0	
6.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0	
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	
12.	कर्नाटक	2	0	2	0	0	2	निविदा स्तर पर
13.	केरल	1	0	1	0	0	1	निविदा स्तर पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मध्य प्रदेश	1	0	1	0	0	1	निविदा स्तर पर
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	
18.	मिजोरम	1	0	1	0	0	1	निविदा स्तर पर
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	
25.	त्रिपुरा	0	2	2	0	0	2	
26.	उत्तरांचल	3	0	3	0	1	2	निविदा स्तर पर
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	निविदा स्तर पर
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	
31.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	
	जोड़	15	5	20	0	2	18	

विवरण-III

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05 में विभिन्न पैकेजों में स्वीकृत/सौंप गए पुलों की संख्या	2005-06 में विभिन्न पैकेजों में स्वीकृत/सौंपे गए पुलों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	19	197
2.	आंध्र प्रदेश	0	54
3.	बिहार	0	183
4.	छत्तीसगढ़	10	0
5.	हरियाणा	0	10
6.	गुजरात	214	0
7.	जम्मू और कश्मीर	0	88
8.	कर्नाटक	0	5
9.	केरल	0	14
10.	मध्य प्रदेश	7	71
11.	महाराष्ट्र	72	96
12.	पंजाब	0	86
13.	राजस्थान	26	164

1	2	3	4
14.	तमिलनाडु	0	339
15.	उत्तर प्रदेश	66	104
16.	दिल्ली	0	7
	जोड़	414	1418

नोट: सभी पुलों को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना

***183. श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
डा. के.एस. मनोज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में और अधिक आई.आई.टी. की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने राज्य में आई.आई.टी. की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की संख्या वर्तमान सभी सातों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की दाखिला क्षमता से बहुत अधिक है क्योंकि इन संस्थानों में 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' के माध्यम से वरीयता के आधार पर दाखिले दिए जाते हैं। इस समय देश में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अधिकारिक तौर पर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

लाटरी टिकटों पर प्रतिबन्ध

***184. श्री छत्तर सिंह दरबार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों ने लाटरियों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में लाटरी टिकटों की बिक्री और लाटरियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित प्रतिबन्ध के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकारों ने लाटरियां (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 के तहत अपने-अपने राज्यों के अंदर लाटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर स्थिति

***185. श्री आलोक कुमार मेहता :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की आवधिक जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कई राष्ट्रीय राजमार्गों के बड़े-बड़े हिस्से विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर, जर्जर स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनकी समय-समय पर मरम्मत न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) इन राजमार्गों की शीघ्र मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) मानसून से पूर्व और मानसून के पश्चात् निरीक्षणों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है तथा उनकी स्थिति और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उनकी मरम्मत और अनुरक्षण कार्य किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ लंबे खंड जर्जर स्थिति में पाए गए हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 यातायात योग्य स्थिति में है।

(घ) जर्जर खंडों में निम्नलिखित दोष हैं :-

(i) नौवीं और दसवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्यीय सड़कों के खंडों में अपर्याप्त चौड़ाई, मार्ग की अपर्याप्त मोटाई, घटिया ज्यामिति, कमजोर, संकरे और क्षतिग्रस्त पुल/पुलिया आदि जैसे अंतर्निहित दोष।

(ii) रटिंग, दरार पड़ना, गड्ढे, सड़क का उधड़ना आदि।

(iii) कटे बर्म/तटबंध आदि।

इन राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य बनाने के लिए इन पर तत्काल मरम्मत कार्य किए जाते हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) बारिश, बाढ़, यातायात के आवागमन आदि से टूट-फूट से क्षतिग्रस्त राजमार्गों की मरम्मत के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रारंभिक दोषों और क्षतियों के आकलन के आधार पर स्थायी निवारक उपाय किए जाते हैं।

अयोध्या पर आतंकवादी हमला

***186. योगी आदित्यनाथ :**
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2005 में अयोध्या में राम जन्म भूमि पर हुए आतंकवादी हमले की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार देश में धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण ठिकानों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसे स्थानों विशेषकर अयोध्या परिसर को उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर पर आतंकवादी हमले के संदर्भ में राम जन्म भूमि पुलिस स्टेशन, अयोध्या, फैजाबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 353, 153, 153क, 153ख, 295, 120ख, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 तथा लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध सं. 157/05 में दिनांक 5.7.2005 को राज्य पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। अभी तक इस मामले में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पांच अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 15.10.2005 को आरोप पत्र सं. 12/2005 दायर किया गया है। जांच पड़ताल चल रही है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा धार्मिक स्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा सहित सुरक्षा व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर पर आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में चार परिसरों नामतः अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा स्थित कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद तथा आगरा स्थित ताज महल की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने हेतु संशोधित सुरक्षा स्कीमें तैयार की हैं। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को संशोधित सुरक्षा स्कीमों में बताए अनुसार निर्माण और उपकरणों की लागत को पूरा करने हेतु सहायता प्रदान करेगी। जहां तक अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर का संबंध है, अयोध्या स्थित अधिग्रहित सम्पत्ति के संरक्षण और रख-रखाव संबंधी स्कीम के अंतर्गत निर्माण और उपकरण पर व्यय को पूरा करने के लिए 7.32 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, भारत सरकार, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत अधिग्रहित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है। वाराणसी, मथुरा और आगरा स्थित अन्य तीन परिसरों के संबंध में निर्माण और उपकरण की लागत जो कि 12.59 करोड़ रुपए बनती है, को 75% और 25% के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बांटा जाएगा तथा इसे पुलिस के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत वित्त पोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार स्कीमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुरक्षा कार्मिक उपलब्ध करवाएगी तथा सभी चार परिसरों के संबंध में जन शक्ति पर व्यय को वहन करेगी।

(च) और (छ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा

***187. श्री उदय सिंह :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बनी योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'यूनेस्को' ने देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर हाल में मत व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) भारत सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) श्रीमन्, ऐसा कहना उचित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) यूनेस्को की ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट 2006 प्राथमिक शिक्षा में भारत के शुद्ध नामांकन अनुपात में वृद्धि दर्शाती है; यह अनुपात 2001 में 0.823 था जो बढ़कर 2002 में 0.937 हो गया। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत 2005 तक प्राथमिक शिक्षा में स्त्री-पुरूष समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

(ङ) सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(च) सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है।

समुद्री इंजीनियरिंग शिक्षा का विस्तार

***188. श्री समिक लाहिरी : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्री (मैरीटाइम) इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित उपलब्ध बुनियादी ढांचा आज की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने समुद्री वृत्तिकों की वर्तमान आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कितनी समुद्री इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी और संस्थाओं की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार कतिपय संस्थाओं, विशेषकर मैरीटाइम इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) समुद्री इंजीनियरिंग के लिए देश में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं संतोषजनक हैं। फिर भी, अपेक्षाकृत और अधिक भारतीय नाविकों का संवर्धन करने तथा अन्तर राष्ट्रीय बाज़ार में उनके लिए रोज़गार के और ज़्यादा अवसर क़ायम करने के लिहाज़ से भारत में समुद्री प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाकृत और अधिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं जुटाना वांछनीय होगा।

(ख) समुद्री पेशेवरों की आवश्यकता के बारे में सरकार द्वारा कोई विधिवत् आकलन नहीं किया गया है। फिर भी इस सिलसिले में बाल्टिक एण्ड इन्टर नेशनल काउंन्सिल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, विश्व भर में समुद्री इंजीनियरों सहित 46,000 अधिकारियों की कमी है। भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ ने भी सम्पूर्ण भारतीय बेड़े के 70% का प्रतिनिधित्व कर रहीं 05 प्रमुख भारतीय नौवहन-कंपनियों को समाहित करके, इस बारे में सर्वेक्षण कर लिया है, जिसके अनुसार उपर्युक्त कमी की स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	मास्टर	मुख्य इंजीनियर अधिकारी	मुख्य अधिकारी	द्वितीय इंजीनियर अधिकारी
उपलब्ध स्थान (स्लॉट्स)	140	154	141	153
अपेक्षित अधिकारियों की संख्या	263	287	265	285
सुलभ अधिकारियों की संख्या	218	191	178	182
अधिकारियों की संख्या	45	97	87	103

ऐसी स्थिति में, अन्तर्वेशन के ज़रिए, भारतीय उद्योग के संबंध में प्रबंधन के स्तर पर समग्र रूप से लगभग 500 अधिकारियों की कमी होगी। भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ द्वारा कई बैठकों में अधिकारियों की कमी से संबंधित यही आंकड़ा दर्शाया गया है।

(ग) समुद्री इंजीनियरी से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित कर रहे प्रशिक्षण-संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	संस्थानों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को स्वीकार करने (प्रविष्ठ करने) की वार्षिक क्षमता
1.	समुद्री इंजीनियरी का बैचलर ऑव इन्जीनीयरिंग का चार वर्षीय पाठ्यक्रम	15	1154
2.	स्नातक यांत्रिक इंजीनियरों हेतु एक वर्षीय प्रशिक्षणार्थी समुद्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम	13	715
3.	डिलोमा-धारकों हेतु द्विवर्षीय प्रशिक्षणार्थी समुद्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम	5	145
4.	त्रिवर्षीय विकल्पी प्रशिक्षण-योजना-पाठ्यक्रम	3	92
	योग	36	2106

(घ) और (ङ) सरकार का सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र में समुद्री इंजीनियरी अनुसंधान-संस्थानों सहित कोई भी समुदी प्रशिक्षण-संस्थान क़ायम किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार, विशेष रूप से समुद्री इंजीनियरी के नए संस्थानों को स्थापित किए जाने के बारे में निजी क्षेत्र के प्रस्तावों पर अनुकूलतः विचार करती है, यदि वे निर्धारित मानकों का निर्वाह कर रहे हों (उन पर खरे उतर रहे हों)।

(च) और (छ) भारत में समुद्री प्रशिक्षण सुलभ करवाने की दृष्टि से संस्थानों के ढांचे (फ्रेमवर्क) में उपयुक्त बदलाव करने के क्रम में सरकार ने एक समिति (सोसायटी) अर्थात् भारतीय समुद्री अध्ययन-संस्थान को स्थापित कर दिया है और वह अपने द्वारा (सरकार द्वारा) संचालित चार समुद्री अध्ययन-संस्थाओं को इस समिति (सोसायटी) के अधिकार-क्षेत्र में ले आई है। यह भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की दिशा में पहला क़दम है। इस मंत्रालय ने एक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय गठित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच-पड़ताल करने हेतु एक विशेषज्ञ-समिति गठित की थी। उपर्युक्त समिति ने इस मंत्रालय के तत्वावधान में, संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय गठित किए जाने की सिफ़ारिश कर दी है। सरकार इन सिफ़ारिशों पर विचार कर रही है और इस सिलसिले में ब्योरे-वार योजना तैयार की जा रही है।

गैर-प्रशुल्क बाधाएं

*189. **श्री निखिल कुमार :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे देश कौन-कौन से हैं जिनके साथ सरकार ने व्यापार प्रशुल्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रशुल्क में कितनी कटौती किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या द्विपक्षीय व्यापार में प्रमुख बाधा के रूप में सरकार द्वारा गैर-प्रशुल्क बाधाओं की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए मुक्त व्यापार करार अथवा कार्यढांचा करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार (i) श्रीलंका, (ii) सार्क देश, (iii) थाईलैंड, (iv) बिमस्टेक, (v) आसियान और (vi) जीसीसी के साथ किए गए हैं। भारत ने (i) मर्कोसुर, (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे) (ii) जीएसटीपी (वैश्विक व्यापार अधिमानी प्रणाली) के साथ पीटीएएस अर्थात अधिमानी व्यापार करार (iii) बैंकाक करार और (iv) अफगानिस्तान के साथ करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ दो दीर्घकालिक व्यापार संधियां भी की हुई हैं।

इन करारों के अधीन टैरिफ कटौतियां अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग हैं जो 0-100% तक हैं। प्रत्येक करार के अंतर्गत सामान्य तौर पर एक नकारात्मक सूची होती है जिन पर कोई टैरिफ कटौती नहीं की जाती है और जहां टैरिफ किसी सहमत समय अवधि में किए जाने हैं, वहां एक चरणबद्ध टैरिफ कटौती कार्यक्रम होता है और इसके साथ-साथ उन उत्पादों की एक सूची होती है जिन पर करार लागू होने के तुरंत बाद टैरिफ कटौतियां लागू हो जाती हैं।

(ख) से (ङ) गैर-टैरिफ बाधाएं (एनटीबीएस) प्रायः द्विपक्षीय व्यापार में एक रूकावट होती हैं। एनटीबीएस अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग होते हैं। एनटीबीएस में सीमाशुल्क और प्रशासनिक अपेक्षाएं स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, तकनीकी विनियम और मानक, व्यापार सुरक्षा उपाय, आयात प्रभार और विभिन्न सरकारों द्वारा सहन की जा रही प्रतिबंधक प्रथाएं शामिल होती हैं। गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उनके

शीघ्र और परस्पर संतोषजनक समाधान की दृष्टि से संबंधित देशों के प्राधिकरणों के साथ विधिवत उठाया जाता है।

[हिन्दी]

चाय की गुणवत्ता

***190. श्री हरिभाऊ राठौड़ :**
श्री हितेन बर्मन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष कोष की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चाय के निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारतीय चाय की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या चाय, विशेषकर दक्षिण भारत में पैदा होने वाली चाय, की गुणवत्ता में गिरावट आई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा चाय की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान चाय पर वसूले गए एक रु. प्रति कि.ग्रा. के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एक विशेष निधि का सृजन किया गया है। इस विशेष निधि से वित्तपोषित किए जाने के लिए सरकार ने 93 करोड़ रु. के अनुमानित परिव्यय से दो स्कीमों अर्थात् परंपरागत चाय के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन तथा चाय क्षेत्र के दो अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता की मंजूरी भी दी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मूल्य (मिलियन अम. डॉ.)
2002-03	184.40	1665.04	344.05
2003-04	183.07	1636.99	363.78
2004-05	205.82	1924.71	429.10

(घ) किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) चाय की गुणवत्ता तोड़ी गई एवं आपूर्ति की गई हरी चाय पत्तियों तथा कारखानों द्वारा अपनायी गई विनिर्माण पद्धतियों पर निर्भर करती है। यह बात जानकारी में आई है कि खासकर दक्षिण भारत में चाय की गुणवत्ता पत्तियां तोड़ने के मानकों में ढिलाई बरतने तथा कुछेक कारखानों द्वारा अपनाई गई खराब विनिर्माण पद्धतियों के कारण प्रभावित हुई है। गुणवत्ता के मुद्दे के समाधान के लिए चाय बोर्ड ने नीलगिरी में जुलाई, 2005 में गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था तथा यह कार्यक्रम अभी जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए उपजकर्ताओं को पत्ती तोड़ने सम्बन्धी अच्छे मानकों तथा कारखाना मालिकों को विनिर्माण की अच्छी पद्धतियों को अपनाने की जरूरत के सम्बन्ध में शिक्षित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए ग्राम स्तर पर 2500 से अधिक अभियानों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कारखाना स्तर पर अनेक प्रयोग-सह-प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। विभिन्न सेमीनारों को आयोजित करने के अलावा प्रचार के नवीन उपायों को शुरू किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, चाय बोर्ड ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को लागू रखने के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए हैं जिनमें उन कारखानों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है जो घटिया चाय का उत्पादन करते हुए पाए गए हैं।

भारतीय चाय की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसकी ब्रांड इक्विटी को बनाए रखने के प्रयास में सरकार ने चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 1.4.2005 को चाय अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अंतर्गत एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 जारी किया है। नए आदेश में चाय के लिए कड़े मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा आयातित अथवा निर्यातित सभी प्रकार की चाय को नए आदेश में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुरूप होना जरूरी होगा।

[अनुवाद]

छात्रों को मध्याह्न भोजन

***191. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए राज्य सरकारों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और कितने खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति का आवधिक आकलन हेतु कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना का हाल में कोई आकलन किया गया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जारी निधियों और आवंटित खाद्यान्न का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस योजना के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर गठित की जाने वाली परिचालन-सह-मानीटरन समितियों के माध्यम से कार्यक्रम के मानीटरन के प्रावधान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्र सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का भी प्रावधान है।

(घ) और (ड) चूंकि योजना के संशोधित दिशानिर्देश दिसम्बर 2004 में जारी हुए हैं, इसलिए इस योजना का कोई बाह्य मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न का वर्षवार आवंटन (लाख मीट्रिक टन में)			भोजन पकाने की लागत हेतु जारी निधियां# (रु. करोड़ में)
		2002-03	2003-04	2004-05	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.24	1.78	2.13	76.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.05	0.04	2.77
3.	असम	0.93	0.96	1.02	23.11
4.	बिहार	2.43	2.45	1.96	70.82
5.	छत्तीसगढ़	0.75	0.57	0.57	39.74
6.	गोवा	0.02	0.01	0.01	0.60
7.	गुजरात	0.65	0.60	0.60	48.04
8.	हरियाणा	0.46	0.46	0.46	21.74
9.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.18	0.18	8.45
10.	जम्मू और कश्मीर	0.25	0.22	0.25	2.47
11.	झारखंड	0.52	0.52	0.83	16.20
12.	कर्नाटक	1.54	1.46	1.18	65.90
13.	केरल	0.47	0.43	0.42	24.53
14.	मध्य प्रदेश	2.12	1.66	1.60	132.59
15.	महाराष्ट्र	2.98	2.24	2.22	139.95
16.	मणिपुर	0.09	0.09	0.09	2.19
17.	मेघालय	0.13	0.10	0.10	5.44
18.	मिजोरम	0.03	0.02	0.02	0.64
19.	नागालैंड	0.05	0.05	0.03	2.46
20.	उड़ीसा	1.24	1.23	1.35	73.56
21.	पंजाब	0.49	0.45	0.43	7.46
22.	राजस्थान	1.58	1.69	1.69	131.51
23.	सिक्किम	0.02	0.02	0.02	0.65
24.	तमिलनाडु	1.08	1.11	0.86	58.19
25.	त्रिपुरा	0.14	0.09	0.09	7.02
26.	उत्तरांचल	0.25	0.16	0.16	12.34
27.	उत्तर प्रदेश	4.46	4.91	5.10	170.67
28.	पश्चिम बंगाल	3.00	3.06	3.03	69.93
	कुल	28.13	26.58	26.44	1215.00
	अर्थात	28 लाख मीट्रिक टन	27 लाख मीट्रिक टन	26 लाख मीट्रिक टन	1215 करोड़

#1.9.2004 से कार्यान्वित की जा रही संशोधित मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन पकाने की लागत हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता जारी की गई।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

***192. श्री अनिरूद्ध प्रसाद ऊर्फ साधु यादव :**
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से निजी व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के निजी क्षेत्र के इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर प्रबंधन को संपूर्ण नियंत्रण प्रदान करने संबंधी निर्णय के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार निजी व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु आरक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक विस्तृत विधान लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के दाखिले के संबंध में सामाजिक न्याय से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों सहित इस मामले से संबंधित सभी लोगों से परामर्श कर एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

***193. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शुरू करते समय इससे संबंधित कार्य को पूरा करने हेतु कोई तिथि निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए आबंटित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना की लागत बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मूल परियोजना में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और परियोजना कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस परियोजना को मूलतः दिसंबर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 1999 के मूल्यों पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की मूल अनुमानित लागत 25055 करोड़ रु. (निर्माण के दौरान ब्याज और मूल्य वृद्धि को छोड़कर) थी। 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर 23,303.59 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है। सभी परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् ही अंतिम लागत के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तथापि, अनुमान है कि सामान्य मुद्रा स्फीति की संभावना के बावजूद इस परियोजना के वास्तविक व्यय और अनुमानित लागत में अधिक अंतर नहीं होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) अनुमान है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना काफी हद तक जून, 2006 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के अंतर्गत योजनाएं

***194. श्री महावीर भगोरा :**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के माध्यम से राज्य-वार कुल कितने लोग लाभान्वित हुए;

(घ) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा उसके अंतर्गत चल रही योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक योजना की समीक्षा का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना की उपलब्धियां क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.टी.डी.सी.) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पात्र अनुसूचित जनजातियों की सहायता करने के लिए आय पैदा करने वाले कार्यकलापों और विपणन समर्थन कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निगम पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान इन कार्यकलापों के अन्तर्गत राज्यवार कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) और (ङ) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. सहायता प्राप्त स्कीमों के कार्यान्वयन की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती, जो इस प्रकार है :-

(1) सहायता प्राप्त लाभार्थियों और निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे सहित प्रगति/उपयोगिता रिपोर्टों की निगम के

विभागीय/डेस्क स्तर पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सामान्यतः भाग लेने वाले क्षेत्रीय अधिकारी भी स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं।

(2) प्रगति रिपोर्ट, जिसमें जारी की गई स्वीकृतियों/किए गए संवितरणों और अतिदेयों की स्थिति के ब्यौरे निहित होते हैं समीक्षा और विचारार्थ निगम के बोर्ड की बैठक के समक्ष रखी जाती हैं।

(3) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के कार्य-निष्पादन सहित जनजातीय कार्य मंत्रालय की तिमाही/अर्ध-वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें योजना आयोग में की जाती हैं। निगम मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।

(4) आवधिक समीक्षाओं के परिणामस्वरूप एन.एस.टी.एफ.डी.सी. कुल 325.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति करने में समर्थ रहा है और 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार इसने 169.62 करोड़ रुपए की राशि की निधियों के संवितरण भी किए।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा वितरित राशि और लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार/योजनावार ब्यौरा

(क) आयसृजक कार्यकलाप

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	540.32	1447	206.64	1585	1181.71	2974
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.10	1	-	-	-	-
3.	असम	20.47	24	-	-	-	-
4.	छत्तीसगढ़	296.74	84	-	-	734.07	170
5.	गुजरात	84.00	70	477.02	664	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश	10.64	3	32.65	11	31.96	9
7.	जम्मू व कश्मीर	65.25	15	-	-	74.33	26
8.	झारखंड	586.78	267	123.20	226	601.91	343
9.	केरल	-	-	38.42	56	17.13	33
10.	कर्नाटक	244.54	456	1.35	1	202.90	801
11.	लक्षद्वीप	7.33	6	8.65	7	-	-
12.	मध्य प्रदेश	281.93	355	114.59	83	-	-
13.	महाराष्ट्र	149.75	575	-	-	436.83	927
14.	नागालैंड	137.77	84	216.49	132	244.09	56
15.	उड़ीसा	-	-	-	-	27.72	8
16.	राजस्थान	356.06	217	217.91	181	454.89	380

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	सिक्किम	145.00	50	219.04	289	166.00	40
18.	त्रिपुरा	69.68	96	236.15	259	-	-
19.	उत्तरांचल	115.17	53	-	-	11.20	8
20.	पश्चिम बंगाल	303.28	2070	380.40	3227	711.75	8080

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश राज्य में कॉफी रोपण स्कीम के लिए एस.सी.ए. को संवितरित की गई निधियां आनुपातिक रूप से तैयार कर ली गई हैं।

(ख) विपणन समर्थन कार्यकलापों के लिए वर्षवार कार्यशील पूंजी सहायता और लाभार्थियों की संख्या :

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	ट्राइफेड विपणन समर्थन कार्यकलापों के लिए	300.00	290430	800.00	585900	-	-
2.	गिरिजन सहकारी निगम लि. (जीसीसी), आंध्र प्रदेश	500.00	110000	500.00	110000	500.00	283000

(ग) वर्षवार अनुदान सहायता - प्रशिक्षण कार्यक्रम और लाभार्थियों की संख्या :

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	अनुदान सहायता (प्रशिक्षण कार्यक्रम)	1.21	40	2.65	25	1.84	25

[अनुवाद]

सड़कों का पुनर्निमार्ण

***195. डा. के. धनराजू :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा/चक्रवातों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के टूट कर बह जाने की समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारी वर्षा/चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का विचार इन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(ङ) क्या क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के पुनर्निर्माण हेतु विशेष निधि से धनराशि स्वीकृत करने के लिए सरकार के पास कोई अनुरोध लंबित पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और सुधार सामान्य बारिश/बाढ़ के अनुरूप आर-पार जल निकासी संरचना की डिजाइन, विनिर्देश और व्यवस्था पर आधारित होता है। तथापि, असाधारण बारिश/चक्रवात के दौरान पानी के ऊपर से बहने के कारण सड़क बह जाती है/टूट जाती है और इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। अप्रत्याशित बाढ़/चक्रवात के कारण राजमार्गों के टूटने/बह जाने की स्थिति में गड्ढों को भरने, बैली पुल लगाने तथा यातायात बहाल करने के लिए जहां भी आवश्यकता होती है डायवर्जन सड़कों का निर्माण जैसे मरम्मत कार्य तत्काल आधार पर किए जाते हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सड़कों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में लाने के लिए गड्ढों को भरना, पैच मरम्मत, तटबंधों की बहाली, आर-पार जल निकासी और संरक्षण दीवारों की मरम्मत, पुलों की मरम्मत तथा आवश्यकतानुसार डायवर्जन सड़क का निर्माण जैसे बहाली कार्य किए जाते हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए किए गए आबंटन में से बाढ़/बारिश से हुई क्षति की मरम्मत के लिए अलग धनराशि निर्धारित की जाती है जो धनराशि की उपलब्धता और क्षति की गंभीरता पर निर्भर करती है। चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि विभिन्न राज्यों को उनकी मांग और क्षति के आकलन के आधार पर पहले ही आबंटित की जा चुकी है। मरम्मत और अनुरक्षण की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में बजटगत समस्याएं हैं।

विवरण

सन् 2005 में भारी बारिश/बाढ़ के कारण हुई क्षति के ब्योरे

क्र. सं.	राज्य	रा.रा. संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षति की सीमा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205 214, 214ए, 219, 221, 222	बीटी सतह, पुलिया, विंग वाल, क्षतिग्रस्त हुए। कुछ स्थानों पर पहुंच मार्ग और सड़क हिस्से बह गए, संरक्षण कार्यों को क्षति हुई।
2.	अरूणाचल प्रदेश	153	अवतलन/भूस्खलन, लैंड स्लिप, सोल्डर कटाव, अनेक स्थानों पर पुलियों को क्षति हुई।
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 38, 39, 54, 61, 62, 152, 153, 154	साइड बर्म का कटाव, सड़क सतहों का विघटन, सबग्रेड खराबी, भूस्खलन, गड्ढे, विभिन्न स्थानों पर क्रॉस ड्रेनेज प्रणाली को क्षति हुई।
4.	बिहार	19, 28, 28ए, 31, 57, 57ए, 77, 104 105, 106, 107	सड़क सतह का कटना, पुलों व संपर्क मार्गों की क्षति।
5.	छत्तीसगढ़	6, 12ए 43, 78, 200, 216, 221	पुलियों और पुलों के पहुंच मार्गों पर सड़कों की फारमेशन एवं कैरेजवे को क्षति।
6	गोवा	17, 4ए, 17ए, 17बी	सड़क सतह को क्षति, भूस्खलन, क्रॉस ड्रेनेज कार्यों की हेड वाल और पारापेट वाल को क्षति, कुछ स्थानों पर साइड शोल्डरों और तटबंधों का बह जाना, संरक्षण कार्य को क्षति तथा कुछ स्थानों पर कैरेजवे का धंसना।
7.	गुजरात	एनई 1, 6, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 59	गड्ढे, पैच, भित्ती/पदाग्रघारक दीवारों को क्षति, कुछ खंडों में सतह को क्षति, पुल व पुलियों को क्षति, कुछ स्थानों पर शोल्डरों में कटाव और भूक्षरण और कुछ स्थानों में धंसना।
8.	हरियाणा	21ए, 65, 71ए, 72, 73	गड्ढों, पैंचों, तटबंधों के कटाव के कारण सड़क सतह को क्षति और विभिन्न स्थानों पर बर्मों को क्षति।
9.	हिमाचल प्रदेश	20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 88	विरचना, बेली पुलों, सस्पेंशन पुलों का बह जाना। नदी में बाढ़ के कारण स्लिप और भूस्खलन।
10.	झारखंड	23, 31, 32, 33, 75, 80, 99, 100	गड्ढों के कारण सड़क सतह को क्षति, बर्मों का कटाव और क्रास ड्रेनेज कार्यों को क्षति।
11.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 206, 207, 209, 212, 218	बी टी सतह, पुलियां, विंग वॉल क्षतिग्रस्त हुई, कुछ स्थानों पर पहुंच मार्ग बह गए।

1 2	3	4
12. केरल	17, 47, 47ए, 49, 206, 212, 218, 220	बी टी सतह, पुलियां, विंग वॉल क्षतिग्रस्त हुई, गड्ढे, शोल्डरों का कटाव, कुछ स्थानों पर सड़कों को धंसना।
13. मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 26, 59, 59ए, 69, 75, 78, 86	पुलियों और पुलों के पहुंच मार्गों पर सड़कों की फारमेंशन/कैरिजवे को क्षति, गड्ढों का बढ़ना और कुछ स्थानों पर बर्मों का बह जाना। बड़े पुलों को क्षति।
14. महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 6, 7, 9, 13, 17, 50, 69, 204, 211, 222	सड़क सतह की क्षति, भूस्खलन, क्रॉस ड्रेनेज कार्यों की हेड वाल और पारापेट वाल को क्षति, कुछ स्थानों पर साइड शोल्डरों और तटबंधों का बह जाना, संरक्षण कार्य को क्षति तथा कुछ स्थानों पर कैरेजवे का धंसना।
15. मणिपुर	39,150	सड़क सतह को क्षति, अवतलन/भूस्खलन, लैंडस्लाइड, लैंडस्लिप, शोल्डर्स कटाव, विभिन्न स्थानों पर पुलियों को क्षति।
16. मेघालय	40, 40ई, 44, 51, 62	अवतलन/भूस्खलन, लैंड स्लिप, फार्मेशन, कटाव, अनेक स्थानों पर संरक्षण को क्षति हुई।
17. मिजोरम	44ए, 150, 154	अवतलन/भूस्खलन, लैंडस्लिप, शोल्डर्स कटाव, विभिन्न स्थानों पर पुलियों को क्षति।
18. नगालैंड	36, 61	अवतलन/भूस्खलन, लैंडस्लिप, शोल्डर्स कटाव, विभिन्न स्थानों पर पुलियों को क्षति।
19. उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 75, 200, 201, 203, 215, 217, 224	सड़क सतह को क्षति, कुछ खंडों में धंसाव और दरारें, क्रास ड्रेनेज ढांचों और बर्मों को क्षति।
20. पंजाब	71	नदी में बाढ़ के कारण स्लिप और भूमि कटाव।
21. राजस्थान	8, 3	बर्म और रिटेनिंग दीवार क्षतिग्रस्त, गड्ढों, पैचों के कारण सड़क सतह क्षतिग्रस्त और एक स्थान पर तटबंध का बह जाना।
22. तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 46, 47, 47बी, 49, 57, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220	गड्ढों के कारण सड़क सतह को क्षति, ऊपरी सतह में पैच, बर्मों का कटाव, विफ्थन में दरार, विभिन्न स्थानों पर रिटेनिंग वॉल, पुलियों और पुलों को क्षति। एक स्थान पर सड़क हिस्से का बह जाना। तमिलनाडु में अभी भी वर्षा हो रही है और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए कार्रवाई करने हेतु निरंतर वर्षा और बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-45 का 0 से 121 कि.मी. तक का सेक्शन यातायात योग्य स्थिति में है। तथापि, शेष सेक्शन का कुछ हिस्सा कुछ स्थानों पर ओवरटॉपिंग और हाल की व्यापक वर्षा के वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
23. उत्तरांचल	58, 72, 74, 87, 94, 119, 121, 123 125	गड्ढे, कुछ खंडों पर सड़कें बह गईं, पुलिया, रेटेनिंग वॉल, विंग वॉल क्षतिग्रस्त।
24. उत्तर प्रदेश	7, 11, 19, 24, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 58, 72ए, 73, 74, 75ई, 76, 76ई, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 91ए, 119	गड्ढे, ऊंचे तटबंधों/पुल, पहुंच मार्गों में वर्षा से कटाव, पुलिया क्षतिग्रस्त और कुछ स्थानों पर स्लिपें पड़ गईं।
25. पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31सी, 32, 35, 60, 55, 81, 117	गड्ढों के कारण सड़क सतह को क्षति, साइड शोल्डर्स का धंसाव और क्षति।

निजी विश्वविद्यालय

***196. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यू.जी.सी. द्वारा यह पता लगाने के लिए इनका कोई निरीक्षण किया गया है कि ये निजी विश्वविद्यालय यू.जी.सी. के विनियमों का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (एस्टेब्लिशमेंट आफ एण्ड मेंटेनेंस ऑफ स्टैन्डर्ड्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज) रेग्युलेशन्स-2003 के अनुरूप न पाए गए विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत यू.जी.सी. की अनुमति लिए बिना डिग्रियां जारी की हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करना, उनका विनियमन और उन्हें बंद करना राज्य विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार इस समय संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित निम्नलिखित 8 निजी विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम' की धारा 2 (एफ) के अनुसार कार्य कर रहे हैं :

1. धीरूभाई अम्बानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर, गुजरात
2. निरमा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सारखेज, अहमदाबाद, गुजरात
3. जे पी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश
4. जगदगुरू रामभद्राचार्य हेंडीकेप्ड विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम, उत्तरप्रदेश
5. इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6. देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तरांचल
7. पेट्रोलियम और उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून उत्तरांचल
8. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.) देहरादून, उत्तरांचल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए अनेक विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं। उक्त सभी विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त हुई है कि वे इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का पालन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार ऐसा कोई मामला उसके ध्यान में नहीं लाया गया है जिसमें किसी निजी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति लिए बिना कोई डिग्री जारी की हो।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाना

***197. डा. एम. जगन्नाथ : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय वृक्ष लगाने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। कोर ग्रुप ने यह निर्णय लिया था कि औषधीय पादपों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के बजाए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करना उचित होगा। यह कोर ग्रुप इस बात पर भी सहमत था कि राजमार्गों के किनारे औषधीय वृक्षों का लगाया जाना और उनका व्यावसायिक उपयोग उचित नहीं है।

औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात

***198. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात में प्राप्त वृद्धि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका रोजगार के अवसरों पर वर्षवार और क्षेत्रवार क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) निर्यात और रोजगार अवसरों में वृद्धि हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए निर्यातोन्मुखी उद्योगों को सहायता देने

हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एंडएस.) विभिन्न वस्तुओं के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आई.टी.सी.) सुमेलीकृत प्रणाली (एच.एस.) कोड के आधार पर व्यापार आंकड़े संकलित करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत औद्योगिकी वस्तुओं का कोई अलग वर्गीकरण नहीं है, तथापि, वस्तुओं का विवरण देखने से औद्योगिक उत्पादों का निर्यातों में पर्याप्त हिस्सा मालूम होता है। पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य क्षेत्रों में निर्यातों का मूल्य और प्रतिशत वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वस्तुएं	(मूल्य मिलियन अम. डॉलर में)			(प्रतिशत परिवर्तन)		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
बागान	547	593	621	-7.30	8.41	4.72
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	4721	5407	6034	16.13	14.53	11.60
समुद्री उत्पाद	1432	1329	1268	15.79	-7.19	-4.59
अयस्क एवं खनिज	1996	2369	4193	58.11	18.69	76.99
चमड़ा एवं विनिर्माण	1848	2163	2289	-3.25	17.05	5.83
रत्न एवं आभूषण	9030	10573	13705	23.59	17.09	29.62
खेल सामग्री	73	99	98	6.26	35.62	-1.01
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	7858	9960	12677	23.33	26.75	27.28
इंजीनियरिंग वस्तुएं	7689	10516	14587	33.80	36.77	38.71
इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1295	1805	1804	8.59	39.38	-0.06
परियोजना वस्तुएं	49	84	49	165.49	71.43	-41.67
वस्त्र	11081	12205	12017	14.37	10.14	-1.54
हस्तशिल्प	785	500	343	43.00	-36.31	-31.40
कालीन	533	586	596	4.46	9.94	1.71
अपशिष्ट सहित कपास	10	205	81	8.80	2004.72	-60.49
पेट्रोलियम उत्पाद	2577	3568	6792	21.61	38.46	90.36
कुल निर्यात	52719	63843	80540	20.29	21.10	26.15

(ख) निर्यातों के जरिए सृजित रोजगार का कोई अंतिम क्षेत्रवार अनुमान नहीं है। तथापि, निर्यात के जरिए रोजगार सृजन के संबंध में गैर-संगठित देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आर.आई.एस.) द्वारा किए गए एक अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों से यह मालूम होता है कि वर्ष 2004-05 में निर्यातों के जरिए कुल रोजगार सृजन लगभग 16 मिलियन था जिसमें से 9 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार था और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार था।

(ग) सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) के हिस्से के रूप में निर्यातों और रोजगारों का संवर्धन करने के लिए अनेक पहलें की हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा चमड़ा क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष फोकस पहलों को अभिज्ञात किया गया है। निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अन्य उपायों में अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में विदेशी और घरेलू निवेशों का प्रवाह बनाने के लिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का अधिनियमन करना; मुक्त व्यापार भंडारण जोनों (एफ.टी.डब्ल्यू.जेड.एस.) जिनको विशेष आर्थिक जोनों के लिए उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त होंगे, की स्थापन करना; निर्यातकों की सौदा लागत कम करने के लिए प्रक्रियात्मक कार्य को सरल बनाने पर मुख्य

जोर देना और भारत के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम

***199. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
श्री मुन्शी राम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम" चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने विद्यालय खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के निहित उद्देश्यो की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम की शुरूआत अगस्त, 2004 में की थी और देशभर में 21 उपयुक्त राज्यों में 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। इस स्कीम को लागू करने हेतु संबंधित राज्यों को सितम्बर, 2005 तक 120.38 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 448 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या और उन्हें संस्वीकृत निधियों से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत सरकार इस स्कीम के क्रियान्वयन का नियमित रूप से अनुवीक्षण कर रही है।

विवरण

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या और उन्हें संस्वीकृत निधियां

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत विद्यालयों की कुल संख्या	भारत सरकार द्वारा जारी की गई संचयी निधियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	94	1823.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	14	210.74
3.	बिहार	62	1115.19
4.	छत्तीसगढ़	51	810.33
5.	गुजरात	30	497.03
6.	हरियाणा	1	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	9	192.47
8.	जम्मू और कश्मीर	14	190.57
9.	झारखण्ड	74	1335.05
10.	कर्नाटक	58	845.47
11.	मध्य प्रदेश	70	700.81
12.	महाराष्ट्र	27	527.61
13.	मेघालय	1	13.32
14.	उड़ीसा	49	884.02
15.	पंजाब	2	32.55
16.	राजस्थान	56	350.65
17.	तमिलनाडु	37	644.39
18.	त्रिपुरा	2	32.54
19.	उत्तर प्रदेश	32	794.94
20.	उत्तरांचल	13	291.11
21.	पश्चिम बंगाल	54	745.51
	योग	750	12038.07

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का विपणन

***200. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान और आज की तारीख तक देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के माध्यम से राज्यवार कितना रोजगार सृजन हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अन्तर्गत कोई कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्र सरकार का कृषि मंत्रालय आर्थिक रूप से उपयुक्त स्व-रोजागर उपक्रमों के रूप में, जो किसानों को विस्तार और अन्य सेवाएं भुगतान के आधार पर प्रदान करता है, कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना की योजना कार्यान्वित करता है। अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005 के दौरान स्थापित 1667 कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्रों से रोजगार के 4397 अवसर सृजित किए गए। वर्ष 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्थापित कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों तथा सृजित रोजगार के अवसरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने "कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण" के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत कृषि वस्तुओं के विपणन और मौजूदा कृषि बाजारों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए उद्यमियों को वस्तु-विशिष्ट अथवा सामान्य अवसंरचना के निर्माण हेतु परियोजना लागत की 25 प्रतिशत के दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर्वतीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उद्यमियां के लिए सब्सिडी की दर 33.3 प्रतिशत है।

विवरण

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक) के दौरान स्थापित कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों तथा सृजित रोजगार के अवसरों की राज्यवार संख्या

(आंकड़े संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06 (नवम्बर, 2005 तक)	
		स्थापित इकाइयां	सृजित रोजगार	स्थापित इकाइयां	सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	35	158	42	153
2.	असम	8	8	0	0
3.	बिहार	113	244	75	224
4.	छत्तीसगढ़	13	20	29	29
5.	गुजरात	41	54	35	178
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	2	3	5	14
8.	झारखण्ड	3	7	1	3
9.	कर्नाटक	107	218	170	595
10.	केरल	6	41	1	10
11.	मध्य प्रदेश	60	112	6	16
12.	महाराष्ट्र	180	334	208	889
13.	मणिपुर	0	0	12	21
14.	उड़ीसा	14	42	28	89
15.	पंजाब	7	9	0	0
16.	राजस्थान	66	106	44	95
17.	तमिलनाडु	11	11	25	58
18.	उत्तर प्रदेश	116	275	164	336
19.	पश्चिम बंगाल	0	0	39	44
	जोड़	783	1643	884	2754

विद्यालयों में खेलकूद

***201. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.एस.ई. ने देश भर में विद्यालयों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है जैसा कि 17 नवम्बर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेलकूद में प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु सी.बी.एस.ई. ने कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन खेलों को चिन्हित किया गया है; और

(ङ) विद्यालय स्तर पर खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने और आगे क्या उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2005-06 से खेलकूद प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के लिए "चाचा नेहरू खेलकूद छात्रवृत्तियों" की घोषणा की है ताकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों की खेलकूद प्रतिभा को प्रोत्साहित और पोषित किया जा सके। ये छात्रवृत्तियां (विभिन्न प्रकार के खेलकूद के लिए 14) कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को 500 रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी और इन्हें प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमों में निष्पादन के आधार पर अभिनिर्धारित किया जाएगा। ये 14 अभिनिर्धारित खेलकूद हैं -- एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, चेस, फुटबाल, खो-खो, जूडो, हैण्डबाल, हॉकी, स्केटिंग, स्वीमिंग, टेबिल टेनिस और बालीबॉल। प्रथम वर्ष में 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी और चौथे वर्ष इनकी संख्या को बढ़ाकर 200 किया जाएगा।

(ङ) युवा कार्यक्रम और खेलकूद मंत्रालय अपनी "विद्यालयों में खेलकूद को प्रोत्साहन" स्कीम के तहत 75000 रु. प्रति जिला और 3,00,000 रुपए प्रति राज्य की दर से विभिन्न प्रकार के खेलकूद में क्रमश: जिला और राज्य स्तरीय अन्तर-विद्यालय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। भारतीय खेलकूद प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए 2,00,000 रुपए प्रति खेल की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को 1,00,000 रुपए और रोलिंग ट्राफी पुरस्कार में दी जाती है।

नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति

1881. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में तदर्थ आधार पर नर्सरी अध्यापक की नियुक्ति का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में तदर्थ आधार पर कितने अध्यापक कार्यरत हैं;

(ग) क्या दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में नर्सरी अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में नियुक्ति आदेश दे दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चयनित अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) नामांकन में कमी के कारण इस समय नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में 24 नर्सरी अध्यापक अधिशेष है। इसलिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन ोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति करना नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए संभव नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण कोटा

1882. श्री रघुबीर सिंह कौशल :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित ए.आई.ई.ई.ई. के लिए जन्म स्थान आधार पर आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जन्म स्थान के प्रयोजनार्थ राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के स्थान पर 12वीं कक्षा की अंकतालिका की आवश्यकता होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियां नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को 11 सितम्बर, 2005 के 'दैनिक जागरण', कोटा (राजस्थान) संस्करण में "हक हमारा, कब्जा उनका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ज) अखिल भारतीय इंजीनियरी/स्थापत्यकला प्रवेश परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार की संस्थाओं में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण किया गया है। जिस राज्य में अभ्यर्थी 10+2 कक्षा के लिए परीक्षा में बैठते हैं, वहां की पात्रता संबंधी राज्य कोड का ध्यान रखा जाता है जिसे अधिवास का राज्य कोड माना जा रहा है। जहां तक आरक्षित सीटों अथवा राज्य विशेष के लिए प्रवेश का संबंध है, अधिवास प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होता। इसलिए पात्रता के राज्य कोड के सत्यापन के लिए पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की आवश्यकता होती है जो उनके अधिवास की स्थिति का निश्चय करता है, यद्यपि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, फिर भी अधिवास के राज्य कोड के निर्धारण के मामले पर नीति में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी जिला परिषद के गठन के लिए मांग

1883. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऑल असम मैन (ताई-भाषी) स्टूडेन्ट यूनियन, तिराप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड कमेटी, तथा जन-प्रतिनिधियों के एक स्वायत्तशासी जिला परिषद के गठन के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

असम में पूर्व-पश्चिम गलियारा

1884. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आपत्तियों के कारण असम में पूर्व-पश्चिम गलियारा का प्रथम चरण रूका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि का किसी अन्य राज्य में प्रयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो वास्तविक कार्य कब तक शुरू हो जाने तथा इसके पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार को पूर्व-पश्चिम गलियारा को नौगांव से सिल्चर तक बढ़ाने का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार इस नए संरेखण पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) असम में पूर्व-पश्चिम महामार्ग की 465 कि.मी. लंबाई के लिए सिविल कार्य ठेके पहले ही सौंप दिए गए हैं। असम में पूर्व-पश्चिम महामार्ग की शेष लंबाई के लिए निविदाएं मार्च 2006 तक सौंप दिए जाने की संभावना है। ठेकेदार ने सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया है और इस संपूर्ण परियोजना को सन् 2008 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(च) असम सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्व-विकास योजना

1885. श्री सुबोध मोहिते : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्व-विकास योजना के अंतर्गत 180 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नागपुर शहर में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में शुरू की गई योजना की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

1886. श्री राम कृपाल यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय इंजीनियरिंग कालेज संघ, चेन्नई ने वर्ष 2006 के लिए देश में इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश के लिए हाल ही में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है;

(ख) क्या ए.आई.ई.सी.ए. सभी विद्यार्थियों से 1100 रु. एकत्रित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) किसी 'अखिल भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज

संघ' का एक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। तथापि, सरकार अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् किसी भी रूप में इस कथित संघ से संबद्ध नहीं है।

[हिन्दी]

सीमा पर गोलीबारी

1887. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री एस.के. खारवेन्थन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-2005 के दौरान आज तक भारत-पाकिस्तान सीमापर गोलीबारी की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुई जान तथा माल हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन कदमों के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान और वर्ष 2005-06 में आज तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के साथ गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सु-समन्वित और बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा सुरक्षा बल किसान गार्ड प्रदान करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, आधुनिक अद्युनातन हथियारों और संचार प्रणालियों इत्यादि से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, किसान सीमा बाड़ के पार अपने खेतों में कृषि संबंधी कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय

1888. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केंद्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालय में प्रबंधन तथा कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी समितियों में कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषाएं क्या हैं तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन समितियों द्वारा अपनी रिपोर्टें कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रबंधन संरचना तथा संचालन तंत्र की समीक्षा के लिए दिसम्बर, 2001 में श्री जे.सी. पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें श्री पी.आर. चौहान, श्री जे. वीराराघवन, श्रीमती श्यामा चोना, डा. जे.डी. जानसन, श्री आर.जी., पाटिल और श्री के.एस. सर्मा शामिल थे।

नवोदय विद्यालय समिति की प्रबंधन संरचना तथा संचालन तंत्र की समीक्षा करने के लिए जून, 2001 में श्री वाई.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें प्रो. बी.पी. खंडेलवाल, डा. आसिफ खान, डा. स्मृति स्वरूप, प्रो. नंदू राम तथा श्री के.एस. सर्मा शामिल थे।

(ग) जी, हां।

(घ) (I) पंत समिति की सिफारिशों का सारांश सलंग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इन सिफारिशों में से अनेक सिफारिशों का पहले ही विभिन्न रूपों में कार्यान्वयन कर दिया है।

(II) वाई.एन. चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों का सारांश और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा की गई तत्संबंधी कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रबंध संरचना तथा संचालन तंत्र की समीक्षा के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों का सारांश (पन्त समिति की रिपोर्ट)

I. दाखिला नीति की समीक्षा तथा विस्तार की आवश्यकता।

(क) प्रत्येक वर्ष कक्षा II से लेकर सभी कक्षाओं के लिए नए दाखिलों का 10% भाग योग्यता-आधार पर किया जाए।

ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के लिए, अन्य विद्यालयों से आने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम 80% अंकों के प्रावधान में छूट देकर 75% अंकों का प्रावधान किया जाए, बशर्ते ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम हो।

(ख) (i) रजिस्ट्रेशन फार्मों की बिक्री तथा रजिस्ट्रेशन 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक किया जाना चाहिए।

(ii) फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख 31 जनवरी होनी चाहिए।

(iii) दाखिला सूची को 15 फरवरी तक प्रदर्शित कर दिया जाना चाहिए।

(iv) दाखिले 1 मार्च तक हो जाने चाहिएं।

(v) नए दाखिले की अंतिम तारीख 31 जुलाई हो।

(vi) अपवादी मामलों में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अर्धवार्षिक परीक्षा परीक्षा से पहले दाखिले की अनुमति दे सकते हैं।

(ग) (i) 15 वर्ष से कम सेवा वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को श्रेणी-II में रखा जाएगा। (ii) केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के बच्चों को भुगतान सीट दाखिले के अलग खंड में रखा जाएगा।

II. संगठन में संरचनात्मक परिवर्तन: क्या संगठन की मौजूदा संरचना जारी रहनी चाहिए अथवा क्षेत्रीय संरचनाओं के गठन जैसे कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं

(क) अतिरिक्त क्षेत्रों का सृजन ताकि एक क्षेत्र के अन्तर्गत 28 से 30 केंद्रीय विद्यालय आते हों।

(ख) 05 राष्ट्रीय जोनों का सृजन, जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय जोन में 6 क्षेत्र होंगे जो कर्मचारी की भर्ती, उनकी तैनाती तथा स्थानांतरण आदि का कार्य करेंगे।

(ग) शिक्षा अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद अंतरपरिवर्तनीय बनाए जाएंगे।

(घ) विभिन्न क्रियाकलापों की दृष्टि से प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय का श्रेणीकरण किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय को निष्पादन के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु शिक्षा अधिकारियों और केंद्रीय विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य के कर्तव्यों को सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(ङ) केंद्रीय विद्यालय संगठन के 4 मुख्य लक्ष्यों के अलावा स्थानीय, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय को एक स्थानीय लक्ष्य बनाना होगा।

(च) केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटरों के माध्यम से जोड़ना।

III. केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के के संबंध में मौजूदा भर्ती एवं स्थानांतरण नीति की समीक्षा

(क) प्रस्तावित नोशनल जोनल पुन: संगठन के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी से विकल्प और अधिमान मांगने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए।

(ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार प्रत्येक मंडल में भरती करेगा। प्राथमिक शिक्षक के रूप में उनके निष्पादन के आधार पर ही टी.जी.टी. स्तर पर भर्ती के लिए उनका चयन किया जाएगा और पी.जी.टी. के रूप में पदोन्नति के लिए प्रवीणता परीक्षा को अनिवार्य किया जाए।

(ग) नोशनल जोनल प्रणाली को स्थानांतरण और प्रथम तैनाती के लिए टी.जी.टी. स्तर के लिए प्रभावी किया जाए। जबकि पी.जी.टी. और उससे ऊपर के स्तर के लिए कर्मचारी के वर्तमान अखिल भारतीय स्वरूप को ही रखा जाए। (अपनी वरिष्ठता को कम कर जोन परिवर्तन संबंधी किसी कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार किया जाए)।

(घ) वर्तमान स्थानांतरण नीति को बनाए रखा जाए। तथापि इसे केवल प्राइमरी शिक्षकों और टी.जी.टी. के लिए ही नोशनल जोनल आधार पर लागू किया जाएगा।

(ङ) दूरस्थ इलाकों में केंद्रीय विद्यालय की कार्यकारिणी समिति संविदा के आधार पर बिना बी.एंड. योग्यता वाले शिक्षकों की भी भर्ती कर सकती है।

(च) जहां तक हो सके केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत विवाहिती को इकट्ठे रखा जाए।

(छ) पी.जी.टी. स्तर पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति जहां भी वे कार्यरत हों वहां से बाहर के जोन में हो। सभी अन्य शिक्षक जो टी.जी.टी. अथवा मुख्याध्यापक के रूप में पदोन्नत हों उन्हें अपने वर्तमान कार्यस्थान से वर्तमान तैनाती वाले जोन में ही बाहर तैनात किया जाए।

IV. परीक्षा उन्मुखी शिक्षा को बच्चों में समग्र विकास और बदलावों के लिए सुझाव के साथ उचित तरीके से मिलाने की आवश्यकता

कक्षा-वार प्रश्नोतरी अथवा वक्तृता अथवा आत्माभिव्यक्ति के अन्य रूपों को प्रत्येक महा एक बार आयोजित किया जाना चाहिए।

अकादमिक निरीक्षणों को अधिक व्यापक, शिक्षाप्रद और परिणामोन्मुख बनाकर उन्हें पुन: जीवंत बनाना। कक्षा I से V, VI से VIII, IX से X और XI से XII के लिए प्रत्येक छात्र का एक ही रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अकादमिक ओर पाठ्येतर क्रियाकलापों में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धि को उचित मान्यता प्रदान की जाए। प्रधानाचार्य और शिक्षकों के निष्पादन के निर्धारण

के लिए केवल बोर्ड कक्षाओं के वार्षिक परिणामों को ही कसौटी नहीं माना जाना चाहिए। अन्य कक्षाओं विशेष तौर पर VI, IX और XI के परिणामों का भी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को विश्लेषण करना चाहिए। भाषा अधिगम और अभिव्यक्ति में सुधार। स्कूल की छुट्टी के समय सभी छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रतिदिन आधे घंटे का श्रमदान आरंभ करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना। जिन छात्रों की ग्रहण क्षमता कम है, उनकी शिक्षण संबंधी जरूरतों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रत्येक स्कूल दिवस में छुट्टी के बाद एक घंटा तक स्कूल में रूकना चाहिए ताकि वे अगले दिन के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की योजना बना सके।

V. खेलकूद, योग एवं शारीरिक शिक्षा तथा भाषा अधिगम का प्रोन्नयन

स्कूल में योग कक्षाएं चलाने के लिए उचित परिवेश हेतु उचित अवसंरचना होनी चाहिए। खेलकूद तथा योग के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से खेलकूद संबंधी सभी कार्यकलापों में भाग लेना चाहिए तथा उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार ग्रेड दिए जाने चाहिएं। सभी केंद्रीय विद्यालयों में सामूहिक शारीरिक प्रशिक्षण पुन: आरंभ किया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षक तथा योग अनुदेशक द्वारा छात्रों की शारीरिक क्षमता तथा मुद्रा आदि की उचित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

VI. शैक्षिक अथवा प्रबंध सुधार से संबंधित अन्य कोई मामला

प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य अथवा सहायक अधीक्षक कोषाध्यक्ष सह केयर-टेकर के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि वे दैनिक प्रशासनिक मामलों में प्राचार्य की सहायता कर सकें ताकि प्राचार्य शैक्षिक मामलों में अपनी पर्याप्त भागीदारी कर सकें।

अनुरक्षण तथा मरम्मत संबंधी कार्य को सरल बनाने हेतु के.वि.सं. (मुख्यालय) द्वारा एक मानक कार्य निष्पादन संविदा प्रपत्र तैयार किया जाएगा।

व्यावसायिक कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्राधिकार अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रत्यायित किया जाएगा। क्षेत्रीयस्तर पर शिक्षकों हेतु विषयवार कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि उनके शिक्षण कौशल को सुधारा जा सके।

बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने के प्रयोजनार्थ एक व्यावसायिक दृष्टिकोण तैयार करने की आवश्यकता है।

पढ़ाई में पीछे रह जाने वालों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु स्कूल समय के उपरांत निरीक्षणाधीन अध्ययन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

स्कूल शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना। कक्षा-11 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नामों को पेशेवर अथवा फाउन्डेशन पाठ्यक्रम में परिवर्तित करना चाहिए।

कक्षा 6 से माता-पिता से उनके बच्चों की क्षमता के संबंध में काउंसलिंग प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. के अलावा अन्य परीक्षा बोर्डों के साथ सम्बद्धन।

विवरण-II

श्री वाई.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई

क्र. सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की संख्या का विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि नवोदय विद्यालय समिति विभिन्न श्रेणियों की आरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ ज्यादा ही सतर्क रही है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2.	जवाहर नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10 तथा 12 के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि शैक्षिक प्रदर्शन की जांच करने हेतु बोर्ड की परीक्षा ही केवल शर्त नहीं है।	एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है और विद्यार्थियों द्वारा गुणवत्तायुक्त प्रदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे लागू किया गया। परीक्षा परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। की गई अन्य कार्रवाईयां इस प्रकार हैं :- 1. जवाहर नवोदय विद्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति 2. क्लस्टर मॉनीटरी प्रणाली

1	2	3
		3. प्रिंसिपल सम्मेलन के दौरान बोर्ड परीक्षा-2003 में विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन का विश्लेषण। 4. प्रशंसनीय कार्य हेतु प्रिंसिपलों तथा शिक्षकों को पुरस्कृत करना।
3.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद की रिपोर्ट से पता चलता है कि 80 प्रतिशत विद्यार्थी तथा उनके परिवार वाले जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रशंसक हैं। इन विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले 75 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च अध्ययन कर रहे हैं।	विद्यालयों को निदेश दिया गया है कि वे पुस्तकालय में "कैरियर मार्गदर्शन कॉनर्र" स्थापित करे और एक कैरियर काउंसलिंग समिति गठित करे ताकि विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आर.आई.ई. मैसूर में गाइडेंस तथा काउंसलिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
4.	जवाहर नवोदय विद्यालय का चयन परीक्षा तंत्र मोटे तौर पर सही तथा उद्देश्यपरक है और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
5.	प्रत्येक सीट हेतु 18 विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। यह तथ्य इस स्कीम की सफलता को दर्शाता है और इस ओर भी इशारा करता है कि माता-पिताओं का प्रवेश प्रणाली पर कितना विश्वास है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
6.	इस परीक्षा का प्रचार तथा पंचायतों एवं प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से आवेदन प्रपत्रों की आपूर्ति।	जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। परीक्षा की सूचना ग्राम-पंचायत स्तर तक पहुंचती है।
7.	परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रत्येक दो वर्ष में परिवर्तित कर दिए जाएं ताकि जाली कोचिंग केन्द्रों इत्यादि की प्रणाली उभरने न पाए।	जवाहर नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा के लिए बहु विकल्प पद्धति वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पहले ही लागू कर दिए गए हैं और इस पद्धति की आवधिक समीक्षा की जाएगी।
8.	क्योंकि इस प्रकार की आलोचना की जाती है कि चयनित विद्यार्थी अपर्याप्त भाषा कौशलों वाले होते हैं इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालय समिति परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के भाषा कौशलों को सुधारने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।	विद्यालयों को विद्यार्थियों के सम्प्रेषण कौशल को सुदृढ़ बनाने को अपने यहां नियमित सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप के रूप में अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सह-पाठयचर्या कार्यकलापों को निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्धारित किया गया है :- I) भाषा कौशल, अर्थात सम्प्रेषण II) कम्प्यूटर एकीकृत अध्ययन III) कला और मंचीय कला में सृजनात्मकता IV) विज्ञान संवर्धन
9.	ग्रामीण श्रेणी के विवादास्पद मामलों की जिलाधीश द्वारा विशेष जांच।	ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर विद्यालय स्तर पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है।
10.	यद्यपि उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर आवश्यक रूप से स्कीम में कमियों को नहीं	रिक्त पदों को शैक्षिक वर्ष 2003-04 से भरने के लिए कक्षा IX में प्रवेश के लिए पार्श्विक प्रवेश परीक्षा शुरू की गई है। वर्ष 2005-

1	2	3
	दर्शाती तथापि यह सिफारिश की गई है कि अधिक लागत से सृजित की गई बुनियादी सुविधाओं का रिक्त पदों के कारण उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	06 से कक्षा XI में विद्यार्थियों का पार्श्विक प्रवेश शुरू कर दिया गया है।
11.	कक्षा-VI में दाखिलों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि ऐसा करने से अतिरिक्त आवास की व्यवस्था और अधिक शिक्षकों की भर्ती करनी होगी।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
12.	शिक्षण के माध्यम और आवास की व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को समायोजित करने की समस्या के मद्देनजर कक्षा XI में पार्श्विक प्रवेश की सिफारिश नहीं की गई है।	शैक्षिक वर्ष 2005-06 से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राज्य बोर्ड परीक्षाओं में निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा IX में विद्यार्थियों के पार्श्विक प्रवेश को लागू करने का निर्णय लिय गया है।
13.	बुनियादी सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा IX में पार्श्विक प्रवेश की सिफारिश की गई है। क्योंकि रिक्त पदों की संख्या कम और विद्यालय दर विद्यालय भिन्न-भिन्न होगी इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का आरक्षण देना व्यवहार्य नहीं होगा। इस प्रकार के दाखिले के माध्यम से प्रवेश अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से दिया जाना होगा।	कक्षा IX में पार्श्विक प्रवेश के लिए परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से आयोजित की गई है।
14.	कक्षा IX में प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और परीक्षा का आयोजन तथा परीक्षा के आधार पर दाखिलों को अंतिम रूप संबंधित विद्यालयों द्वारा दिया जाएगा।	कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है, मूल्यांकन कार्य और परीक्षा परिणाम क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा घोषित किए जाते हैं।
15.	जवाहर नवोदय विद्यालयों को राज्य बोर्ड और केन्द्रीय बोर्ड से संबद्ध करने की संभावना को बेहतर नहीं माना गया है। ऐसा करना राष्ट्रीय अस्मिता और एकरूपता की अवधारणा को गंभीर रूप से कम करना होगा और इससे शिक्षण के माध्यम की समस्या भी पैदा होगी। इसलिए इसकी सिफारिश नहीं की गई है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
16.	नवोदय विद्यालय समिति का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है और इसलिए इसका जोरदार समर्थन किया गया है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
17.	यह सुनिश्चित करने के लिए कि समिति अथवा इसकी कार्यकारी समिति की बैठकों को आयोजित करने में होने वाले विलंब से मुद्दों को कार्यान्वित करने में विलंब न हो यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव को समिति के उपाध्यक्ष का पदनाम दिया जाना चाहिए और केन्द्रीय विद्यालय संगठन की तरह उनको कार्यकारी शक्तियां हस्तांतरित की जानी चाहिए।	यह निर्णय लिया गया है कि कार्यकारी समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में और आम निकाय की बैठकें प्रत्येक छमाही में आयोजित की जाएगी। इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री समिति के उपाध्यक्ष हैं।
18.	क्योंकि समिति में प्रशिक्षण, खेलकूद, कम्प्यूटर साक्षरता इत्यादि मुख्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं है इसलिए यह सिफारिश की गई है कि समिति इस प्रकार के लगभग आधा दर्जन क्षेत्रों के लिए	समिति शिक्षक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम और विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिकों की सहायता ले रही है। समिति ने न्यायालय के मामलों और कानूनी मामलों के

1	2	3
	संयुक्त/उप निदेशक स्तर के पद सृजित करें अथवा इस प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र के लिए पदकाल आधारित विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए।	संबंध में समिति की सहायता के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता को भी लगाया है।
19.	यह सिफारिश की गई है कि खानपान प्रबंधन अथवा पोषण में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से खानपान/भोजन व्यवस्था की संविदा देने का प्रयास करना चाहिए।	सभी विद्यालय इस उद्देश्यार्थ पहले से नियुक्त नियमित कर्मचारियों के माध्यम से भोजन व्यवस्था का प्रावधान कर रहे हैं। वर्तमान पद्धति को संतोषजनक माना गया है।
20.	जहां बेहतर उपभोक्ता अथवा सहकारी बाजार है, का क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाना चाहिए और उपयुक्त पाए जाने पर इनके पास जिले के विद्यालयों को इन सोसायटियों से सामान और राशन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।	विद्यालय सहकारी बाजार से सामान प्राप्त करने की प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं।
21.	इसी प्रकार रसोई गैस, दूध और विद्यार्थियों के लिए वर्दियां प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।	विद्यालय सहकारी बाजार से सामान प्राप्त करने की प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं।
22.	हाउस सिस्टम को छात्रावास वार पुर्नगठित किया जाना चाहिए वर्तमान पद्धति के स्थान पर एक छात्रावास के लिए अध्यापक/हाउस मास्टर को उत्तरदायित्व देना चाहिए उनकी अंशकालिक मैटर्न/ अस्सिटेंट को सहायता करनी चाहिए जो अध्यापक या संविदा कर्मचारी की पत्नियों में से एक हो सकती है।	जवाहर नवोदय विद्यालयों की विद्यमान हाउस प्रणाली समीक्षाधीन है। इसे उपलब्ध छात्रावास भवनों के अनुसार पुर्नगठित किया जाएगा। स्कूलों में अंशकालिक महिला मैटर्न नियुक्त की जा रही है।
23.	सिफारिश की गई है कि महिला छात्रावासों की अलग परिसर दीवार तथा गेट पर सुरक्षा स्टाफ होना चाहिए।	महिला छात्रावासों के लिए अलग परिसर दीवार के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्दर आवश्यकता आधारित संस्वीकृति जारी की गई है।
24.	प्रत्येक स्कूल की परिसर दीवार होनी चाहिए। बच्चों के कार्यकरण की अनुवीक्षण तथा नियंत्रण हेतु गेट पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाने चाहिए।	महिला छात्रावासों के लिए अलग परिसर दीवार के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्दर आवश्यकता आधारित संस्वीकृति जारी की गई है। विद्यालयों को एकत्रित शुल्क में से छात्रों की उचित सुरक्षा हेतु प्रबंध करने का अधिकार है।
25.	एक दिन छोड़कर एक दिन अंशकालिक डाक्टर को कम से कम दो घंटे के लिए बुलाना चाहिए तथा परामर्शक के रूप में मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाना चाहिए। अंशकालिक डाक्टर तथा परामर्शक के रूप में मनोवैज्ञानिक का पारिश्रमिक तकरीबन 5000/- रु. प्रतिमाह होना चाहिए।	जिन जवाहर नवोदय विद्यालयों में पुरूष स्टाफ नर्स कार्यरत हैं वहां प्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर अतिरिक्त महिला स्टाफ नर्स रखने का अधिकार दिया गया है। अंशकालिक डाक्टर का पारिश्रमिक बढ़ाकर 1000/-रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।
26.	26 अध्यापकों की सेवा शर्तें आकर्षित करने वाली नहीं हैं। कार्य के घंटें भी अधिक हैं इन कमियां हेतु कुछ वित्तीय सुविधाएं देकर अध्यापकों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।	नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बढ़े हुए वेतनमान तथा भत्ते दिए गए हैं। उन्हें उनके बच्चों के लिए विद्यालय में निःशुल्क रहने की जगह तथा शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अभी हाल में अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
27.	नवोदय विद्यालय के अध्यापकों पर भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर लागू पैंश्न स्कीम को लागू किया जाना चाहिए।	नीति निर्धारण के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है।

1	2	3
28.	सरकार से सिफारिश की गई है कि वह नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के भत्ते संस्वीकृत करने पर विचार करे।	नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
29.	जहां कोई वाहन प्रदान नहीं किया जाता वहां प्रधानाचार्य को महीने में सात दिन दैनिक किराए पर वाहन मांगने का अधिकार होना चाहिए।	प्रधानाचार्य उन विद्यालयों में संविदा आधार पर वाहन मंगाने के लिए प्राधिकृत हैं जहां वाहन प्रदान नहीं किए गए हैं या बेकार हो चुके हैं।
30.	जिले के आसपास पेनल निरीक्षण हेतु अधिकतर विद्वान व्यक्ति होने चाहिएं। पेनल में प्रशासन, मेडिकल आदि जैसी विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति होने चाहिएं जो स्कूल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को देख सकें।	विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पेनल में विभिन्न कार्यक्षेत्र से अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है।
31.	यह पैनल पिछली रिपोर्टों की जांच करेगा और 6-8 से अधिक प्राथमिकता मदों पर ध्यान नहीं देगा।	पैनल जांच रिपोर्टों का अकादमिक/आवासीय आदि विभिन्न घटकों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया जा रहा है।
32.	यह सिफारिश की जाती है कि जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 24000/- रुपये से अधिक है, उनसे प्रतिमाह 200/-रु. शुल्क लिया जाए। जाति अथवा समुदाय के आधार पर किसी भी सामाजिक वर्ग को छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पूर्णतः आर्थिक निर्णय है जिस पर परिवार की भुगतान क्षमता के आलोक में विचार करना चाहिए चाहे वे समाज के किसी भी वर्ग के हों।	जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों से शुल्क लेने का निर्णय लिया जा चुका है और 1.8.2003 को आदेश जारी किए जा चुके हैं। कक्षा IX से XII के छात्रों से प्रतिमाह 200/-रु. शुल्क लिया जा रहा है। इनमें अ.जा./अ.ज.जा., बालिकाएं, विकलांग तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्र शामिल नही हैं।
33.	शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय को विद्यालय विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों पर खर्च करना।	प्राप्त शुल्क को एक पृथक लेखा शीर्ष "विद्यालय विकास निधि" के तहत रखा गया है। विद्यालय विकास निधि को स्कूलों के विकासात्मक कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए प्रधानाचार्यों को आदेश जारी किए गए हैं।
34.	यह सिफारिश की गई है कि अगले तीन वर्षों तक नवोदय विद्यालय खोलना स्थगित रखा जाए और इस दौरान उपलब्ध संसाधनों को अस्थाई भवनों में चल रहे 98 स्कूलों हेतु भवन निर्मित करने में उपयोग किया जाए।	नए जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत करते समय समिति इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि राज्य सरकार प्राधिकरण नवोदय विद्यालय खोलने हेतु न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पहले से संस्वीकृत विद्यालयों को यथाशीघ्र शुरू किया जाए और इसके लिए राज्य सरकार से निरंतर आग्रह किया जा रहा है कि वे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए समुचित अस्थाई भवन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
35.	यह सिफारिश की जाती है कि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य एक स्वायत्त भर्ती बोर्ड को सौंपा जाए जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक ही हो।	इस समय शिक्षकों की भर्ती/चयन का कार्य एड.सिल. आदि जैसी बाहरी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। यह प्रणाली संतोषजनक है और फिलहाल इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।
36.	भर्ती बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जिसकी सहायता के लिए अल्पकालिक सदस्य होंगे।	किसी स्थाई भर्ती बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

1	2	3
37.	स्कूल स्तर पर की गई भर्ती को आगे जारी रखा जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र इसका अपवाद है जहां बागियों की समस्या है और स्थानीय लोगों के बागी तत्वों से मिले होने की संभावना है।	स्कूल स्तर पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधानाचार्यों द्वारा स्थानीय रूप से होती है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में बागियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से दूर रहने हेतु आवश्यक सावधानियां बरती जाती हैं।
38.	नवोदय विद्यालय समिति द्वारा तैयार की गई शिक्षक स्थानान्तरण नीति अच्छी है।	
39.	शिक्षकों का स्थानान्तरण सामान्यतः सात वर्षों बाद किया जाना चाहिए- पूर्वोत्तर में नियुक्ति करते समय 3 वर्षों का कार्यकाल नियत होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति उनके गृह स्थान से 200 किलो मीटर की परिधि में नहीं की जानी चाहिए। यह प्रतिबंध शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एक ही जिले से की जानी चाहिए।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त शिक्षकों हेतु तीन वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। शिक्षकों को उनके घरेलू जिलों में नियुक्त नहीं किया जाता।
40.	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए एक स्थानान्तरण नीति को भी अंतिम रूप दिया जाना है।	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है।
41.	अध्ययन उन्मुख कार्यकलापों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है।	अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान अन्तरित किया गया है तथा अध्येता केन्द्रित शिक्षण कार्यकलाप और पारस्परिक शिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जा रहा है।
42.	लिखने तथा बोलने के कौशल पर बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों को अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए तथा उन्हें उप श्रेणियों में बांट दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रत्येक श्रेणी में से एक पुस्तक का चयन करके उसके सार को अपने कक्षा सेमिनार में प्रस्तुत करने को कहा जाना चाहिए। तृतीय भाषा के संदर्भ में विशेषकर बोलने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण है।	परिचालित किए गए दिशा-निर्देशों (सी.सी.ए. कार्यकलापों के संबंध में) के अनुसार, महीने का दूसरा सप्ताह संवादक्षमता/कौशल से संबंधित सी.सी.ए. के आयोजन के लिए रखा गया है। इन सी.सी.ए. का सफलतापूर्वे आयोजन किया जा रहा है तथा इसका कलस्टर प्रभारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मानीटरन किया जा रहा है।
43.	नवोदय विद्यालयों को अंकों के आधार पर मूल्यांकन को छोड़कर ग्रेड के आधार पर मूल्यांकन को अपनाना चाहिए। ग्रेड प्रणाली में छात्रों के पाठ्येत्तर कार्यकलापों में उनकी सहभागिता के मूल्यांकन का भी प्रावधान होना चाहिए। यह कक्षा VI से IX तक की सभी कक्षाओं पर लागू होना चाहिए।	वर्ष 2004 की वार्षिक परीक्षा के बाद से कक्षा VI को छोड़कर सभी गैर बोर्ड की कक्षाओं की आन्तरिक परीक्षा कार्यालयों द्वारा एक संयुक्त परीक्षा के रूप में आयोजित की गई। जवाहर नवोदय विद्यालयों में सी.सी.ई.के. कार्यान्वयन के पश्चात् से पाठ्येत्तर कार्यकलापों का मूल्यांकन करते हुए ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। अध्येता कार्यकलापों में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।
44.	शिक्षण पद्धति में अति आवश्यक बदलाव की जरूरत है। शिक्षकों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है ताकि उन्हें लेक्चरर होने के बदले बात करने के तरीके से पढ़ाना सिखाया जा सके।	भर्ती हुए नए शिक्षकों के लिए नवोदय लीडरशिप संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही अभिनिर्धारित शिक्षकों (जिनमें छात्रों का सी.बी.एस.ई. परीक्षा में निष्पादन अच्छा नहीं रहा है) के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

1	2	3
45.	शिक्षकों में यह आम धारणा है कि उन पर कार्य का अत्यधिक बोझ है। यद्यपि, उनपर अत्यधिक बोझ नहीं है। उनके बीच इस तरह की राय के लिए समिति की यह प्रवृत्ति कि सब ठीक है, जिम्मेदार है। इसलिए, पाठ्येत्तर कार्यकलापों को तीन अथवा चार वर्गों में बांट दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को उनमें से एक कार्यकलाप का चयन करने को कहा जाना चाहिए तथा उसका मूल्यांकन उस कार्यकलाप के लिए किया जाना चाहिए।	विद्यालयों को उनके यहां विज्ञान प्रौन्नति, संचार कौशल, आई.सी.टी. तथा कला एवं प्रदर्शन कला क्षेत्रों में आयोजित की जाने वाली पाठ्येत्तर कार्यकलापों का चयन करने के बारे में विस्तार से सूचित कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे छात्रों की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करें।
46.	एस.यू.पी.डब्ल्यू. को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक कक्षा को 5-6 छात्रों के ग्रुप में विभाजित कर दिया जाना चाहिए तथा उन्हें स्वच्छता एवं सुन्दरता पर ध्यान देने को कहा जाना चाहिए।	श्रम के महत्व की भावना बच्चों में भरने के लिए, उन्हें छात्रावासों तथा स्कूलों की स्वच्छता का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
47.	बच्चों के मानसिक विकास के लिए विद्यालयों में बच्चों को व्यवसायों के बारे में अवगत कराने के लिए विभिन्न व्यवसायों से लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए।	जवाहर नवोदय विद्यालयों में विभिन्न व्यवसायों के लब्धप्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। तथापि माह में दो बार ऐसे लेक्चरों की समय सूची का स्कूल केलेण्डर में कोई प्रावधान नहीं है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2004-2005 के दौरान इसका अनुसरण किया गया है।
48.	कम्प्यूटर के संबंध में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या अवास्तविक है। छात्रों को विन्डोज/ई मेल भेजने और पढ़ने और इन्टरनेट करने इत्यादि जैसी बुनियादी चीजें करनी सिखानी चाहिएं।	नवोदय विद्यालय समिति ने विशेषज्ञ समिति के सहयोग से पाठ्यचर्या तैयार की है और जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रयोग हेतु पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। बच्चों को विभिन्न स्तरों पर बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। सामान्यतः नेटवर्किंग करते समय विन्डोज और ई.मेल का प्रयोग पहले से ही सम्मिलित है।
49.	बागी-अत्यधिक अनुशासनहीन छात्रों वाले स्कूलों तथा अस्थाई स्थान पर कार्य कर रहे स्कूलों में स्थानान्तरण कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए।	ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्थानान्तरण के संबंध में पुनः विचार किया गया है।
50.	वृहद सामान्य विचारों की अपेक्षा गति-निर्धारक कार्यकलापों हेतु कुछ ठोस कार्रवाई की जाए।	आसपास के स्कूलों के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार परियोजनाओं, संसाधनों के विनिमय और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
51.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ संयुक्त रूप से या अलग से नवोदय विद्यालय के लिए क्षेत्रीय आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिएं। प्रशिक्षण विषय शिक्षण प्रौद्योगिकी, मूल्यपरक शिक्षा और कम्प्यूटर साक्षरता इत्यादि पर केन्द्रित होना चाहिए।	शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चण्डीगढ़, गाजियाबाद, गोवा, गुन्टूर और रंगा रेड्डी में 'नवोदय लीडरशिप इन्स्टीट्यूट' नाम के पांच प्रशिक्षण संस्थान हैं। इस समय ये अनुभव प्राप्त प्रिंसिपलों और समिति के सहायक निदेशकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों में बाहर के विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है।
52.	यद्यपि खेल और शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण और वांछनीय है उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य की अपेक्षा यदि छात्र खेलकूद में नियमित रूप से तथा जोश से भाग लेते हैं तो इसे उपयुक्त समझना चाहिए।	विद्यालय स्तर पर खेल कूद में अधिक से अधिक छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक छात्र प्रातः पी.टी. योग में तथा सायंकाल को चुनिन्दा खेलों में भाग लेता है।
53.	योग में प्रशिक्षण देते समय नवोदय विद्यालय समिति को योग संस्थाओं की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और केवल अच्छे स्तर वाली संस्थाओं को ही अनुमोदन देना चाहिए।	कलवल्याधाम लोनावाला के सहयोग से देश के चुनिन्दा जवाहर नवोदय विद्यालयों में विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

फुटवियर पार्क

1889. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कंपोनेंट तथा फुटवियर पार्कों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर चेन्नई में और पार्क स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) ये पार्क कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारत सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान में 110 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली चमड़ा क्षेत्र की अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चेन्नई में भी चमड़ा फुटवियर एवं कम्पोनेन्ट पार्कस स्थापित करना एवं साथ ही अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

फ्लाईओवर का निर्माण

1890. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में उम्बराज में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर सड़क तथा पुल के निर्माण से संबंधित कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा उम्बराज में फ्लाईओवर के आर.सी.सी. कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन गुणवत्ता मूल्यांकन जांच के क्या परिणाम निकले?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आर.सी.सी. कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन ठेके के उपबंध के अनुसार परियोजना प्रबंध परामर्शदाता द्वारा किया गया है और इस मूल्यांकन ने यह दर्शाया है कि कार्य की गुणवत्ता अनुमोदित गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रगति रिपोर्ट

1891. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एच.एच.ए.आई.) ने हाल ही में मई, 2005 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस मंत्रालय को मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करता है जिसमें परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण, किए गए व्यय, कार्यान्वयन के अधीन ठेकों, कोरीडोरों की चैनेज आदि के ब्योरे दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय शिष्टमंडल का पाकिस्तान दौरा

1892. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी शिष्टमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दौरे के मुख्य उद्देश्य क्या थे; और

(घ) उक्त शिष्टमंडल लक्ष्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल रहा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। 8 अक्तूबर, 2005 को आए भूकम्प के बाद छः सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राहत और पुनर्वास के लिए नियंत्रण रेखा के आर-पार जाने के लिए स्थान खोलने के संबंध में चर्चा करने हेतु 28 से 30 अक्तूबर, 2005 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था।

(घ) दोनों पक्ष निम्नानुसार नियंत्रण रेखा पर पांच स्थान खोलने के लिए सहमत हुए :-

(i) नौसेरी-टिथवाल

(ii) चकोटी-उरी

(iii) हाजीपुर-उरी

(iv) रावलकोट-पुंछ

(v) तत्तपानी-मेंधर

इस बात पर भी सहमति हुई कि नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के बिछुड़े परिवारों के सदस्यों को सीमा पार करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयोजनार्थ यह सहमति हुई कि पूर्व सूचना और स्वीकृति तथा व्यवहार्यता के आधार पर दोनों में से किसी ओर से राहत सामग्री भेजी जा सकती है और उल्लिखित स्थानों पर उसे स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपा जाए। सभी पांचों स्थान 16 नवम्बर, 2005 को खोले गए थे। भूकंप के शिकार लोगों के लिए इन स्थानों से 400 टन से अधिक सामग्री भेजा गई है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता

1893. श्री संतोष गंगवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे भारतीय उद्योग को किस सीमा तक फायदा होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अर्ध-सैनिक बलों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

1894. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आतंकवादी हमलों में मारे गए अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनके आश्रितों ने अनुकम्पा आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी हमलों में अर्द्ध-सैनिक बलों के 553 कार्मिक मारे गऐ। राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) निर्धारित की गई रिक्तियों के 5% को अनुकंपा के आधार पर भरना एक निरंतर प्रक्रिया है और ऐसी नियुक्ति, उत्तराधिकार, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने आदि के अतिरिक्त रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। प्राप्त 105 अनुरोधों में से 12 में नियुक्तियां की गई हैं, 65 आवेदकों ने निर्धारित मानदंड पूरे नहीं किए हैं और 28 विचार की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ तीन अवसर मिलते हैं। अतः एक निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

राज्य	2002	2003	2004	2005 (आज तक)	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	3	0	1	0	4
अरूणाचल प्रदेश	2	4	4	4	14
असम	9	3	4	3	19
बिहार	13	5	12	17	47
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	0	1	0	2
गुजरात	5	2	4	2	13
हरियाणा	15	7	11	7	40
हिमाचल प्रदेश	10	6	8	1	25
जम्मू और कश्मीर	7	11	7	6	31
झारखण्ड	1	2	3	0	6
कर्नाटक	6	6	4	4	20
केरल	6	3	2	2	13
मध्य प्रदेश	10	5	4	7	26
महाराष्ट्र	8	4	3	5	20
मणिपुर	24	7	13	20	64
मेघालय	0	0	0	1	1
मिजोरम	0	0	1	1	2
नागालैंड	0	1	0	0	1
नेपाल	1	0	0	0	1
उड़ीसा	6	2	1	2	11

1	2	3	4	5	6
पंजाब	6	9	9	6	30
राजस्थान	9	6	11	1	27
तमिलनाडु	6	3	5	2	16
त्रिपुरा	5	4	3	1	13
उत्तर प्रदेश	16	14	19	17	66
उत्तरांचल	8	2	1	3	14
पश्चिम बंगाल	12	4	8	3	27
कुल	189	110	139	115	553

[अनुवाद]

जिला पुलिस प्रमुखों की बैठक

1895. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूरे देश के जिला पुलिस प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुलिस अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करने और उनके विरुद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निकाय का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पुलिस अधीक्षकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 1 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुआ था जिससे पहले जून और जुलाई, 2005 माह के दौरान क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएँ आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) संविधान की 7वीं अनुसूची में तहत पुलिस राज्य का विषय है। राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों में से एक पुलिस कार्यकरण का निरीक्षण करने और शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र स्थापित करने संबंधी सिफारिश का कार्यान्वयन करने की अनुशंसा की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के निर्माण की स्थिति

1896. मो. मुकीम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के एक हिस्से धौला कुआं और गुड़गांव के बीच निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को रंगपुरी क्रासिंग पर लूप पुल के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) दिल्ली व जयपुर के बीच रा.रा. 8 के धौलाकुंआ और गुड़गांव खंड को 8/6 लेन का बनाने का कार्य चल रहा है। 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार इस कार्य की वास्तविक प्रगति 61% है।

(ख) जी, हां।

(ग) रंगपुरी/कापसहेड़ा चौराहे पर द्वारका चरण-2 को जाने के लिए ट्रम्पिट किस्म के भूमिगत मार्ग की डिजाइन दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से तैयार की गई है और स्वीकृति के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजी गई है।

[अनुवाद]

महिलाओं संबंधी कानून की समीक्षा

1897. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं संबंधी कानूनों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समीक्षाओं के क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिलाओं एवं बच्चों संबंधी कार्य दल (2000-01) ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों की महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य से समीक्षा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा कार्य दल की समीक्षा में शामिल किये गये कानूनों की सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग तथा कार्य दल द्वारा कानूनों में संशोधन के संबंध में की गयी सिफारिशों की जांच तथा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति में संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा महिला स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा कृषि भूमि सहित सम्पत्ति के उत्तराधिकार में महिलाओं

के प्रति भेदभावपरक उपबंधों को समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 नामक एक नया कानून भी बनाया गया है, जिसके द्वारा मौजूदा कानूनों में कमियों को समाप्त कर दिया गया है।

विवरण

महिलाओं संबंधी कानून की समीक्षा

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	समीक्षाकर्ता रा.म.आ	कार्य दल
1	2	3	4
1.	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	हां	हां
2.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	हां	हां
3.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	हां	हां
4.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	हां	हां
5.	कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984	हां	हां
6.	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	हां	हां
7.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	हां	हां
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	हां	हां
9.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	हां	हां
10.	कारखाना अधिनियम, 1948	हां	हां
11.	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979	हां	हां
12.	विधि व्यावसायी (महिला) अधिनियम, 1923	हां	हां
13.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	हां	हां
14.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	हां	हां
15.	भारतीय दण्ड संहिता के सम्बद्ध उपबंध	हां	हां
16.	दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बद्ध उपबंध	हां	हां
17.	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	नहीं	हां
18.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936	नहीं	हां
19.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	नहीं	हां
20.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923	नहीं	हां
21.	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	नहीं	हां
22.	चलचित्र अधिनियम, 1952	नहीं	हां
23.	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971	हां	नहीं
24.	प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994	हां	नहीं

1	2	3	4
25.	किशोर न्याय अधिनियम, 1986	हां	नहीं
26.	बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	हां	नहीं
27.	विदेशी विवाह अधिनियम, 1969	हां	नहीं
28.	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890	हां	नहीं
29.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	हां	नहीं
30.	विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874	हां	नहीं
31.	हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955	हां	नहीं
32.	हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	हां	नहीं
33.	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869	हां	नहीं
34.	हिन्दु अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956	हां	नहीं
35.	हिन्दु दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956	हां	नहीं
36.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	हां	नहीं
37.	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937	हां	नहीं
38.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संगत उपबंध	हां	नहीं
39.	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	हां	नहीं
40.	संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866	नहीं	नहीं
41.	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987	नहीं	नहीं
42.	सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	नहीं	नहीं
43.	खान अधिनियम, 1952	नहीं	नहीं
44.	ईसाई विवाह अधिनियम, 1872	नहीं*	नहीं

*राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधायी विभाग द्वारा प्रस्तावित ईसाई विवाह विधेयक, 2000 के प्रारूप पर कतिपय टिप्पणियां की हैं।

निजी विद्यालयों की मान्यता

1898. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषत : कर्नाटक में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जिलेवार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बोर्ड स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करता।

जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ का वित्तीय संकट

1899. श्री जुएल ओराम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा सामना की जा रही घोर वित्तीय संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ का वित्तीय संकट दूर करने के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) एक समिति है, जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पंजीकृत है।

ट्राइफेड ने अप्रैल, 1988 में 20.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी से अपना कार्य शुरू किया। इसे 1990-91 में बढ़ाकर 50.00 करोड़ तथा 1993-94 में 100.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। मंत्रालय ने अपने 99.98 करोड़ रुपए की प्रदत्त हिस्सा पूंजी के समक्ष ट्राइफेड में 99.75 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसके अतिरिक्त ट्राइफेड को उसकी 1990-91 में स्थापना से लेकर अब तक हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए "मूल्य समर्थन" योजना के तहत 40.42 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

फिर भी, ट्राइफेड के हिस्सा पूंजी आधार में बहुत क्षरण हुआ है तथा 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार इस संगठन पर 93.62 करोड़ रुपए की संचित हानि का भार और पड़ गया है।

वर्ष 2005-06 के दौरान ट्राइफेड की हिस्सा पूंजी में निवेश योजना के लिए 6.00 करोड़ रुपए तथा "ट्राइफेड के मूल्य समर्थन कार्यों" की योजना के समक्ष 4.00 करोड़ रुपए की निधियां आबंटित की गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रखरखाव

1900. श्री जोवाकिम बखला : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की नियमित अंतराल पर मरम्मत/रखरखाव की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर कितने पुल हैं और प्रत्येक पुल कितना पुराना है और गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के लिए किए मरम्मत/दुरुस्त करने और/अथवा सुदृढ़ बनाने संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में किसी पुल को क्षति पहुंची है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाता है तथा धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए मरम्मत/रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

(ग) पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर 66 पुल हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) अभी हाल में उग्रवादियों के हमले के कारण रा.रा. 53 के 98.70 कि.मी. पर ट्रिपल सिंगल रिइनफोर्सड बेली पुल और 145.09 कि.मी. पर बेली सस्पेंशन पुल को क्षति पहुंची। 98.70 कि.मी. पर एक नया बेली पुल लांच किया गया है तथा 145.09 कि.मी. पर बेली सस्पेंशन पुल की मरम्मत की गई और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर विद्यमान पुलों के ब्यौरे

क्र. सं.	कि.मी. पर स्थान	निर्माण का वर्ष	गत तीन वर्षों के दौरान की गई मरम्मत/पुनर्बहाली/सुदृढ़ीकरण के ब्यौरे
1	2	3	4
1.	3.58	1989	
2.	8.84	2000	
3.	11.16	2005	
4.	13.27	2002	
5.	15.3	1988	गत तीन वर्षों के दौरान अति गंभीर उग्रवाद के कारण पुलों पर कोई मरम्मत/पुनर्बहाली और सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई/अगस्त, 2005 में आपरेशन के पश्चात् कार्य पुनः प्रारंभ हुआ।
6.	19.1	ज्ञात नहीं	
7.	18.29	1955	
8.	23.1	2002	
9.	24.43	2002	
10.	24.85	1999	
11.	27.68	1993	
12.	9.67	1992	
13.	15.15	1985	
14.	18.24	1989	
15.	22.14	2000	
16.	19.5	1992	
17.	32.84	2000	
18.	37.9	1971	

1	2	3	4
19.	41.01	ज्ञात नहीं	
20.	44.82	ज्ञात नहीं	
21.	145.09	1971	
22.	146.7	1972	
23.	147.7	ज्ञात नहीं	
24.	148.5	ज्ञात नहीं	
25.	151.1	ज्ञात नहीं	
26.	152.9	ज्ञात नहीं	
27.	155.5	ज्ञात नहीं	
28.	155.7	1971	
29.	188.72	1971	
30.	189.8	ज्ञात नहीं	गत तीन वर्षों के दौरान अति गंभीर उग्रवाद के कारण पुलों पर कोई मरम्मत/पुनर्बहाली और सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई/अगस्त, 2005 में आपरेशन के पश्चात् कार्य पुनः प्रारंभ हुआ।
31.	189.83	1970	
32.	190	1970	
33.	190.55	1970	
34.	190.88	1971	
35.	191.75	1971	
36.	193.15	1975	
37.	194.45	ज्ञात नहीं	
38.	203.7	ज्ञात नहीं	
39.	208.9	ज्ञात नहीं	
40.	208.9	ज्ञात नहीं	
41.	210.5	1970	
42.	211.76	1970	
43.	212.03	1970	
44.	212.05	ज्ञात नहीं	
45.	212.7	ज्ञात नहीं	
46.	213.4	1970	
47.	215.73	1970	

1	2	3	4
48.	8.8	ज्ञात नहीं	
49.	12.7	ज्ञात नहीं	
50.	25.5	ज्ञात नहीं	
51.	33.25	ज्ञात नहीं	
52.	43.9	ज्ञात नहीं	
53.	52.13	ज्ञात नहीं	
54.	54.2	ज्ञात नहीं	
55.	56.29	ज्ञात नहीं	गत तीन वर्षों के दौरान अति गंभीर उग्रवाद के कारण पुलों पर कोई मरम्मत/पुनर्बहाली और सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई/अगस्त, 2005 में आपरेशन के पश्चात् कार्य पुनः प्रारंभ हुआ।
56.	62.3	ज्ञात नहीं	
57.	63.18	ज्ञात नहीं	
58.	69.61	ज्ञात नहीं	
59.	72.65	ज्ञात नहीं	
60.	73.4	ज्ञात नहीं	
61.	98.7	ज्ञात नहीं	
62.	137.3	ज्ञात नहीं	
63.	138.8	ज्ञात नहीं	
64.	143.2	ज्ञात नहीं	
65.	144.8	ज्ञात नहीं	
66.	226	1966	

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 का चौड़ीकरण

1901. श्री टी.के. हमजा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोड से ससरगोड तक के मार्ग खंड सहित कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 अपर्याप्त रूप से संकरा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के चौड़ीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) रा.रा. 17 की कुल लंबाई 1333 कि.मी. है जिसमें से कुल 144 कि.मी. में दो लेन से कम चौड़ा कैरिजवे है।

केरल में रा.रा. 17 के कोझीकोड-ससरगोड (कासरगोड) खंड जिसकी लंबाई 195 कि.मी. है पहले से ही दो लेन का है सिवाय एक कि.मी. लंबाई (181/0-182/0 कि.मी.) के जो 5.5 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। दो लेन के सात मीटर चौड़े कैरिजवे को लगभग 15000 यात्री कार यूनिट यातायात के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) और (ग) रा.रा. 17 जिसकी चौड़ाई दो लेन के कैरिजवे से कम है, की 144 कि.मी. लंबाई में से 107 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन बनाने के लिए शामिल की गई है जिसे दिसम्बर, 2009 में पूरा करने का लक्ष्य है। कुल 46 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया है और इस कार्य को दिसम्बर, 2006 में पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। इस 46 कि.मी. लंबाई में केरल में 23 कि.मी. लंबा खंड शामिल है जिसे एनएचडीपी चरण-III (107 कि.मी.) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

अखाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबंध

1902. श्री अवतार सिंह भडाना :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में अखाद्य तेजों का आयात बढ़ा है और रासायनिक प्रक्रिया से खाद्य तेल उत्पादन में उनका उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इनके उपभोग से हृदय रोग तथा अन्य घातक बीमारियां होती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अखाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखाद्य तेल का आयात निम्नानुसार घटता-बढ़ता रहा है :-

मात्राः हजार कि.ग्रा. में मूल्य लाख रु. में

2002-03		2003-04		2004-05	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
76795.96	25825.82	69050.06	16469.17	78560.64	25584.95

(ग) हृदय रोगों और अन्य घातक बीमारियों का संबंध जीवन-शैली में परिवर्तन जैसे कि शारीरिक कार्यकलाप में कमी, खान-पान की आदतों में परिवर्तन, वसा एवं चीनी के उपभोग में वृद्धि, रेशेदार और सूक्ष्म पोषकों (फोलिक एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट्स) आदि के कम उपयोग से माना जाता है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। पशु मूल के अखाद्य तेल का आयात पहले से ही प्रतिबंधित है।

जापान द्वारा भारत में निवेश

1903. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जापान द्वारा जिन उद्योगों में निवेश किया गया है इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जापान ने उक्त अवधि के दौरान कुछ संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं और इनमें जापान द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;

(घ) क्या जापान का विचार चालू वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यामों में और निवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान जापान से एफ.डी.आई. अन्तर्वाह प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मौजूदा नीति के तहत स्वतः मार्ग के अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है जिनके लिए सरकारी अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। सरकार ने जनवरी, 2002 से सितम्बर, 2005 तक के दौरान जापानी निवेशकों से 1031.56 करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु 182 संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (जनवरी, 2002 से सितम्बर, 2005 तक) जापान से कुल विदेशी निवेश 3396.72 करोड़ रुपये का था। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बतायी गई जनवरी, 2002 से सितम्बर, 2005 के दौरान जापान से अन्तर्वाह के ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) उदारीकृत आर्थिक माहौल के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय उनके वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण-I

जनवरी, 2002 से सितम्बर, 2005 तक के दौरान जापान से एफ डी आई अन्तर्वाह प्राप्त करने वाले क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2002 जनवरी-दिसम्बर	2003 जनवरी-दिसम्बर	2004 जनवरी-दिसम्बर	2005 जनवरी-सितम्बर	संचयी योग
1.	धातुकर्मी उद्योग	3.00	0.51	1.76	4.59	9.86
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	0.80	0.20	0.26	0.00	1.26
3.	बॉयलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
4.	विद्युत उपकरण (सॉफ्टवेयर तथा इलैक्ट्रानिक सहित)	98.09	123.55	29.65	55.78	306.94
5.	दूरसंचार	7.00	0.00	1.25	0.45	8.70
6.	परिवहन उद्योग	1711.65	77.35	330.92	150.15	2270.07
7.	औद्योगिक मशीनरी	32.93	0.12	0.01	0.24	33.29
8.	मशीन औजार	0.00	0.86	0.01	64.42	65.29
9.	विविध यांत्रिक और इंजीनियरिंग	6.01	38.00	0.00	2.50	46.51
10.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87
11.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरण	0.00	.01	0.00	0.00	0.01
12.	औद्योगिक यंत्र	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
13.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	0.00	2.30	6.07	16.93	25.29
14.	वस्त्र (रंजक तथा मुद्रण सहित)	0.00	0.40	0.00	118.26	118.66
15.	कागज उत्पाद सहित कागत तथा लुग्दी	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2.55	15.05	0.00	0.00	17.60
17.	रबड़ की वस्तुएं	0.00	66.58	18.81	0.84	86.23
18.	सिरेमिक	0.00	0.00	119.66	0.00	119.66
19.	परामर्शदायी सेवाएं	0.00	0.38	6.01	1.99	8.38
20.	सेवा क्षेत्र	85.76	37.03	5.00	24.93	152.73
21.	होटल एवं पर्यटन	2.37	0.72	0.19	1.01	4.28
22.	व्यापार	0.00	24.39	4.04	2.34	30.77
23.	विविध उद्योग	5.31	44.74	9.36	3.70	63.10
	कुल	1980.46	434.39	533.74	448.13	3396.72

टिप्पणी : 1. केवल 'इक्विटी पूंजी घटक' सम्मिलित है।

2. राशि में केवल एस आई ए/एफ आई पी बी मार्ग, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः मार्ग के जरिये प्राप्त अन्तर्वाह शामिल है।

विवरण-II

जनवरी, 2002 से सितम्बर, 2005 तक एफ डी आई अन्तर्वाह प्राप्त करने वाले क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य के अन्तर्गत आने वाला	2002 जनवरी-दिसम्बर	2003 जनवरी-दिसम्बर	2004 जनवरी-दिसम्बर	2005 जनवरी-सितम्बर	संचयी योग
1.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.20	1.29	0.20	1.69
2.	अहमदाबाद	गुजरात	0.00	0.00	144.28	0.00	144.28
3.	बंगालैर	कर्नाटक	56.27	26.62	0.65	1.09	84.63
4.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	0.43	7.40	0.17	0.89	8.89
5.	मुम्बई	महाराष्ट्र दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	98.75	33.46	8.33	130.04	270.59
6.	चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	74.50	40.30	0.03	11.10	125.93
7.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
8.	चण्डीगढ	चण्डीगढ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
9.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग तथा हरियाणा	1494.53	195.33	356.44	126.36	2172.65
10.	पणजी	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63
11.	दर्शाये नहीं गये राज्य		255.97	131.07	22.54	177.78	587.36
		कुल योग	1980.46	434.39	533.74	448.13	3396.72

पाद टिप्पण :

1. केवल 'इक्विटी पूंजी घटक' सम्मिलित है।
2. उपर्युक्त राज्यवार अन्तर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत की गई भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रवार अन्तर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

राज्य मानवाधिकार आयोगों को अधिक अधिकार

1904. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने राज्य मानवाधिकार आयोगों के कार्यकरण पर असंतोष व्यक्त किया है और कहा है कि इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाए जाने के लिए राज्य सरकारों को बहुत कुछ करना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) और राज्य मानवाधिकार आयोग की मई, 2005 में हुई बैठक में अध्यक्ष महोदय ने चिंता प्रकट की कि केवल कुछ राज्यों ने ही मानवधिकार आयोग स्थापित किए हैं। उन्होंने जोर दे कर कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया है वे शीघ्र ही इनका गठन कर दें। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों को आयोगों के सही परिप्रेक्ष्य में इनकी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए।

अमरीका से प्राप्त चेतावनी की जांच

1905. श्री रेवती रमन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2005 में नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा आतंक संबंधी चेतावनी जारी की गयी थी जिसमें देश में विशेषतः हैदराबाद, नई दिल्ली और मुम्बई में अमरीकी हितों के खिलाफ आत्मघाती कार बम हमले सहित आतंकवादी हमले की संभावित खतरे की चेतावनी अमरीकी नागरिकों को दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चेतावनी को जारी किए जाने के पश्चात् कोई आशंकित घटना घटी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आशंकित घटनाओं की जांच करने तथा/या अमरीकी भय को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) भारत में हाल में किसी भी अमरीकी नागरिक के साथ कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है।

(घ) जब कभी आसूचना जानकारियों से भारत में अमरीकी हितों के प्रति किसी भी खतरे का पता चला है तो उनकी सुरक्षा को मजबूत करने सहित किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

उद्योगों को वित्तीय सहायता

1906. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जिन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि, उद्योग और खनिज सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक कितनी राशि उपयोग में लायी गई है; और

(घ) घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) महोदय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग समग्र औद्योगिक नीति के लिए उत्तरदायी है जबकि अलग-अलग प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उन्हें आबंटित किये गये विशिष्ट उद्योगों के उत्पादन, वितरण, विकास तथा योजना पहलुओं का कार्य देखते हैं। इस विभाग ने मुख्य रूप से दो योजनाएं तैयार की है जिनके अधीन उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के विकासार्थ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजनाएं हैं विकास केन्द्र योजना और औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.)। इसके अतिरिक्त सीमेंट, नमक तथा चमड़ा क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाओं के साथ-साथ औद्योगिक पार्कों, पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक विकास हेतु योजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों को आकृष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए विकास केन्द्रों को विद्युत, पानी, दूर-संचार तथा बैंकिंग, इत्यादि जैसी मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी, इस तरह क्षेत्र-वार सहायता प्रदान नहीं की जाती है। फिर भी, पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न विकास केन्द्रों को राज्यवार दी गई तथा उपयोग की गई सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

आई.एस.यू. योजना में वित्तीय सहायता उद्योग-वार प्रदान की जाती है। दी गई तथा उपयोग की गई सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए विकास केन्द्र योजना की स्थापना की गई है। चुनिंदा कार्यशील समूहों (क्लस्टर्स)/स्थापना स्थलों में सरकारी/निजी भागीदारी के जरिये गुणवत्ता अवसंरचना में बढ़ोतरी करके घरेलू उद्योग की अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए आई.आई.यू.एस. की स्थापना की गई है जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अधिक संभावना है।

विवरण-I

विकास केन्द्रों को तीन वर्ष के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विकास केन्द्र का नाम (राज्य-वार)	2002-03	2003-04	2004-05	योग	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
i.	आन्ध्र प्रदेश	110	100	295	505	उपयोग में लायी गई

1	2	3	4	5	6	7
ii.	अरूणाचल प्रदेश	320	200		520	उपयोग में लायी गई
iii.	असम	900	566	200	1666	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
iv.	बिहार	200			200	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
v.	छत्तीसगढ	100	107		207	उपयोग में लायी गई
vi.	गोवा		176		176	176.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
vii.	गुजरात	300			300	300.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
viii.	हरियाणा	450			450	उपयोग में लायी गई
ix.	हिमाचल प्रदेश	153	500		653	उपयोग में लायी गई
x.	जम्मू और कश्मीर	275	1000		1275	उपयोग में लायी गई
xi.	झारखंड		200		200	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
xii.	कर्नाटक					
xiii.	केरल					
xiv.	मध्य प्रदेश	250	365	300	915	125.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
xv.	महाराष्ट्र		290		290	उपयोग में लायी गई
	योग		290		290	उपयोग में लायी गई
xvi.	मणिपुर					
xvii.	मेघालय		500		500	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
xviii.	मिजोरम	180	400		580	उपयोग में लायी गई
xix.	नागालैण्ड					
xx.	उड़ीसा	240	228	150	618	उपयोग में लायी गई
xxi.	पांडिचेरी	250			250	उपयोग में लायी गई
xxii.	पंजाब					
xxiii.	राजस्थान	850		800	1650	उपयोग में लायी गई
xxiv.	सिक्किम		500		500	उपयोग में लायी गई
xxv.	तमिलनाडु					
xxvi.	त्रिपुरा	500	430		930	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
xxvii.	उत्तरांचल		1000		1000	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
xxviii.	उत्तर प्रदेश	250	150	650	1050	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतिक्षित
xxix.	पश्चिम बंगाल	300		400	700	उपयोग में लायी गई
	कुल योग	5628	6712	2795	15135	

विवरण-II

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस) स्वीकृत किए गए समूह प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	समूह (क्लस्टर) का नाम	राज्य	परियोजना लागत	केन्द्रीय अनुदान	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
2003-2004 में अनुमोदित						
1.	वस्त्र समूह	त्रिपुर, तमिलनाडु	143.50	50.00	25.00	20.24
2.	रसायन समूह	वापी, गुजरात	54.31	40.49	12.50	2.63
2004-2005 में अनुमोदित						
3.	आटो समूह	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	31.08	23.50	7.80	लागू नहीं
4.	धातुकर्मी उद्योग	जाजपुर, उड़ीसा	62.50	47.00	15.66	0.38
5.	आटो एंसिलरी समूह	चेन्नई, तमिलनाडु	47.20	35.00	11.70	-शून्य-
6.	रसायन समूह	अंकलेश्वर, गुजरात	152.83	50.00	33.40	16.70
7.	आटो कंपोनेन्टस समूह	पुणे, महाराष्ट्र	59.99	44.99	15.00	-शून्य-
8.	सीरियल्स, पल्सेज तथा स्टेपल्स समूह	मदुरई, तमिलनाडु	39.96	29.97	10.00	-शून्य-
9.	वस्त्र समूह	लुधियाना, पंजाब	17.19	12.69	4.21	0.58
10.	मार्बल समूह	किशनगढ़, राजस्थान	36.80	27.60	9.20	2.53
11.	आटो समूह	पीतमपुरा, मध्य प्रदेश	73.29	49.94	16.65	-शून्य-
12.	फाउण्ड्री समूह	बेलगाम, कर्नाटक	24.78	18.54	6.19	0.16
13.	मशीन टूल समूह	बंगलौर, कर्नाटक	135.55	49.12	16.37	2.54
14.	कॅयर समूह	केरल	56.80	42.60	14.20	-शून्य-
15.	वस्त्र समूह, पानीपत	हरियाणा	54.53	40.90	13.63	-शून्य-
16.	जेम तथा ज्वेलरी समूह, सूरत	गुजरात	85.80	50.00	16.70	-शून्य-
17.	फार्मा समूह	हैदराबाद	66.16	49.62	-शून्य-	लागू नहीं
18.	इस्पात भूमि समूह	रायपुर, छत्तीसगढ	54.11	29.87	-शून्य-	लागू नहीं
19.	चमड़ा समूह	कानपुर, उत्तर प्रदेश	27.34	9.747	1.95	4.34
20.	फाउण्ड्री समूह	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	119.74	40.40	8.48	-शून्य-
21.	मल्टी उद्योग समूह	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	67.25	36.97	7.39	-शून्य-
22.	रबड़ समूह	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	29.74	15.72	3.14	-शून्य-
23.	वस्त्र समूह	आइचलकरंजी, महाराष्ट्र	65.07	32.70	6.54	-शून्य-

1	2	3	4	5	6	7
24.	रसायन समूह	अहमदाबाद, गुजरात	69.86	41.39	8.30	-शून्य-
25.	चमड़ा समूह	अम्बूर, तमिलनाडु	67.34	43.49	8.70	-शून्य-
26.	पम्प, मोटर तथा फाण्ड्री समूह	कोयम्बटूर, तमिलनाडु	66.39	39.22	8.00	-शून्य-

अमृतसर-अटारी मार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

1907. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
डा. रतन सिंह अजनाला :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब सरकार को प्राथमिकता के आधार पर अमृतसर-अटारी मार्ग को चार लेनों वाला बनाए जाने के अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग

1908. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और प्रशान्त क्षेत्र हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग ने ट्रांस एशियन रेलवे तथा एशियन हाइवे नेटवर्क के मार्गों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो मार्ग और जुड़े शहरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) :

ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क

(क) से (ग) एस्कैप ने ट्रांस-एशियन रेलवे नेटवर्क को अन्तिम रूप नहीं दिया है। वे इस नेटवर्क को एक अंतरसरकारी करार के जरिए औपचारिक रूप देने के लिए कदम उठा रहे हैं।

एशियन हाईवे नेटवर्क्स

एशियन हाईवे नेटवर्क के संबंध में अंतरसरकारी करार दिनांक 4.7.2005 से लागू हुआ है। एशियन हाइवे नेटवर्क 32 देशों में फैला हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 1,40,000 कि.मी. से अधिक है। एशियन हाइवे की भारत में कुल लंबाई लगभग 11,458 कि.मी. है जिसमें लगभग 11,432 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 26 कि.मी. राज्यीय सड़के हैं। एशियाई हाईवे करार का कार्यान्वयन एशियन हाईवेज से संबंधित एक कार्यदल को सौंपा गया है। जिसकी सदस्यता एस्कैप के सभी सदस्यों के लिए खुली है। करार अंतर्राष्ट्रीय महत्व के राजमार्ग रूटों के विकास के लिए एक समन्वित योजना है जिसे सदस्य अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों के ढांचे के भीतर शुरू करने का इरादा रखते हैं।

भारत में एशियाई राजमार्ग रूट पर मुख्य शहर नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता, बनगांव, नागांव, दिमापुर, कोहिमा, इम्फाल, मोरेह, ग्वालियर, धुले, ठाणे, बेगाम, बंगलौर, कृष्णागिरी, मदुरई, नागपुर, खड़गपुर, बरौनी, रक्सौल, रामपुर बानी, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, चेन्नई आदि हैं।

इस रूट पर आने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शहर टोक्यो, सिओल, बीजिंग, हो चि मिन्ह सिटी, बैंकाक, लाहौर, इस्लामाबाद, तेहरान, अंकारा, इमम्बूल, जकार्ता, सिंगापुर, कुआलालम्पुर, काबुल, मास्को, नॉम पेन्ह, चटगांव, ढाका आदि हैं।

सी.आर.पी.एफ. को सुदृढ़ बनाना

1909. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी.आर.पी.एफ. को सुदृढ़ बनाने और उसके जवानों के लिए अवसंचरनात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य अर्ध-सैनिक बलों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय पुलिस बलों (सी.पी.एफ.) की संख्या में वृद्धि करना और

आधारभूत ढांचे में सुधार लाना एक निरंतर प्रक्रिया है। जिस परिवेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) और अन्य केन्द्रीय पुलिस बल कार्य करते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए वे अतिरिक्त मानव शक्ति और आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं को प्रोजेक्ट करते हैं।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1910. श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्युरिटी के आधार पर कुछ देशों से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ देशवार किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन और क्रियान्वयन के पश्चात् ऐसे देशों के विद्यमान उद्यमों को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) किसी भी देश से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर सुरक्षा कारणों से रोक लगाने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

राजस्थान में अंतरराज्यीय सड़कों के लंबित प्रस्ताव

1911. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के समक्ष राजस्थान में अंतरराज्यीय सड़कों से संबंधित प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार द्वारा अंतरराज्यीय सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक तकनीकी और वित्तीय मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में राजस्थान सरकार से राजस्थान में अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए 29.89 करोड़ रुपए के 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 14.40 करोड़ रुपए के 6 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं, 11.50 करोड़ रु. के दो प्रस्ताव संशोधन के लिए राज्य सरकार को वापस भेजे गए और 3.49 करोड़ रु. के एक प्रस्ताव जो नवम्बर 2005 में प्राप्त हुआ है, की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) राजस्थान में अंतर्राज्यीय सड़क स्कीम के अंतर्गत 7 नवम्बर 2005 को 5.18 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.पी.सी.जी. योजन का दुरूपयोग

1912. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैप्टिल स्कीम के दुरूपयोग से संबंधित मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, जैसाकि दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और वर्ष 2005-06 के दौरान आज की तिथि तक दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत होने वाले दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां। कारों के आयात के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम का कथित दुरूपयोग सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने कारों सहित आयातित वाहनों पर सीमाशुल्क अपवंचन के बारे में आठ मामले दर्ज किए हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये मामले सेवा प्रदाताओं हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए हैं। डी.आर.आई. द्वारा, सेवा प्रदाताओं के लिए निर्यात संवर्धन स्कीम के दुरूपयोग के संबंध में 23.58 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य के कुल 61 वाहन जब्त किए गए हैं।

(ग) डीआरआई द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने भी आठ मामलों में जिन चूककर्ताओं ने वाहनों के आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	प्राप्त ईपीसीजी लाइसेन्सों की संख्या	आयातित वाहनों की संख्या	जब्त वाहनों की संख्या	अनन्तिम रूप से मुक्त किए गए वाहनों की संख्या	अनन्तिम मुक्ति पर वसूला गया कुल शुल्क (लाख रुपए)
01	मै. वी.के. टूर एण्ड ट्रेवल्स	10	19	16	03	93.05
02	मै. राज महल बिल्डर	03	13	11	05	98.33
03	मै. हिस्ट्री लॉजिस्टिक्स	15	24	17	05	86.83
04	मै. नॉर्थ वेस्ट मारवाड रिसॉर्ट्स एण्ड हेल्थ स्पा. प्रा.लि.	04	04	04	-	-
05	मै. जी.बी. मॉरीसन	05	05	04	04	69.30
06	मै. ओंकार इंटरनेशनल प्रा.लि.	06	05	02	01	19.83
07	मै. वेकेशन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स लि.	10	06	05	04	122.00
08	मै. ब्राइट स्टार होटेल्स	02	02	02	02	110.74
	कुल	55	78	61	24	600.08

[हिन्दी]

जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियां

1913. श्री कैलाश मेघवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में बार-बार प्रकाशित होने वाले इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बहुत से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लेक्चरर के पद पर जाली नेट सर्टिफिकेट रखने वाले लोगों को नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है/उसके ध्यान में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी नियुक्तियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जाली 'नेट' प्रमाणपत्रों के बारे में छपे समाचार की ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों/शिक्षा सचिवों से यह अनुरोध किया है कि शिक्षण पदों के लिए चुने गए छात्रों के "नेट" प्रमाणपत्रों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से करा लें। विश्वविद्यालयों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

भारतीय परिवहन अवसंरचना में अमरीकी निवेश

1914. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में हुए सम्मेलन के दौरान हुई वार्तानुसार भारतीय परिवहन अवसंरचना में अरमीकी निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अमरीकी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा क्या वायदे किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) वाशिंगटन डी.सी. में 25 अक्टूबर 2005 को आयोजित फिक्की, यू.एस.आई.बी.सी. परिवहन अवसंरचना सम्मेलन में अमरीकी उद्यमियों को भारत के सड़क अवसंरचना कार्यक्रमों में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में सड़क निर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी अनुदान की व्यवस्था, कर छूट और उपस्करों के शुल्क मुक्त आयात जैसे विभिन्न

प्रोत्साहनों सहित एक समर्थकारी नीतिगत ढांचा तैयार करके भारत में सड़क विकास कार्यक्रम को निजी क्षेत्र की भागदारी के लिए खोले जाने के बारे में जानकारी दी गई थी।

अमरीकी निवेशकर्ताओं को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण रियायत दस्तावेज के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जारी जानकारी दी गई है।

निवेश, निर्माण केलिए सौंपी गई परियोजनाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निवेशकर्ताओं द्वारा परियोजना स्थल के निरीक्षण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और इसलिए अमरीकी उद्योग की प्रतिक्रिया के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अवसंरचना का दर्जा देना

1915. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अवसंरचना का दर्जा देने के लिए नीति संबंधी प्रारूप तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) आवास उद्योग को अवस्थापना हैसियत प्रदान करने के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) और फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) से प्राप्त सुझावों को समुचित कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय भेजा गया है जो इस प्रयोजन के लिए नोडल मंत्रालय है।

अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की कैंसर जांच

1916. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की चिकित्सा जांच के दौरान उनकी कैंसर जांच किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो क्या इस कार्य में प्रतिष्ठित अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ को लगाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट

1917. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तारीख तक देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों और परिसरों पर विशेषकर बिहार और झारखंड में हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विस्फोटों के कारण हुई जान और माल की हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी करने और उन्हें दंड देने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) पिछले तीन वर्षों (2003, 2004 तथा 2005 अक्तूबर, तक) देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों में हुए बम विस्फोटों के राज्य-वार ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन घटनाओं के कारण मारे गए व्यक्तियों के राज्यवार ब्योरे विवरण-II पर दिए गए हैं। संपत्ति को हुई क्षति विवरण-III पर दी गई है।

(ग) विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों में हुए बम विस्फोटों के मामलों का पंजीकरण और जांच संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) द्वारा की जाती है। तथापि, रेल मंत्रालय इस संबंध में संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

(घ) आतंकवादियों और अन्य शरारती तत्वों की ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) रेलवे सम्पत्तियों और लाइनों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण खंडों में गश्त उपलब्ध करवाता है। सिविल और पुलिस प्राधिकारियों के साथ प्रायः सूचना का आदान-प्रदान और समन्वय किया जाता है। महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में आर.पी.एफ. तथा राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) को मार्गरक्षी के रूप में तैनात किया जाता है। आई.ई.डी./विस्फोटकों की जांच के लिए खोजी (स्नाईफर) कुत्तों का उपयोग किया जाता है। अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय में आर.पी.एफ. की शाखा संदेहास्पद गतिविधियों पर भी नजर रखती है। रेल गाड़ियों तथा रेलवे परिसरों में संदेहास्पद तत्वों के विरुद्ध आर.पी.एफ. कार्मिकों तथा अन्य रेलवे स्टाफ द्वारा नियमित सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। हैन्ड हैल्ड मेटल

डिटेक्टर (एच.एच.एम.डी.) तथा डोर फ्रेमेड मेटल डिटेक्टरों (डी.एफ.एम.डी.) का इस्तेमाल करके यात्रियों की गहन जांच की जाती है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान रेल पटरियों और गाड़ियों सहित रेलवे परिसरों में हुए बम विस्फोट

राज्य	2003	2004	2005 (अक्तूबर तक)
असम	05	05	01
आन्ध्र प्रदेश	06	05	-
बिहार	08	07	01
छत्तीसगढ़	-	01	-
जम्मू और कश्मीर	02	-	-
झारखंड	07	06	03
कर्नाटक	-	01	-
केरल	01	-	-
मध्य प्रदेश	01	-	-
महाराष्ट्र	01	-	-
नागालैंड	-	01	-
उड़ीसा	-	01	-
उत्तर प्रदेश	02	-	01
पश्चिम बंगाल	07	02	01
कुल	40	29	16

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल पटरियों और गाडियों सहित रेलवे परिसरों में हुए बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्ति

राज्य	2003	2004	2005 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4
असम	-	14	1
बिहार	-	1	-
जम्मू और कश्मीर	1	-	-
कर्नाटक	-	1	-
महाराष्ट्र	11	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	09
कुल	12	16	10

विवरण-III

पिछले 3 वर्षों के दौरान रेलवे परिसरों/रेलवे स्टेशनों पर हुए बम विस्फोटों के कारण सम्पत्ति को हुई हानि के अंचल (जोनल) वार ब्यौरे

(रुपयों में)

जोन	2003	2004	2005 (अक्तूबर तक)
सी.आर./महाराष्ट्र	5,00,000	-	-
ई.आर./पश्चिम बंगाल	12,000	-	-
ई.सी.ओ.आर./आन्ध्र प्रदेश	6,01,668	-	-
ई.सी.ओ.आर./उड़ीसा	-	29,500	-
ए.सी.आर./आन्ध्र प्रदेश	32,96,500	5,50,000	-
एस.डब्ल्यू.आर./आन्ध्र प्रदेश	15,00,000	-	-
एस.डब्ल्यू.आर./कर्नाटक	-	10,00,000	-
ई.सी.आर./बिहार और ई.सी.आर./झारखंड	51,51,460	16,43,000	68,14,000
एन.आर./जम्मू और कश्मीर	18,72,220	-	-
एन.आर./उत्तर प्रदेश	-	-	1,20,000
एन.एफ.आर./असम	46,40,160	9,40,266	40,000
एन.एफ.आर./पश्चिम बंगाल	-	6,93,752	-
एन.एफ.आर./नागालैंड	-	2,40,000	-

[अनुवाद]

बच्चों को नागरिकता

1918. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अवैध उत्प्रवासियों के भारत में जन्में बच्चों को नागरिकता दिए जाने से संबंधित कानून में संशोधन की मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पर्यटन वीजा जारी करना

1919. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने वीजा जारी करते समय सामने आने वाली अनेक खामियों के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल के अधिकारी

1920. श्री काशीराम राणा :
श्री सुनिल कुमार महतो :
मो. मुकीम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल के अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तिहाड़ जेल में जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन किये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या ऐसे आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच किये जाने की कोई व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) तिहाड़ जेलों को दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 और दिल्ली जेल नियमावली के उपबंधों के अनुसार ही चलाया जा रहा है। तथापि, ऐसे इक्के-दुक्के मामले हैं जहां कुछ अधिकारियों को जेलों में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने या असंगत कारणों से सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कैदियों का पक्षपात करने में संलिप्त पाया गया।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) कारागार विभाग ने सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों और भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की है। वर्ष 2005 के दौरान सोलह पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। वर्ष 2002 से इकत्तीस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। 59 पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है।

(ङ) कारगार के पदाधिकारियों से दिल्ली जेल नियमावली और दिल्ली कारगार अधिनियम के उपबंधों, सी.सी.एस. आचरण नियम, 1964 का पालन करवाने के उद्देश्य से कारागार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(i) दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 और दिल्ली जेल नियमावली के उपबंधों के अनुसार मानदंडों के उल्लंघन के सभी मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ii) दिल्ली कारागार अधिनियम और दिल्ली जेल नियमावली के कानूनी उपबंधों में, अधिनियम/नियमावली के तहत उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और प्रतिबद्धता के स्तर, कर्तव्यों के प्रति समर्पण और निष्ठा के बारे में हर स्तर के कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का प्रावधान है।

(iii) शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक तंत्र है और प्रत्येक जेल में अधीक्षक (कारागार) की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति है। समिति के निर्णय के विरुद्ध डी.आई.जी. (कारागार) से अपील करने का भी प्रावधान है।

(iv) डी.जी. (कारागार) के याचिका बाक्स को कैदियों में घुमाया जाता है और प्राप्त याचिकाओं की कारागार मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है।

(v) प्रत्येक जेल ने आमंत्रित न्यायाधीश पदनामित किया हुआ है जो दो महीने में एक बार जेल का दौरा करता है। प्रत्येक जेल में स्थापित आमंत्रित न्यायाधीश का याचिका बाक्स स्वयं उनके द्वारा खोला जाता है और ऐसी याचिकाओं पर उनके आदेशों से कार्रवाई की जाती है।

(vi) पदनामित जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रत्येक जेल का दौरा किया जाता है और वे अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करते हैं।

(vii) जनता के साथ सम्पर्क करने, सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता की शुरूआत की गई है।

(viii) मुलाकात की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई है।

(ix) वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा जेलों का नियमित और अचानक निरीक्षण किया जाता है।

(x) भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को जनता के सेवक के रूप में उनके दायित्व के बारे में बताया जाता है। कर्मचारियों को अलग-अलग जेलों में सभी स्तरों पर अक्सर बारी-बारी से तैनात किया जाता है ताकि वे किसी भी कारागार से अधिक समय तक रहने पर निहित स्वार्थ विकसित न कर सकें। किसी भी कारागार में काम करने की अधिकतम अवधि निश्चित की गई है जो कार्यात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

पटाखों हेतु लाइसेंस

1921. श्री वीरचन्द्र पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटाखों हेतु लाइसेंस जारी करने से पूर्व दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिशानिर्देशों के संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि पटाखों हेतु लाइसेंस प्राप्तकर्ता निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें;

(ग) क्या कुछ पटाखों के लाइसेंस प्राप्तकर्ता निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस संबंध में कोई निरीक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे लाईसेंस प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस, स्थलों के चुनाव; लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षोपाय; दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने; और पटाखों हेतु ध्वनि मानक इत्यादि सहित पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्रता के संबंध में समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी करती है। दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विस्फोट संबंध नियमों के उपबंधों का सख्ती से पालन किया जाए।

(ग) से (च) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2005 (15 अक्तूबर तक) के दौरान, दिल्ली पुलिस ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पटाखों के लाइसेंस धारकों के विरुद्ध 21 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में से, एक मामले में एक व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया है, एक मामला न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है और दिल्ली पुलिस द्वारा शेष 19 मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा पटाखा लाइसेंस धारकों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

विज्ञान विषय के अध्यापकों की कमी

1922. श्री के.एस. राव :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञान की गुणात्मक शिक्षा देने हेतु सक्षम अध्यापकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या और बेरोजगार युवाओं की समस्या के समाधान हेतु विज्ञान स्नातकों और स्नातकोत्तर छात्रों की सेवाएं लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से "इंडिया साइंस रिपोर्ट" शीर्षक से भारत में विज्ञान शिक्षा की स्थिति के संबंध में एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ इस रिपोर्ट में योग्य विज्ञान शिक्षकों की उपलब्धता के बारे में उल्लेख है। हालांकि इस मंत्रालय के किसी भी संगठन ने विज्ञान शिक्षकों की कमी के बारे नहीं बताया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के लिए सक्षम शिक्षकों के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा। जहां तक केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों का संबंध है, सक्षम विज्ञान शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

1923. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में आज तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु/घायल हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अत्यधिक दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या तथा देश में सभी सड़कों पर मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2004 और चालू वर्ष के लिए आंकड़े सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं बहुल क्षेत्रों का अभिनिर्धारण एक सतत प्रक्रिया है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय सड़क सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं और सभी सड़कों पर मृत/घायल व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

पूर्ण भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं			देश में सभी सड़कों पर मारे गए व्यक्ति			देश में सभी सड़कों पर घायल हुए व्यक्ति		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	9096	8185	12511	8428	7517	9679	37471	22112	47477
अरुणाचल प्रदेश	93	78	46	71	102	127	381	312	374
असम	1927	1928	1775	1021	1023	1122	3744	3843	4361
बिहार	1167	3106	3012	1043	1957	2368	1465	3882	4227
छत्तीसगढ़	2597	5531	3000	1095	1620	1881	8009	7461	8732
गोवा	1149	1404	1291	234	260	235	2164	2633	2626
गुजरात	6738	7239	8038	4502	5094	5161	32508	34415	33680
हरियाणा	3033	2315	3378	2911	2987	3028	8289	8321	8287
हिमाचल प्रदेश	898	1047	1453	756	802	733	4029	4009	4358
जम्मू और कश्मीर	536	2141	2317	770	872	836	6010	7186	8056
झारखंड	1392	1817	1677	1686	1746	1699	3578	4201	4106
कर्नाटक	9906	10246	10594	5805	6366	6195	42196	45769	45781
केरल	10095	10840	10543	2674	2792	2905	49675	49460	48640
मध्य प्रदेश	6136	7347	8156	3865	4141	4523	27401	29780	33375
महाराष्ट्र	14576	13717	13930	9769	9523	9483	49340	48377	46692
मणिपुर	208	263	329	89	120	127	846	914	988
मेघालय	370	113	425	174	104	168	349	303	523
मिजोरम	52	54	80	65	50	76	38	184	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालैंड	54	29	47	53	44	46	184	76	123
उड़ीसा	2940	2920	2949	1933	2220	2293	8314	9678	8838
पंजाब	1329	1588	1888	2690	2638	2655	3390	3932	4077
राजस्थान	7465	7214	7515	5187	5535	6025	25994	27119	29079
सिक्किम	43	109	34	50	55	40	221	321	279
तमिलनाडु	19881	22091	20655	9571	9939	9275	52922	55130	55242
त्रिपुरा	202	164	314	175	157	168	949	708	927
उत्तरांचल	469	542	445	704	705	756	1148	1255	1692
उत्तर प्रदेश	7914	7849	5490	9654	9726	7845	13256	13152	9348
पश्चिम बंगाल	3795	10002	3999	3712	4510	4361	10625	13800	12769
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	17	21	12	230	243	252
चंडीगढ़	45	99	45	118	110	134	495	469	437
दादरा एवं नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	40	32	34	117	99	65
दमन एवं दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	13	18	19	42	61	74
दिल्ली	1123	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1842	1696	1801	8449	7929	7829
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	6	6	1
पांडिचेरी	595	730	769	170	192	188	1381	1571	1695
जोड़	115824	131738	127834	80888	84674	85998	405216	408711	435122

खनिज और धातु व्यापार निगम

1924. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके पश्चात् सरकार के ध्यान में खनिज और धातु व्यापार निगम में सोने के गबन के कितने मामले आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों में जयपुर, रायपुर तथा कोयम्बटूर में एम.एम.टी.सी. द्वारा सोने के व्यापार में अनियमितताओं के तीन मामलों की सूचना मिली है।

(ख) से (घ) कंपनी द्वारा तीनों मामलों में एम.एम.टी.सी. आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत जांच की गई है। जयपुर में मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा भी की गई थी एवं उसकी सिफारिशों के आधार पर, बड़े जुर्माने हेतु पांच अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अन्य दो मामलों के संबंध में, जांच प्राधिकारियों द्वारा बड़े जुर्माने सम्बन्धी कार्यवाहियों के तहत जांच पूरी कर ली गई है।

[अनुवाद]

पुलिस सुधार हेतु अनुदान

1925. डा. राजेश मिश्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस, पुलिस सुधार के अभाव में कार्य के बोझ का सामना नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस ने केन्द्र सरकार से दिल्ली पुलिस में सुधार लाने और अतिरिक्त बल की भर्ती करने के लिए पर्याप्त अनुदान हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस को अनुदान जारी करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार समय-समय पर इस दिशा में, कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी करके; उनकी क्षमता, दक्षता और व्यावसायिकता संबंधी कौशल में सुधार करके; प्रशिक्षण देकर और आचार-व्यवहार में बदलाव लाकर जनता के प्रति और ज्यादा जिम्मेवार बनाकर; आधुनिक और नवीनतम उपकरण एवं मशीनरी प्रदान करके; और उनके समग्र कार्य निष्पादन में सुधार करके कदम उठाती रही है। सरकार अपनी जरूरतों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, वाहनों, मशीनरी, उपकरणों, गैजेटों इत्यादि के प्रापण हेतु प्रति वर्ष दिल्ली पुलिस को वार्षिक बजट अनुदान में निधियां आबंटित करती है। वर्ष 2004-05 (गैर-योजना) में 1182.94 करोड़ रु. और 107 करोड़ (योजना) की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए दिल्ली पुलिस का संस्वीकृत बजट अनुदान 1235.64 करोड़ रु. (गैर-योजना) और 110 करोड़ रु. (योजना) है।

विशेष आर्थिक जोन

1926. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री एल. गणेशन :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आर्थिक जोनों, विशेषकर स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ-साथ आर्थिक जोनों की स्थापना हेतु प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में केन्द्र के साथ सहयोग करने हेतु कौन-कौन से राज्य तैयार हैं;

(ग) इन्हें मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न राज्यों में अब तक 67 विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया गया है :-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थान
आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम और काकीनाडा
गुजरात	पोजित्रा, मुन्द्रा, दाहेज, हजीरा, (सूरत जिला), इच्छापुर (सूरत जिला), गांव वंज (सूरत जिला), अहमदाबाद और जामनगर
महाराष्ट्र	नवी मुम्बई, खोप्टा (महा मुम्बई), नागपुर और पुणे
हरियाणा	गुड़गांव और फरीदाबाद
कर्नाटक	हसन, बेकमपाडी, मंगलौर और बंगलौर
तमिलनाडु	चेन्नई के निकट महिन्द्रा सिटी, ननगुनेरी, श्री पेरम्बदूर, इन्नौर और चेन्नई
पांडिचेरी	सिदारापेट, कारासूर
केरल	वल्लारपदम, उच्चुपीन, कक्कनचेरी, कलमासरी, कजाकुट्टम और त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	इंदौर
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद, भदोही, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, और गाजियाबाद
दिल्ली	दिल्ली
चंडीगढ़	चंडीगढ़
पंजाब	अमृतसर और मोहाली
राजस्थान	जयपुर और जोधपुर
उड़ीसा	पारादीप और गोपालपुर
पश्चिम बंगाल	कोलकाता और कुल्पी
झारखंड	आदित्यपुर और रांची

अनुमोदित 67 विशेष आर्थिक जोनों में से 6 जोन प्रचालन शुरू कर चुके हैं और ये इंदौर (1), चेन्नई के निकट महिन्द्रा सिटी (3), कोलकाता (1) और जयपुर (1) में हैं। शेष जोन कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। विशेष आर्थिक जोन राज्य सरकारों के निकट सहयोग से अनुमोदित/स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सामान्य तौर पर विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति देने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

साइबर अपराध

1927. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा सेटेलाइन फोन और कम्प्यूटर संचार के अपनाए जा रहे नए तरीकों के कारण सूचना एजेन्सियों के सामने कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) इस संबंध में कुछ ऑपरेशनल कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं। उपयुक्त सुधारात्मक कदम शुरू किए गए हैं।

दक्षेस देशों को लघु उद्योग से निर्यात

1928. श्री लालचन्द्र कोल :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के लघु उद्योगों से चीन और दक्षेस देशों के साथ व्यापार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के उत्पादों के आयात/निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाने के मुद्दे पर चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा दक्षेस देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन और सार्क देशों के साथ लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के उत्पादों सहित भारत के व्यापार को दर्शाने वाले आंकड़े निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं। विभाग की वेबसाईट www.commerce.nic.in पर "सूचना प्रसार/मानीटरिंग प्रणाली- निर्यात-आयात डाटा बैंक" शीर्ष के अंतर्गत एस.एस.आई. के उत्पादों सहित उत्पादवार ब्यौरे देशवार उपलब्ध नहीं हैं। लघु क्षेत्र के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

मिलियन अम. डॉ. में

देश	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
बांग्लादेश	1176.00	62.05	1740.75	77.63	1586.18	54.88
श्रीलंका	920.98	90.83	1319.20	194.74	1353.75	364.25
नेपाल	350.36	281.76	669.36	286.04	728.46	340.02
पाकिस्तान	206.16	44.85	286.94	57.65	505.44	95.33
भूटान	39.05	32.15	89.49	52.37	84.03	50.14
मालदीव	31.59	0.33	42.34	0.37	42.51	0.58
चीन	1975.48	2792.04	2955.10	4053.33	4586.28	6746.66
कुल	4699.62	3304.01	7103.18	4722.03	8886.65	7651.86

आंकड़ों का स्रोत: डी.जी.सी.आई.एंडएस., कोलकाता (एन.आई.सी., वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त)

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान एस.एस.आई. का समग्र निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा था :-

करोड़ रु. में

वर्ष	कुल निर्यात	एसएसआई का हिस्सा	एसएसआई का % हिस्सा	वृद्धि दर (एसएसआई)	वृद्धि दर
2002-03	255137.28	86012.52	34.03	-	-
2003-04	291581.93	97643.57	33.49	13.52%	14.28%

(ख) जी, हां।

(ग) एस.एस.आई. द्वारा निर्यात के संवर्धन हेतु उठाए गए कदम हैं- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, एस.एस.आई. उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, एस.एस.आई.-एम.डी.ए. (बाजार विकास सहायता) स्कीम के अंतर्गत बार कोडिंग को अपनाना, निर्यात हेतु पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम चलाना आदि। लघु क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए सार्क देशों द्वारा सार्क व्यापार मेलों एवं नई दिल्ली में वार्षिक रूप से आयोजित भारत-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई.आई.टी.एफ.) में भी भागीदारी की जा रही है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) 1 जनवरी, 2006 को लागू होगा। इससे सार्क देशों को लघु क्षेत्र से होने वाले निर्यातों सहित हमारे निर्यातों में वृद्धि होने की भी आशा है।

[अनुवाद]

अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया जाना

1929. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. में देशभर के सभी विद्यालयों में अंग्रेजी को कक्षा 1 से अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव से शहरों में रहने वाले अभिजात्य विद्यार्थियों और पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्यालय पाठ्यक्रम में प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत को घोषित करने के क्या प्रभाव पड़ेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारतीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत भाषा को एक भारतीय श्रेण्य भाषा के रूप में उचित स्थान पहले से ही प्राप्त हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में यह अनुशंसा की गई है कि संस्कृत का अध्ययन एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में किया जाए जिसमें अध्ययन/अध्यापन का तरीका श्रेण्य संस्कृत के अध्ययन/अध्यापन के तरीक से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने में संस्कृत भाषा के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

व्यापार और खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1930. श्री बसुदेब आचार्य : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन और व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से भी सुझाव मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) मौजूदा नीति के तहत हीरों तथा कीमती पत्थरों के अन्वेषण तथा खनन के लिए स्वतः मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है। अन्य खनिजों के अन्वेषण तथा खनन हेतु स्वतः मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। केश एंड केरी थोक व्यापार के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। सरकार ने खनन तथा व्यापार संबंधी कार्यकलापों में एफ.डी.आई. नीति को उदार बनाने के लिए हाल में कोई निर्णय नहीं लिया है। क्षेत्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय इक्विटी की सीमा सहित एफ.डी.आई. नीति की निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

महिला स्वाधार योजना

1931. श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला स्वाधार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने आश्रयगृह चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें वर्ष-वार कितनी महिलाओं को भेजा गया है;

(ग) इन आश्रय गृहों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इन आश्रय गृहों के कार्यकरण के संबंध में राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इन शिकायतों के आधार पर कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) महिला स्वाधार योजना के अंतर्गत, देश में 113 आश्रय गृह चल रहे हैं। राज्य-वार सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन गृहों में 6113 महिलाओं को प्रवेश दिया गया है। वर्ष-वार सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) अब तक इन आश्रय गृहों पर 1418.74 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

स्वाधार आश्रय गृहों की राज्य-वार संस्वीकृति

क्र. सं.	राज्य के नाम	संस्वीकृत स्वाधार गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	5
4.	बिहार	-
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	-
8.	गुजरात	3
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	झारखंड	-
12.	जम्मू व कश्मीर	1
13.	कर्नाटक	16
14.	केरल	-
15.	मध्य प्रदेश	2
16.	महाराष्ट्र	3
17.	मिजोरम	1
18.	मेघालय	-
19.	मणिपुर	11
20.	नागालैंड	-
21.	उड़ीसा	22
22.	पंजाब	-
23.	राजस्थान	1
24.	सिक्किम	-
25.	त्रिपुरा	-
26.	तमिलनाडु	14
27.	उत्तर प्रदेश	1
28.	उत्तरांचल	-
29.	पश्चिम बंगाल	9
30.	अण्डमान व निकोबार	-
31.	चण्डीगढ़	-
32.	दादर एवं नगर हवेली	-
33.	दमन एवं दीव	-
34.	लक्षद्वीप	-
35.	पांडिचेरी	-
	कुल	113

विवरण-II

वर्ष-वार, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005
प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाएं	2913	275	2925

[अनुवाद]

शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार हेतु विदेशी सहायता

1932. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु विश्व बैंक और अन्य अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु अब तक राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

1933. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत धनराशि को दुगुनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना सभी राज्यों द्वारा शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने शहरी पुनर्निर्माण हेतु परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं;

(ङ) क्या सरकार उक्त योजना के स्थान पर इन्टिग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट स्कीम पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (च) सरकार ने वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) तथा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) को एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक एक नई स्कीम में मिलाने का निर्णय लिया है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रिहायशी मकान की अधिकतम लागत सीमा 80,000/- रु. है। सरकार ने एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम स्कीम हाल ही में अनुमोदित की है और स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके अंतर्गत परियोजनाएं अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चे

1934. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री मुन्शी राम :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है और विद्यालय जाने वाले ऐसे बच्चों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के लिए विकलांग बच्चों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य के सभी विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध है; और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में ऐसे छात्रों को आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान वर्ष के लिए अभिनिर्धारित विकलांग बच्चों की संख्या 20.14 लाख हैं। इनमें से 15.85 लाख बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों में नामांकित हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कक्षा-10 और कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षाओं में निम्नलिखित विकलांग बच्चे पंजीकृत किए गए थे :-

वर्ष	कक्षा-X	कक्षा-XII
2003	883	559
2004	794	568
2005	838	551

(घ) और (ङ) सरकारी विद्यालयों में अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्बन्धित राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तथापि, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2.22 लाख विद्यालयों को बैरियर फ्री कर दिया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों को पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 1995 में यथा-निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विकलांग बच्चों को अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड के सम्बद्धन उप-नियमों का अनुपालन करना होता है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभिनिर्धारित और नामांकित विकलांग बच्चे

क्र. सं.	राज्य का नाम	बच्चों की जनसंख्या	सी.डब्ल्यू.एस.एन. अभिनिर्धारित (पी.ए.बी. अनुमाग)	बच्चों की जनसंख्या की तुलना में प्रतिशत	विद्यालयों में सी.डब्ल्यू.एस. एन. नामांकन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11779155	134166	1.14	120407
2.	अरुणाचल प्रदेश	285471	6257	2.19	1338

1 2	3	4	5	6
3. असम	4993871	28222	0.57	42006
4. बिहार	20467481	168710	0.82	107925
5. छत्तीसगढ़	4232079	31635	0.75	37293
6. गोवा	0	2338	0.00	लागू नहीं
7. गुजरात	7177643	77526	1.08	65564
8. हरियाणा	4400085	31907	0.73	28445
9. हिमाचल प्रदेश	1242842	28105	2.26	26720
10. जम्मू और कश्मीर	1950000	38071	1.95	22262
11. झारखंड	5585617	33799	0.61	19186
12. कर्नाटक	8570173	81900	0.96	64969
13. केरल	4818259	87319	1.81	87319
14. मध्य प्रदेश	13399777	94800	0.71	77890
15. महाराष्ट्र	15674506	383416	2.45	302911
16. मिजोरम	567110	2818	0.50	1074
17. मेघालय	742295	0	0.00	1759
18. मणिपुर	222281	0	0.00	3322
19. नागालैंड	421593	1870	0.44	959
20. उड़ीसा	7255153	112254	1.55	117582
21. पंजाब	4032261	38953	0.97	15778
22. राजस्थान	11137488	34323	0.31	39589
23. सिक्किम	90435	0	0.00	लागू नहीं
24. तमिलनाडु	9929920	84630	0.85	59560
25. त्रिपुरा	635978	11848	1.86	लागू नहीं
26. उत्तर प्रदेश	37602000	262451	0.70	241911
27. उत्तरांचल	1664615	17175	1.03	18890
28. पश्चिम बंगाल	19023645	213746	1.12	77545
29. अण्डमान व निकोबार	56973	280	0.49	लागू नहीं
30. चण्डीगढ़	134769	1640	1.22	लागू नहीं
31. दादर एवं नगर हवेली	49725	350	0.70	लागू नहीं
32. दमन और दीव	22577	120	0.53	33

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	3060293	1000	0.03	लागू नहीं
34.	लक्षद्वीप	11917	20	0.17	लागू नहीं
35.	पांडिचेरी	189603	2359	1.24	2359
	कुल	201427596	2014008	1.00	1584596

[अनुवाद]

एनएच-64 व 95 को चार लेन का बनाना

1935. डा. रतन सिंह अजनाला :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एच.-64 को तिरकपुर से बहादुरगढ़ और एन.एच.-95 को खरड़ से तलवंडी चौक बरास्ता लुधियाना व मोगा को तुरंत चार लेन में बदलने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार तथा उन्हें चार का बनाने का कार्य यातायात की मात्रा, धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणों में किया जाता है।

यातायात की अपेक्षा के अनुसार रा.रा. 64 के जिराकपुर से बहादुरगढ़ खंड और रा.रा. 95 के लुधियाना से तलवंडी खंड पर यातायात की सघनता इन्हें चार लेने का बनाए जाने के लिए पर्याप्त है। तथापि, इन खंडों को चार लेन का बनाने का कार्य भविष्य में चरणों में शुरू किया जाएगा जो धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

निर्यात का हिस्सा

1936. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री जोवाकिम बखला :
श्री सुब्रत बोस :
श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में निर्यात की गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश से कितने डालर का निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) आज की तारीख के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार विशेषकर कृषि बाजार में भारत का निर्यात हिस्सा कितना है; और

(छ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अगस्त, 2005 तक के दौरान निर्यातित मदों के डालर के रूप में ब्यौरे निर्यातों में वृद्धि के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (छ) सरकार ने चालू वर्ष 2005-06 के लिए 92 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व व्यापार संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 2004 के दौरान विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा 0.8 प्रतिशत था जबकि इसी अवधि के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यातों में भारत का हिस्सा 1.1 प्रतिशत रहा था। सरकार ने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन कदमों में शामिल हैं - अवसंरचना एवं उत्पादन क्षमता में विदेशी और घरेलू निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 को लागू करना; मुक्त व्यापार भण्डारण जोनों (एफ.टी.डब्ल्यू.जेड.) की स्थापना करना जिन्हें एस.ई.जेड. को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होंगे। निर्यातकों की सौदा लागत को कम करने के लिए प्रक्रियागत सरलीकरण पर अधिक जोर देना; तथा भारत की तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना।

विवरण

	वस्तुएं	मूल्य मिलि. अमरीकी डालर में				प्रतिशत परिवर्तन			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-अगस्त)	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-अगस्त)
i.	बागान	547	593	621	277	-7.30	8.41	4.72	7.78
ii.	कृषि एवं संबंद्ध उत्पादन	4721	5407	6034	2654	16.13	14.53	11.60	15.14
iii.	समुद्री उत्पाद	1432	1329	1268	527	15.79	-7.19	-4.59	23.42
iv.	अयस्क एवं खनिज	1996	2369	4193	1880	58.11	18.69	76.99	48.62
v.	चमड़ा एवं विनिर्माण	1848	2163	2289	1006	-3.25	17.05	5.83	6.01
vi.	रत्न एवं आभूषण	9030	10573	13705	6295	23.59	17.09	29.62	23.92
vii.	खेल सामान	73	99	98	49	6.26	35.62	-1.01	25.64
viii.	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	7858	9960	12677	5482	23.33	26.75	27.28	21.80
ix.	इंजीनियरी सामान	7689	10516	14587	6770	33.80	36.77	38.71	32.56
x.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1295	1805	1804	719	8.59	39.38	-0.06	-1.51
xi.	परियोजना वस्तुएं	49	84	49	48	165.49	71.43	-41.67	300.00
xii.	वस्त्र	11081	12205	12017	5323	14.37	10.14	-1.54	7.45
xiii	हस्तशिल्प	785	500	343	179	43.00	-36.31	-31.40	9.82
xiv.	कालीन	533	586	596	274	4.46	9.94	1.71	33.66
xv.	अपशिष्ट सहित कपास	10	205	81	109	8.80	2004.72	-60.49	131.91
xvi.	पेट्रोलियम उत्पाद	2577	3568	6792	3680	21.61	38.46	90.36	61.33

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस. के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग द्वारा परिकलित।

आतंकवादियों को विदेशी धन

1937. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि देश के कुछेक भागों में सक्रिय कुछ आतंकवादी संगठन विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान 37 ऐसे मामले (2003 में 15, 2004 में 15 तथा 2005 में 7) ध्यान में आए हैं।

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने तथा ऐसे मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त कानूनी और संस्थागत तंत्र मौजूद है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा निधियों का दुरूपयोग

1938. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न जनजातीय योजनाओं के लिए आबंटित निधि का अन्यत्र उपयोग/दुरूपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान ऐसे कितने मामलों का राज्यवार पता चला है;

(ग) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान राज्यों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे राज्यों को कितनी निधि आबंटित की गई;

(ङ) उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना निधि आबंटित करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकरी सहायता के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय को वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियां, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद जारी की जाती है।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मंत्रालय द्वारा जनजातीय कल्याण योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का समुचित उपयोग हो, इस मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व विगत निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर बल दिया जाता है।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

(3) केन्द्र सरकार के अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(4) प्रस्तावों को समय से प्रस्तुत करने, कार्यान्वयन तीव्र करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित, करने के लिए केन्द्र स्तर पर जनजातीय राज्य के कल्याण विभाग के सचिवों की बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(5) राज्य/क्षेत्र स्तर पर जनजातीय सलाहकार समितियों, आई.टी.डी.पी. की परियोजना कार्यान्वयन समितियों और पंचायत समितियों द्वारा निगरानी करना।

(6) लाइन विभागों, कार्यकारी एजेंसियों को राज्य योजना/वित्त और जनजातीय विकास विभागों द्वारा निधियों के वितरण में विलंब को रोकने के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन और उपयोगिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया गया है, जिसमें आई.टी.डी.ए./आई.टी.डी.पी.-वार विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों को निर्धारित करने का प्रावधान है।

(7) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में निधियों की निर्मुक्ति गैर-सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा, विगत निष्पादन आदि के मूल्यांकन के बाद की जाती है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों से अंकेक्षित लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा की जाती है जिनके आधार पर निधियों की आगे निर्मुक्ति की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकरणों एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

नगा नेताओं के साथ समझौता

1939. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :
श्री संतोष गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगा नेताओं की एक स्वतंत्र नागालैंड की मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नगा नेताओं के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्ष किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) नागा नेताओं द्वारा नागा लोगों से बसे, सटे हुए क्षेत्रों के एकीकरण की मांग निरंतर की जाती रही है। नागा मुद्दे का स्वीकार्य हल ढूंढने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह) (एन.एस.सी.एन.) नेताओं के साथ बातचीत करने हेतु मंत्रियों के एक ग्रुप (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया है। मंत्रियों के एक ग्रुप ने इन मुद्दों पर फरवरी-मई, 2005 के बीच एन.एस.सी.एन. (आई/एम) नेताओं के साथ बातचीत की थी। विचार-विमर्श का यह क्रम जारी है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

1940. श्री अशोक कुमार रावत :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की जांच करने के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मुखर्जी आयोग ने सरकार को इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और इसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार संसद के समक्ष रखा जाएगा।

[अनुवाद]

केले का निर्यात

1941. श्री ए. साई प्रताप : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन देशों को केले का निर्यात किया गया है और इसके परिणामस्वरूप अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केले के निर्यात हेतु अन्य देशों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय केले के प्रमुख गंतव्यों के साथ-साथ निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार रहा है :-

(मूल्य लाख रुपये में)

देश	2002-03	2003-04	2004-05
बहरीन	61.38	80.19	82.97
जर्मनी	17.97	0.02	10.83
कुवैत	66.02	61.12	84.47
मालदीव	18.49	25.03	22.41
नेपाल	164.14	176.83	204.55
ओमान	61.91	57.00	47.28
कतर	52.61	55.25	92.74
सऊदी अरब	159.98	138.63	148.24
यू.ए.ई.	463.43	405.04	507.06

स्रोतः एपीडा

(ख) और (ग) केले जैसे शीघ्र खराब होने वाले फल का निर्यात उसकी शेल्फ लाइफ, मित्तव्ययी परिवहन की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित कारकों पर अत्यधिक निर्भर होता है। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा नए बाजारों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने अगस्त, 2005 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय केला महोत्सव का आयोजन किया था। फिलीपीन्स के एक बहुराष्ट्रीय निगम ने भाग लेकर निर्यात हेतु संगठित उत्पादन की संभावना का पता लगाया था। मध्य-पूर्व के अन्य देशों में केलों की विभिन्न किस्मों का निर्यात संवर्धन करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश

1942. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ए.आई.सी.टी.ई. सितंबर के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश को मंजूरी दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने कॉलेजों को सितंबर के पश्चात् छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदित

संस्थानों में छात्रों के दाखिले संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं। जहां तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का संबंध है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2005-2006 में नई तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त रखी थी कि यदि संस्थान को अनुमोदन का पत्र संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में दाखिले हुए राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय काउन्सिलिंग की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होता है तो वह कोई भी दाखिला करने के लिए वैध नहीं होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु सितम्बर, 2005 के पश्चात् 11 आवेदकों को उक्त शर्त पर अनुमोदन पत्र जारी किया है। वर्ष 2006-2007 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कलैन्डर आधारित उपागम को छोड़ दिया है और नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु 'वर्ष में किसी भी समय' अनुमोदन देने की प्रक्रिया कार्यान्वित की है। विश्वविद्यालय/प्रवेश प्राधिकरण की निर्धारित कार्य सूची को पूरा करने सहित इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पूर्व संबंधित सम्बद्धन विश्वविद्यालय/राज्य सरकार से आवश्यक सम्बद्धन/अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक संस्थान की होगी।

ऑफ कैम्पस केन्द्र

1943. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूजीसी के नियमों में मानित विश्वविद्यालयों द्वारा ऑफ कैम्पस केन्द्र चलाए जाने पर रोक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ मामले लाए गए हैं जहां ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान ऑफ कैम्पस केन्द्र चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या कोच्चि स्थिति अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज कोयंबटूर स्थित अमृता विद्यापीठ के ऑफ कैम्पस केन्द्र के तौर पर स्थापित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या कोच्चि स्थित ए.आई.एम.एस. द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न मेडिकल/पैरा-मेडिकाल पाठ्यक्रमों को यू.जी.सी. की मान्यता प्राप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों अनुसार जिन संस्थाओं को सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया है वे संस्थाएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संबंधित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अपने केन्द्र खोल सकती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अमृता आयुर्विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान, कोच्ची (केरल) अमृता विश्वविद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय) कोयम्बटूर का एक संघटक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ 9-25/2000-यू-3 की सिफारिश पर इस केन्द्र को भारत सरकार द्वारा अमृता विद्यापीठम के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। अमृता आयुर्विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान, कोच्ची को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त है तथा अब यह अमृता विश्वविद्यापीठम का एक संघटक केन्द्र है। अमृता आयुर्विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान, कोच्ची द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु डिग्री/डिप्लोमा अमृता विश्वविद्यापीठम द्वारा प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम आयोजित करने तथा डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

1944. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मुक्त व्यापार भांडागार जोन विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा व्यापार संबंधी अवसंरचना को विकसित करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। एम.एम.टी.सी. ने मुक्त व्यापार मण्डारण जोनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है और ग्रेटर नोएडा, काण्डला, मुम्बई, इन्दौर, इल्दिया और कोची को सम्भावित स्थानों के रूप में अभिज्ञात किया है।

(ग) भारत सरकार निर्यात के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वाणिज्य विभाग के माध्यम से राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्यात अवसंरचना एवं संबंधित कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) नामक स्कीम के तहत उनके कार्य निष्पादन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के दो घटक हैं। धनराशि का 80 प्रतिशत (राज्य घटक) राज्यों को उनके निर्यात कार्य निष्पादन के आधार पर आबंटन हेतु निर्धारित है तथा शेष 20 प्रतिशत (केन्द्रीय घटक) और राज्यों को आबंटित धनराशि के अप्रयुक्त भाग के समतुल्य राशि अन्तर राज्यीय परियोजनाओं,

पूंजीगत परिव्यय तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रय स्तर पर रख ली जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ए.एस.आई.डी.ई. के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित 500 करोड़ रुपये का बजटगत आबंटन किया गया है।

आतंकवादियों की एड्स को फैलाने की रणनीति

1945. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राइफल्स् को पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी समूहों से कोई ऐसी धमकी मिली है कि सुरक्षा बलों को एच.आई.वी. से ग्रसित कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में अर्द्ध सैनिक बलों के कितने कर्मी एच.आई.वी. से ग्रसित हैं और सरकार द्वारा इन मरीजों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 254 केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों के एच.आई.वी. वायरस से ग्रसित होने के बारे में पता लगा है। उनके उपचार पर व्यय होने वाली राशि लगभग 15 लाख रु. प्रति माह है।

(घ) इस बीमारी की रोकथाम हेतु अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) मेडिकल स्टाफ और यूनिट कमांडरों द्वारा बल कार्मियों को एच.आई.वी./एड्स के संबंध में नियमित रूप से सुग्राही बनाना।

(ii) इस मामले में नियमित व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं।

(iii) एच.आई.वी./एड्स को फैलाने से रोकने हेतु एकसमान हस्तक्षेप हेतु नाको (एन.ए.सी.ओ.) और स्थानीय गैर सरकारी संगठन के सहयोजन में पहल करना।

(iv) सभी विरचनाओं को समय-समय पर परिपत्र भेजना।

(v) प्रमुख स्थानों पर पोस्टर चिपकाना और एच.आई.वी./एड्स संबंधी पुस्तिकाओं (बुकलेट्स) का वितरण।

(vi) कार्यशालाएं आयोजित करना।

पारंपरिक उद्योगों को पुनः शुरू करने हेतु योजना

1946. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारम्परिक उद्योगों को पुनः शुरू करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खादी, नारियल जटा, मिट्टी के बर्तन आदि पारम्परिक उत्पादों के आधुनिकीकरण के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने "परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए फण्ड स्कीम" (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिस पर 97.25 करोड़ रु. की कुल लागत आएगी। यह स्कीम वर्ष 2005-06 से शुरू करके पांच वर्षों में खादी, कॅयर तथा ग्रामोद्योगों (पाटरी सहित) में कुल 100 कलस्टरों के विकास के संबंध में है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योग (ए.आई.आई.) मंत्रालय, इसके संगठन/संस्थान, राज्य सरकार, उनके संबंधित संगठन, गैर सरकारी संगठन, इत्यादि स्कीम के कार्यान्वयन/मोनिटरिंग अभिकरणों के रूप में हैं। परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए फण्ड स्कीम (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) के संबंध में दिशा-निर्देश कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट एच.टी.टी.पी./ए.आर.आई.निक.इन पर उपलब्ध है।

सबके लिए शिक्षा

1947. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पांच वर्ष पूर्व सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों की समीक्षा करने और प्रगति को बढ़ाने के लिए तरीके सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने ई.एफ.ए. के लक्ष्यों की राष्ट्रीय प्रगति का मध्यावधि मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत उन 164 देशों में से एक है जिन्होंने अप्रैल, 2000 में डकार कार्य संरचना को अपनाया है जिसमें सभी के लिए शिक्षा के छह लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है। इन लक्ष्यों का विस्तार (I) बाल्यकाल-पूर्व देखभाल और शिक्षा, (II) सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा, (III) प्रौढ़ शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा, (IV) स्त्री-पुरूष समानता, और (V) शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार के क्षेत्रों तक है।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी के लिए शिक्षा हेतु कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों और विभागों के कार्यकलापों के समन्वय एवं समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति इसी वर्ष गठित की गई थी।

यह समिति सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में 'सभी के लिए शिक्षा' के सभी पहलुओं पर सलाह देगी :

- सभी के लिए शिक्षा से जुड़े नीतिगत पहलू।
- कमी वाले क्षेत्रों की पहचान तथा उनको सुधारने हेतु उठाए जाने वाले कदम।
- सभी के लिए शिक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ परंपराओं/मॉडलों की पहचान और उनका प्रसार।
- सभी के लिए शिक्षा के लिए सामुदायिक जागरूकता पैदा करना।
- सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों/एजेंसियों की योजनाओं का संकेंद्रण।
- सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में की गई राज्यवार प्रगति की समीक्षा।

(ङ) और (च) समिति की पहली बैठक में दिए गए सुझावों में से एक या--सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति का दशक के मध्य में मूल्यांकन करना जिसमें इन तीन पहलुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया हो (I) नीति एवं शासन संरचना (II) कार्यान्वयन कार्यनीति एवं संसाधन विकास (III) प्रदत्त पाठ्यक्रम और परिणामी अधिगम।

[हिन्दी]

सीमेंट उद्योग का आधुनिकीरण

1948. मोहम्मद शाहिद :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री अशोक कुमार रावत :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शी राम :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुराने सीमेंट कारखानों के आधुनिकीकरण हेतु पैकेज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कारखाना-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य वस्तुओं का आयात

1949. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान और तत्पश्चात आयातित खाद्य वस्तुओं का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन वस्तुओं के आयात के कारण देश में किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्य वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) आयातित खाद्य मदों के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड II (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में देखे जा सकते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) देश के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी हेतु उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था की है।

खाद्य तेलों (अपरिष्कृत और परिष्कृत दोनों), चाय, कॉफी, कोपरा और नारियल, गेहूं, चावल, मक्का, खाद्य तेल, दालों, मसालों, सुपारी और सेबी जैसी अनेक मदों पर पिछले पांच वर्षों में आवश्यकतानुसार आयात शुल्कों में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, सरकार भारतीय किसान की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनेक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी कर रही है। इनमें शामिल हैं - उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना, जल ऋण एवं उर्वरक सहित निविष्टियों की उपलब्धता में सुधार करना तथा नयूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) स्कीम और बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के जरिए कीमत समर्थन।

[अनुवाद]

अवर स्नातक (अंडर ग्रेज्युएट) पाठ्यक्रम की समीक्षा

1950. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अवर स्नातक (अंडर ग्रेज्युएट) पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए परिवर्तनों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के खंड 13(1) (iii) के अनुसार अखिल भारतीय इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी अवर-स्नातक अध्ययन बोर्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित अध्ययन बोर्डों में से एक है। यह बोर्ड पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाने हेतु इसमें संशोधन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उत्तीर्ण छात्र आगे अध्ययन हेतु/अपने रोजगार के स्थान पर ही आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रकार से तैयार की गई पाठ्यचर्याएं विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अपनाने तथा कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध हैं।

खाद्य तेल का आयात

1951. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् कितना खाद्य तेल आयात किया गया और इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) खाद्य तेल के आयात हेतु तय किए गए मूल्य, भुगतान के तरीके और अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात खाद्य तेल के आयात तथा निर्यात संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

आयात

मात्रा टन में — मूल्य लाख रुपए में

मद	2002-03		2003-04		2004-05		अप्रैल 05 - अगस्त 05* (नवीनतम उपलब्ध)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
खाद्य तेल	4365033	877964	5290296	1168324	4674702	1090348	1685493	349538.8

निर्यात

मात्रा टन में — मूल्य लाख रुपए में

मद	2002-03		2003-04		2004-05		अप्रैल 05 - जून 05* (नवीनतम उपलब्ध)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
खाद्य तेल	166715.3	58372	174616.51	73288.4	306095.5	123781.9	81455.82	31852.68

*अनंतिम

आयातित/निर्यातित खाद्य तेलों के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित, भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड II (आयात) - वार्षिक अंक और भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड I (निर्यात) - वार्षिक अंक नामक प्रकाशनों में देखे जा सकते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पशु मूल और नारियल (कोपरा) तेल को छोड़कर सभी प्रकार के खाद्य तेल (आई.टी.सी. (एच.एस.) का अध्याय 15) और उसके घटकों का आयात, शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंस के बिना किया जा सकता है। पशु मूल के खाद्य तेल का आयात निषिद्ध है।

[हिन्दी]

सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी

1952. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार ने महिलाओं के लिए उपयुक्त कार्यों की पहचान करके केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

निजी सुरक्षा एजेंसियां

1953. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम दरों पर सुरक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर पूरे देश में निजी सुरक्षा एजेंसियां तेजी से फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी एजेंसियों के लिए स्वयं को सरकार के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय विधान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है; और

(च) इसे कब तक संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) केन्द्र सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है ताकि निजी सुरक्षा एजेंसियों और उनसे जुड़े मामलों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जा सके। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के उचित प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यह अधिनियम, निजी सुरक्षा ऐजेंसियों के कार्यकरण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उक्त अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे 23 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

पुलिस मॉडल अधिनियम

1954. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुमोदन हेतु पंजाब सरकार से कोई प्रारूप पुलिस मॉडल प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे ड्राफ्ट प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) 1861 के पुलिस अधिनियम को प्रतिस्थापित करने हेतु एक नये पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार द्वारा 20.9.2005 को विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय

1955. श्री प्रदीप गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही शिक्षा के माध्यम हैं;

(ख) क्या हिंदी माध्यम के छात्र हिन्दी माध्यम में किताबों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं; और यहां तक कि हिन्दी माध्यम की कक्षाओं में भी शिक्षक अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकोष्ठ और हिन्दी माध्यम निदेशालय की स्थापना तीस वर्ष पहले इसी समस्या के समाधान के लिए की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ और निदेशालय द्वारा छात्रों और शिक्षकों को क्या सुविधा प्रदान की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इस विश्वविद्यालय के सभी विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शिक्षण माध्यम अंग्रेजी है। कुछ कॉलेजों में मानविकी पाठ्यक्रमों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों है तथा इन पाठ्यक्रमों के लिए हिन्दी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1978 में हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की स्थापना आयोजना बनाने, सामग्री संग्रहित, सम्पादित करने और हिन्दी में मानक पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने तथा हिन्दी माध्यम वाले विद्यार्थियों के उपयोग हेतु मानक पाठ्यपुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए की गई थी। तब से यह निदेशालय विद्यार्थियों और शिक्षकों के लाभ के लिए हिन्दी में मानक पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति

1956. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में हाल ही में आई बाढ़/भारी वर्षा और चक्रवात की वजह से नष्ट हुए विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवनों और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रभावित राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) वर्ष 2005 के दौरान अभी तक भारी वर्षा, बाढ़ और चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण 25 राज्य और 01 संघ शासित प्रदेश भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रभावित हुए हैं। हाल की भारी वर्षा, बाढ़ और चक्रवात के कारण जनहानि, घरों, कृषि फसलों को हुई क्षति, के अलावा बुरी तरह प्रभावित कुछ राज्यों से हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवनों, राष्ट्रीय राजमार्गों आदि से संबंधित आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचने की रिपोर्टें हैं।

सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. की स्कीमों में केवल तत्काल बचाव और राहत उपायों तथा आधारभूत ढांचे की मरम्मत करने और प्रभावित क्षेत्रों में केवल तत्काल संबद्ध (कनक्टिवटी) बहाल करने ताकि राहत कार्यों को सुकर बनाया जा सके, पर होने वाले व्यय को पूरा करने की व्यवस्था है। क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की दीर्घकालीन मरम्मत/पुनरूद्धार पर व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों की संबंधित योजना स्कीमों को पूरा किया जाना अपेक्षित है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपने संबंधित आधारभूत ढांचे को हुई क्षति का स्वयं आकलन करने तथा आवश्यक मरम्मत उनकी बहाली का कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

चूंकि क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की दीर्घकालीन मरम्मत/बहाली सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. की स्कीमों के अन्तर्गत कवर नहीं होती है अतः ऐसे आधारभूत ढांचे को हुई क्षेत्रवार क्षति के ब्योरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

शरणार्थी कालोनियों का विकास

1957. श्री सांताश्री चटर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से राज्य में शरणार्थी कालोनियों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की ग्रामीण कॉलोनियों के भूखंडों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए, राज्य योजना परिव्यय में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 75 करोड़ रु. की राशि की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया है।

(ग) प्रस्ताव योजना आयोग के पास है।

हाट बाजार की स्थापना

1958. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषरूप से गुजरात सरकार से देश में हाट बाजारों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) केन्द्र सरकार का कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय हाट बाजारों की स्थापना के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

अवैध आप्रवासी पाकिस्तानी

1959. श्री गणेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिसों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आप्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके यहां रहने से हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अवैध आप्रवासियों को रोकने और देश से वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.9.2005 की स्थिति के अनुसार, देश में 7,216 पाक राष्ट्रिक अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें से, 4,816 राष्ट्रिक ठहरने की समयावधि से अधिक समय से ठहरे हुए हैं और 2,400 राष्ट्रिकों का पता नहीं लगने की सूचना है। उनके राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यह दर्शाने वाली ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि पाक राष्ट्रिकों के अवैध रूप से ठहरने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तथापि, देश में उनके अवैध रूप से ठहरने से सुरक्षा संबंधी उलझनें होती हैं।

(ड) भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों सहित विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापिस भेजने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत शक्ति राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापिस भेजने हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

30.9.2005 की स्थिति के अनुसार देश में ठहरने की समयावधि से अधिक समय से रह रहे/पता न लग सके पाक राष्ट्रिकों के राज्य वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	ठहरने की समयावधि से अधिक समय से ठहर रहे	पता न लग सके	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-	31	31
2.	बिहार	17	31	48
3.	महाराष्ट्र	578	1,096	1,674
4.	पश्चिम बंगाल	267	362	629
5.	दिल्ली	-	74	74
6.	गुजरात	341	19	360
7.	हरियाणा	352	-	352
8.	कर्नाटक	77	36	113
9.	केरल	229	129	358
10.	मध्य प्रदेश	503	91	594
11.	उड़ीसा	10	8	18
12.	पंजाब	140	49	189
13.	राजस्थान	1,693	85	1,778
14.	तमिलनाडु	80	15	95
15.	उत्तर प्रदेश	443	370	813
16.	जम्मू और कश्मीर	73	4	77
17.	पांडिचेरी	13	-	13
	कुल	4,816	2,400	7,216

[हिन्दी]

शिक्षकों के रिक्त पद

1960. श्री मुनव्वर हसन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के कितने पद क्षेत्र-वार, राज्य-वार और वर्ग-वार रिक्त हैं और ये कब से रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उग्रवादियों के साथ वार्तालाप

1961. श्री मणी कुमार सुब्बा :
श्री किरिप चालिहा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अपनी गतिविधियां चला रहे नक्सलवादियों अन्य उग्रवादियों और आंतकवादी गुटों के साथ वार्तालाप को जारी रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक गुट के साथ समझौतों के खंड और युद्धविराम के आधार नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक गुट के साथ शांति प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) हथियारों का समर्पण करने वाले उग्रवादी गुटों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वर्तमान में, नक्सल ग्रुपों के साथ कोई वार्ता आयोजित नहीं की जा रही है। पूर्वोत्तर

के मामले में, हालांकि कई आतंकवादी गुटों के साथ संघर्ष विराम/आपरेशन निलम्बन लागू है। केवल एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के साथ शान्ति वार्ता आयोजित की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के मामले में, सरकार ऐसे सभी लोगों के साथ वार्ता जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है जो हिंसा का मार्ग त्याग देते हैं।

(ख) विभिन्न आतंकवादी गुटों के साथ सहमत संघर्ष विराम मूलभूत नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान है कि गुट हिंसा में लिप्त नहीं होंगे, नामित शिविरों में जायेंगे तथा आबादी वाले क्षेत्रों में वर्दी में हथियारों के साथ नहीं जायेंगे तथा न तो अन्य आतंकवादी गुट की सहायता करेंगे और न ही लूट खसोट में शामिल होंगे तथा अपने कार्यकर्ताओं की संख्या और हथियारों में वृद्धि नहीं करेंगे।

(ग) एन.सी.सी.एन. (आई/एम) के साथ बातचीत करने के लिए मंत्रियों का एक ग्रुप गठित किया गया है। वार्ता जारी है।

(घ) हाल में, असम में बोडो लिब्रेशन टाइगर्स (बी.एल.टी.) तथा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ तविप्रा (एन.एल.एफ.टी.) के दो धड़ों ने अपने हथियार डाले हैं।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के कामगारों को प्रोत्साहन

1962. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ग्रामीण उद्योगों के कामगारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न कारण से अपने रोज़गार को गंवाने वाले कृषि और ग्रामीण उद्योगों के कामगारों को कोई सहायता आबंटित करने या स्वीकृत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कामगारों के कल्याण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार 'खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना' के तहत स्पिनरों, बुनकरों और अन्य खादी शिल्पकारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार ने शिल्पकारों को उनकी आवश्यकता के समय सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से खादी संस्थानों द्वारा शिल्पकार कल्याण फंड ट्रस्ट (ए.डब्ल्यू.एफ.टी.) स्थापित करने में भी सहायता की है। इसके अतिरिक्त, के.वी.आई.सी., इसके द्वारा पंजीकृत सभी संस्थानों के कार्य का अनुवीक्षण करता है और समस्याओं का सामना करने वाले सभी संस्थानों पर कड़ी नजर रखता है। शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करने के वृहत्तर हित में, जब तक कि संस्थान सामान्य रूप से कार्य करना आरंभ नहीं कर देता, के.वी.आई.सी. एक प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकता है।

सरकार कॅयर बोर्ड के माध्यम से आधारभूत संरचना और दुर्घटना और चिकित्सकीय बीमा कवरेज के प्रावधान के माध्यम से कॅयर वर्करों की कार्यस्थिति में सुधार लाने के लिए "उत्पादकता वृद्धि संबद्ध कॅयर वर्कर कल्याण योजना" शीर्षक से एक योजना भी कार्यान्वित करती है।

केन्द्र सरकार नई इकाइयां/स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण रोजागर सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत सहायता प्रदान करती है। विद्यमान इकाइयां/स्व-रोजगार उद्यमों, जो बैंकों से क्रेडिट और सरकार से मार्जिन मनी सहायता से स्थापित किए गए थे, परन्तु अब रूग्ण हो गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण इकाइयों के लिए उपलब्ध पुनर्वास सहायता के लिए पात्र हैं। इन उपायों में शामिल हैं, उस वर्ष से जबकि इकाई ने नकद हानि दर्शानी शुरू की, कैश क्रेडिट और सावधि ऋण पर पेनल ब्याज का अधित्याग, कुल देयता से कैश क्रेडिट और सावधि ऋण पर न चुकाए गए ब्याज को अलग करना तथा पूर्व राशि को अलग ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देखना, भुगतान न किए गए सावधि ऋणों पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की घटी हुई दर (अतिलघु इकाइयों के लिए 3 प्रतिशत तक की कमी), अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण को ब्याज की दर पर दिया जाना जो प्राईम लेंडिंग दर से अधिक न हो, आदि।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निवास

1963. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार के कुल कितने द्वीप समूहों में इस समय लोग निवास कर रहे हैं;

(ख) इन द्वीप समूहों में द्वीप-वार कुल कितने लोग निवास कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का अंडमान और निकोबार में लोगों को बसाने हेतु और अधिक नए द्वीप खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) अंडमान और निकोबार के उन द्वीपसमूहों की कुल संख्या, जिनमें इस समय लोग निवास कर रहे हैं, 34 है।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में निवास कर रहे द्वीपसमूह वार व्यक्तियों की कुल संख्या का ब्योरा, संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, निकोबार जिले

में तीन द्वीपसमूह अर्थात बामपोका द्वीपसमूह, ट्रिनकेट द्वीपसमूह और पुलोमिलो द्वीपसमूह के लोगों को सुनामी के बाद वहां से हटा दिया गया है और उन्हें अन्य द्वीपसमूहों में पुनः बसा दिया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार द्वीपसमूह-वार जनसंख्या

क्रम सं.	जिला/द्वीप समूह	जनसंख्या (सं.)
1	2	3
	अंडमान जिला	
1.	नरकोन्डेम द्वीपसमूह	17
2.	पूर्वी द्वीपसमूह	17
3.	पूर्वी अंडमान द्वीपसमूह	42163
4.	स्थिम द्वीपसमूह	676
5.	स्टीवर्ट द्वीपसमूह	2
6.	करल्यू द्वीपसमूह	2
7.	ऐव्ज द्वीपसमूह	2
8.	इंटरव्यू द्वीपसमूह	16
9.	मिडल अंडमान द्वीपसमूह	54385
10.	लांग द्वीपसमूह	2199
11.	नॉर्थ पेसेज द्वीपसमूह	11
12.	स्ट्रेट द्वीपसमूह	42
13.	बाराटैंग द्वीपसमूह	6062
14.	स्पाइक द्वीपसमूह	19
15.	हेवलुक द्वीपसमूह	5354
16.	जॉन लारेंस द्वीपसमूह	25
17.	नेल द्वीपसमूह	2868
18.	दक्षिणी अंडमान द्वीपसमूह	181949
19.	रुट्लैंड द्वीपसमूह	688
20.	उत्तरी सेंटिनल द्वीपसमूह	39
21.	सिंक द्वीपसमूह	6
22.	लिटल अंडमान द्वीपसमूह	17528
23.	फ्लैट बे द्वीपसमूह	10
24.	विपर द्वीपसमूह	4
	कुल	314084
	निकोबार जिला	
1.	कार निकोबार द्वीपसमूह	20292
2.	चौड़ा द्वीपसमूह	1385
3.	टेरेसा द्वीपसमूह	2026
4.	बेमपोका द्वीपसमूह	55
5.	कछल द्वीपसमूह	5312
6.	ननकाऊरी द्वीपसमूह	927
7.	कामोरता द्वीपसमूह	3412
8.	ट्रिनकेट द्वीपसमूह	432
9.	पुलोमिलो द्वीपसमूह	145
10.	लिटल निकोबार द्वीपसमूह	353
11.	कोन्डुल द्वीपसमूह	150
12.	ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह	7566
13.	तिलैन्ग चोंग	13
	कुल	42068
	कुल योग	356152

आपदाओं के दौरान आपातकालीन सेवा

1964. श्री सुबोध मोहिते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही के भूकंप/सुनामी को देखते हुए कम से कम अस्पताल और फायर स्टेशन आदि जैसे आपातकालीन सुविधाएं प्रदान करने वाले भवनों में सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) सरकार ने भूकंप के नुकसान से बचने के लिए भवन निर्माण में उचित सुरक्षा मानदंडों के पालन को सुकर बनाने के वास्ते तकनीकी - कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भूकंप न्यूनीकरण हेतु मॉडल भवन निर्माण उप-नियमों, शहर और देशी आयोजना विधायन और जोनिंग विधायनों का विकास करने तथा विकास नियंत्रण विनियमों के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ परिचालित की गई थी कि वे राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिफारिशों पर विचार करें और उन्हें अपनायें। इसके बाद, कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के माध्यम से कार्यशालायें भी आयोजित की गई थीं जिनमें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, विकास प्राधिकरणों तथा नगर निगमों के चुने हुए इंजीनियरों और अधिकारियों ने भाग लिया ताकि वे समिति द्वारा संस्तुत परिवर्तनों को संबंधित विधायन/उन नियमों/विनियमों को अपनाने में उनकी सहायता कर सकें। जीवन रेखा भवनों की भूकंपी सुरक्षा और उनकी रिट्रोफिटिंग, आदि आवश्यक हो, के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनका मूल्यांकन किए जाने पर भी जोर दिया गया है।

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम

1965. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जो इस समय चल रही है में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के माध्यम से लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण किये जाने के कार्य में इन संशोधन में किस हद तक प्रोत्साहन के मिलने की संभावना है; और

(घ) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने हेतु लघु उद्योगों को क्या अन्य सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 29 सितंबर, 2005 से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना का लक्ष्य योजना के तहत स्वीकृत विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित और परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के समावेश के लिए उनके द्वारा लिए गए संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी प्रदान करते हुए (29.09.2005 से पहले 12 प्रतिशत) अति लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योगों सहित लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन में मदद देना है। संशोधित योजना के तहत स्वीकार्य कैपिटल सब्सिडी का परिकलन प्लांट और मशीनरी के खरीद मूल्य के संदर्भ में किया जाता है। इस योजना के तहत कैपिटल सब्सिडी के परिकलन के लिए पात्र ऋण की उच्चतम सीमा को भी 40 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। सी.एल.सी.एस.एस. दिशा-निर्देशों में इन संशोधनों का लक्ष्य प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण में और मदद देना है।

(घ) केन्द्र सरकार लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों की मदद करने हेतु कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इनमें आई.एस.ओ.-900/14001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की लागत की प्रतिपूर्ति, बार कोडिंग, ऋण एवं निष्पादन रेटिंग और विपणन तथा निर्यातों के लिए सहयोग प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं के लिए विशेष कोष

1966. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परियोजनाओं के लिए एक विशेष कोष सृजित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोष के लिए संसाधन जुटाने की क्या योजना होगी;

(घ) क्या सरकार ने इस विशेष कोष हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने सड़कों के विकास के लिए डीजल और पेट्रोल पर लगाए गए उपकर से पहले ही केन्द्रीय सड़क निधि का सृजन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित 1% उपकर राजस्व के आधार पर एक समर्पित सुरक्षा निधि की स्थापना करने के सुझाव पर आधारभूत संरचना संबंधी समिति द्वारा हाल ही में विचार किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1967. श्री जसुभाई दानाभाई बारड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में क्या विषय/विशेष विषय शुरू किए जाएंगे; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की कैन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत बहुत से कृषि आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभिनिर्धारित किए गए हैं और इन पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक मॉडल पाठ्यचर्या विकसित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों को अपनी आवयकताओं के अनुसार राज्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के अंतगर्त चुनिन्दा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का निर्णय लेना होगा।

[हिन्दी]

उत्पाद पेटेंट

1968. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों, आयुर्वेदिक दवाओं और पारम्परिक ज्ञान सहित विभिन्न भारतीय माल/उत्पादों को विदेशों में पेटेंट कराने और भारत द्वारा ऐसे पेटेंटों को रद्द कराने की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय आयुर्वेदिक दवाओं और पारम्परिक ज्ञान का डिजिटल डाटा बेस विकसित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और;

(ङ) सरकार द्वारा पेटेंट कानूनों की उपयोगिता के बारे में जन-जागरूकता को लेकर क्या कार्य किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) पेटेंट एक सीमित भू-क्षेत्र में ही प्रभावी होते हैं। पेटेंट निजी अधिकारी हैं, जिन्हें सामान्यतः ऐसे व्यक्ति (यों) द्वारा संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार चुनौती दी जाती है, जिनके हित प्रभावित हों/खतरे में पड़ जाएं। विश्व-भर में प्रदान किए जाने वाले पेटेंटों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में 65,000 आयुर्वेद और यूनानी के गुणोत्कर्ष फार्मुलेशंन की एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है।

(ङ) पेटेंट कानूनों की उपयोगिता के बारे में सरकार द्वारा जो सार्वजनिक जागरूकता कार्यकलाप हाथ में लिए गए हैं, वे हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन करना; उद्योगों, भेषज क्षेत्र, वैज्ञानिक समुदाय, कानूनी व्यवसायिकों, दूसरे पणधारकों की विभिन्न प्रतिनिधि एसोसिएशनों के साथ पारस्परिक बैठकें आयोजित करना; विश्वविद्यालयों और दूसरी शैक्षिक संस्थाओं में गेस्ट लेक्चर की व्यवस्था करना; प्रेस और इंटरनेट आदि के माध्यम से नियमों और विनियमों के संशोधन संबंधी प्रस्तावों को व्यापक प्रचार देना।

[अनुवाद]

दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 2005

1969. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या गृह मंत्री दिनांक 23.8.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4022 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के उपबंधों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे लागू करने में देरी करने के क्या करण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) कानूनी संघ, विशेषकर तमिलनाडु राज्य के वकीलों द्वारा इस अधिनियम के कुछ उपबंधों पर आपत्ति उठाए जाने के फलस्वरूप अधिनियम का कार्यान्वयन आस्थगित रखा गया है।

पाठ्यचर्या में परिवर्तन

1970. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या में परिवर्तन किये जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जो देश में अध्यापक शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास के लिए शीर्ष निकाय है, ने गुणवत्तापरक अध्यापक शिक्षा के लिए प्रारूप पाठ्यचर्या संरचना तैयार की है।

तंबाकू क्षेत्र

1971. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात नीति के अंतर्गत सिगरेट के आयात की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार का विचार तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करने हेतु सिगरेटों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे आर्थिक क्षेत्रों में तम्बाकू इकाइयां रियायत की पात्र नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार को इन क्षेत्रों में सिगरेट उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) जैसाकि विभिन्न उपायों, यथा-औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिबिम्बित है, सिगरेट के घरेलू उत्पादन, खपत और व्यापार को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए भारत के पास एक सख्त क्रियातंत्र है। सिगार औ तम्बाकू की सिगरेटों के विनिर्माण को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत रखा गया है।

(ग) उत्तरांचल राज्य तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें (2003) तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें (2002) के अंतर्गत तम्बाकू इकाइयां रियायतों के पात्र नहीं है।

(घ) पूर्वोत्तर में सिगरेटों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव इस विभाग में प्राप्त हुए हैं।

(ङ) सरकार ने अभी तक इन लाइसेंसों को प्रदान नहीं किया है।

[हिन्दी]

विकास कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी गति

1972. श्री संतोष गंगवार : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार और उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों ने एक पृथक मंत्रालय के गठन के बावजूद इन राज्यों में विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी गति को लेकर केन्द्र सरकार के प्रति अपना विरोध जताया है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों के कब तक दूर किए जाने और सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के विकास हेतु धनराशि जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, नहीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) अव्ययगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) स्कीम के तहत और पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) के माध्यम से भी अवसंरचना विकास की परियोजनाओं को संस्वीकृत करता है। संस्वीकृति के पश्चात मंत्रालय और एन.ई.सी. राज्य सरकारों को निधियां जारी करते हैं। परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं या उनके द्वारा निर्धारित की गई एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन एल सी पी आर के आरम्भ से अर्थात् 1998-99 से इस स्कीम के तहत परियोजनाओं के लिए 3367.16 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। दसवीं योजना के दौराम अक्तूबर 2005 तक एन.ई.सी. ने विकासात्क परियोजनाओं के लिए 1071.81 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजू का निर्यात/उत्पादन

1973. श्री जुएल ओराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा में कुल कितनी मात्रा में काजू का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में काजू का निर्यात किया गया;

(ग) क्या राज्य में काजू का उत्पादन और उसका निर्यात बढ़ाये जाने की अपार संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा में काजू का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में उत्पादित काजू की कुल मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	उत्पादन मी. टन
2002-03	70,000
2003-04	71,000
2004-05	74,000

स्रोत: काजू और नारियल विकास निदेशालय

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित काजू गिरी की कुल मात्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)
2002-03	1,04,137
2003-04	1,00,828
2004-05	1,26,667

स्रोत: भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्

(ग) और (घ) जी, हां। नये बागान विकास के अंतगर्त क्षेत्र के विस्तार के लिए और उड़ीसा राज्य से काजू की अधिक उपज वाली किस्मों से पुराने बागान का पुनर्रोपण करने की और गुंजाइश है। इसी प्रकार उड़ीसा राज्य से काजू के प्रसंस्करण और निर्यात की संभावना है।

(ङ) देश में काजू सहित बागवानी फसलों का उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" शुरू की है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, नवीकरण, रोपण सामग्री के उत्पादन, फसलोत्तर अवसरंचना आदि के लिए कई कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में चलाए जा रहे हैं। काजू का निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोच्ची भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कई निर्यात संवर्धन कार्यक्रम चला रही है। उड़ीसा सहित समस्त देश के काजू निर्यातक इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

एन.एच.ए.आई. के माध्यम से बिहार में सड़क परियोजनाएं

1974. श्री रामकृपाल यादव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन सड़क परियोजनाओं संबंधी कार्य पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अंतर्गत करवाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.एच.ए.आई. को बिहार में सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कोई अन्य विकल्प चुनने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में यातायात की अपार संभावनाएं हैं और बिहार में राजमार्गों का रख-रखाव न किए जाने के कारण रोजमर्रा की स्थिति बदतर होती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) स्थल (शहरी अथवा ग्रामीण), औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क संपर्कता, पर्यटक महत्व के स्थान इत्यादि के आधार पर क्षेत्र-क्षेत्र में यातायात की संभावना भिन्न-भिन्न होती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों में यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है।

नवोदय महाविद्यालयों की स्थापना

1975. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर नवोदय महाविद्यालय स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार कालेज स्थापित नहीं करती है।

ए.आई.सी.टी.ई. का कार्यकरण

1976. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग कॉलेजों, फार्मेसी कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों को मान्यता प्रदान करने में ए.आई.सी.टी.ई. ने अनियमितताएं बरती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कॉलेज कौन-कौन से हैं जिन्हें सरकार अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रियायतें दी गई है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इंजीनियरिंग कॉलेजों को अतिरिक्त पाठ्यक्रम करने आवंटित तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों की सामग्री बढ़ाने में मानदंडों का उल्लंघन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ए.आई.सी.टी.ई. में अनियमितताओं तथा उसके कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण/जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचनानुसार तकनीकी संस्थानों को तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/प्रवेश में वृद्धि हेतु अनुमोदन देने की सुपरिभाषित प्रक्रिया है। उपर्युक्त प्रयोजनार्थ अनुमोदन प्रदान करने में कोई अनियमितता या मानकों का उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी भी संस्थान को कोई रियायत नहीं दी गई है तथा संस्थानों द्वारा मानकों को पूरा करने के पश्चात् ही अनुमोदन दिया गया है। तथापि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ऐसे मामले, जिन्हें अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए थे, की समीक्षा करने तथा अनुमोदन की प्रक्रिया में सुधार के सुझाव देने हेतु समितियां गठित की हैं।

[हिन्दी]

पथकर के भुगतान से छूट

1977. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से संसद सदस्यों तथा राज्य के विधायकों को पथकर के भुगतान से छूट देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देशों कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) श्री राजेन्द्र राठौड़, लोक निर्माण विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान सरकार से राजस्थान में विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को छूट देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की 16 परियोजनाओं (सड़क खंडों/पुलों) पर संसद सदस्यों और राजस्थान विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान से छूट मिली हुई है। तथापि, बी.ओ.टी. आधार पर निर्मित रा.रा. 8 पर उदयपुर बाइपास में रियायतग्राही के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के अनुसार संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों के लिए किसी प्रकार की छूट उपलब्ध नहीं है तथा रा.रा. 8 के जयपुर-किशनगढ़ खंड में जो कि बी.ओ.टी. आधार पर ही निर्मित किया गया था केवल स्थानीय सदस्यों और विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों के लिए छूट उपलब्ध है। इन दोनों मामलों आगे कोई छूट देने का विचार नहीं है। 4 सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं में या तो संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों के लिए छूट उपलब्ध नहीं है अथवा केवल संसद सदस्यों के लिए है। इन मामलों में राजस्थान के विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों और संसद सदस्यों को छूट देने पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान में संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को प्रयोक्ता शुल्क में छूट की स्थिति को सूचित करने वाले सड़क खंडों/पुलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	रा.रा. सं.	खंड/पुल	क्या राजस्थान के संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों को प्रयोक्ता शुल्क से छूट प्राप्त है
1	2	3	4
1.	8	उदयपुर बाइपास 269/500 से 280/500 कि.मी.	छूट प्राप्त नहीं
2.	11	रींगस बाइपास (आरओबी) 294/600 से 297/800 कि.मी.	छूट प्राप्त नहीं
3.	11ए	बानगंगा पुल 9 कि.मी.	छूट प्राप्त नहीं
4.	11बी	खरार पर पुल (66 कि.मी.) और बामनी पर पुल (37 कि.मी.) पर संयुक्त पथकर	छूट प्राप्त
5.	11बी	लालसोट गंगापुर	छूट प्राप्त
6.	12	कोटा में 244-245 कि.मी. पर चंबल पुल	छूट प्राप्त
7.	12	338 कि.मी. पर चन्द्रभागा पुल	संसद सदस्य को छूट प्राप्त
8.	12	89 कि.मी. पर बानस पुल	छूट प्राप्त नहीं
9.	76	482 कि.मी. पर पार्वती पुल	छूट प्राप्त
10.	76	437 कि.मी. पर कालसिंग पुल	छूट प्राप्त
11.	112	90/0 से 105/0 कि.मी. (बार पर)	छूट प्राप्त

1	2	3	4
12.	113	180 से 195 कि.मी. तक बांसबाड़ा-दाहोद	छूट प्राप्त
13.	8	गुड़गांव-कोटपुतली	छूट प्राप्त
14.	8	कोटपुतली-चांदवाजी-जयपुर बाइपास	छूट प्राप्त
15.	79 व 79ए	किशनगढ़-कवलियाज गांव भिलवाड़ा	छूट प्राप्त
16.	79	भिलवाड़ा-चित्तौड़गढ	छूट प्राप्त
17.	76	रीठोल गांव-उदयपुर	छूट प्राप्त
18.	8	उदयपुर-खेरवाड़ा	छूट प्राप्त
19.	8	खेरवाड़ा-रतनपुर	छूट प्राप्त
20.	3	आगरा-धौलपुर	छूट प्राप्त
21.	8	जयपुर-किशनगढ	स्थानीय संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य को छूट प्राप्त
22.	8	आरओबी-किशनगढ (367.320 से 368.783)	छूट प्राप्त

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में लघु परियोजनाएं

1978. श्रीमती मेनका गांधी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जनजातियों के कल्याण हेतु पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आरंभ की गई लघु परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं से अब तक कितनी जनजातियों को लाभ पहुंचा है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) महाराष्ट्र में ऐसी कोई "लघु परियोजनएं" शुरू नहीं की गई हैं। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों और उसकी वार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदान की गई निधियों में से राज्य सरकार ने राज्य में जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक परियोजनाएं/स्कीमें शुरू की हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोन नदी के ऊपर पुल

1979. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर रायबरेली के बीच लोन नदी पर बने पुल को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त पुल के पुनः निर्माण हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मूल रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। उक्त क्षतिग्रस्त पुल राज्यीय राजमार्ग पर स्थित है। उक्त पुल के पुनर्निमार्ण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना

1980. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना यू.जी.सी. की शक्तियों को कम करने तथा उस युग में प्रवेश करने की है जहां राज्यों का आधिपत्य हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "अनुसंधान सहित उच्च शिक्षा के विकास तथा आयोजन के समन्वय" हेतु मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग नामक सर्वोच्च निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 तथा 31ग का संरेखण

1981. श्री जोवाकिम बखला : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 तथा 31ग के संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तथा 31ग के संरेखण को बदलने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित संरेखण का ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) एन.एच.डी.पी. चरण-II के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम महामार्ग के एक हिस्से के रूप में पड़ने वाले रा.रा. 31 और 31सी के संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (च) चूंकि पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 31सी का मूल अनुमोदित संरेखण वन्य जीव अभ्यारणयों/राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरता है इसलिए पर्यावरण और वन मंत्रालय/वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड ने इस संरेखण को अनुमोदित नहीं किया था। इसलिए, वन्य जीवन राष्ट्रीय बोर्ड और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके वन्य जीव अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरने वाले रा.रा. 31 और 31सी का संरेखण बंद करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, नए संरेखण की पहचान करने के लिए साध्यता अध्ययन किया गया है।

विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक सत्र

1982. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों हेतु एक समान शैक्षणिक सत्र की योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य किए एजेंसी को सौंपे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उसने सभी विश्वविद्यालयों से एक राष्ट्रीय शैक्षणिक कलैण्डर का अनुसरण करने की सिफारिश की है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 'उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता' पर अन्य बातों के साथ-साथ यह दोहराया है कि यद्यपि प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रवेश तिथियों, अवकाश-अनुसूची, परीक्षा आयोजन और परिणामों की घोषणा के लिए प्रावधान करते हुए अपना शैक्षणिक कलैण्डर तैयार करना चाहिए, तथापि यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसे शैक्षणिक कलैण्डर कम से कम उस राज्य के विश्वविद्यालयों के कलैण्डरों के तुल्यकालिक हों ताकि छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने में असुविधा न हो। स्वायत्त संस्थाएं होने के नाते विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्णय स्वयं लेना होता है।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

1983. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक से वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को अतिरिक्त आवासों की मंजूरी के संबंध में भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष (2005-06) के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अन्य परियोजना प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत जारी भारत सरकार की सब्सिडी के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी राशि (लाख रु. में)	शामिल किये गये आवासों की सं.	शामिल किये गये शौचालय सीटों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	867.43	3765	0

1	2	3	4	5
2.	छत्तीसगढ़	237.12	1185	0
3.	जम्मू और कश्मीर	78.81	180	191
4.	झारखंड	696.40	3482	0
5.	कर्नाटक	880.32	3962	0
6.	केरल	1027.44	5137	0
7.	मध्य प्रदेश	50.00	200	0
8.	महाराष्ट्र	1147.64	5698	40
9.	नागालैंड	27.00	120	0
10.	राजस्थान	16.88	67	0
11.	तमिलनाडु	465.60	18483	0
12.	पश्चिम बंगाल	145.57	703	0
	कुल	5640.21	42982	231

विवरण-II

उन परियोजना प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे जिनमें समान राज्य अंश जमा कराया जा चुका है तथा वर्तमान वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान भारत सरकार की सब्सिडी जारी करने का अनुरोध किया गया है

क्र. सं.	राज्य	एजेंसी	यूनिटों की सं.		अनुरोध की गयी भारत सरकार की सब्सिडी (लाख रु. में)			परियोजना प्रस्तावों की स्थिति
			डीयू	टीएस	डीयू	टीएस	कुल (6+7)	
1.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	1292	0	323.00	0.00	323.00	इस प्रस्ताव को वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) की केन्द्रीय स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है
2.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	1120	0	224.00	0.00	224.00	
3.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	1079	0	215.80	0.00	215.80	
4.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	0	300	0.00	60.00	60.00	
5.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	335	0	67.00	0.00	67.00	
6.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	300	0	60.00	0.00	60.00	
7.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएचसी	20726	0	4504.60	0.00	4504.60	
8.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएचसी	10038	0	2344.00	0.00	2344.00	
9.	आंध्र प्रदेश	एसयूडीए	278	0	42.30	0.00	42.30	
10.	बिहार	एनपी बेगुसराय	37	0	7.40	0.00	7.40	
	कुल		35205	300	7788.10	60.00	7848.10	

उन परियोजना प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे जिनमें समान राज्य अंश जमा नहीं कराया गया है और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सैद्धांतिक अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया है

क्र. सं.	राज्य	एजेंसी	यूनिटों की सं.		अनुरोध की गयी भारत सरकार की सब्सिडी (लाख रु. में)			परियोजना प्रस्तावों की स्थिति
			डीयू	टीएस	डीयू	टीएस	कुल (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुजरात	नवसरी एनपी	484	0	96.80	0.00	96.80	इस प्रस्ताव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	351	0	70.20	0.00	70.20	को वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) की केन्द्रीय स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है
3.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	1192	180	238.40	36.00	274.40	
4.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	680	0	136.00	0.00	136.00	
5.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	462	80	92.40	16.00	108.40	
6.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	1464	200	292.80	40.00	332.80	
7.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	371	40	74.20	8.00	82.20	
8.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	493	160	98.60	32.00	130.60	
9.	महाराष्ट्र	एमएचएडीए	9187	0	2296.75	0.00	2296.75	
	कुल		14684	660	3396.15	132.00	3528.15	

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद पर डब्ल्यू.टी.ओ. का निर्णय

1984. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में भारत और अमरीका की एक ही स्तर पर वार्ता हुई है जबकि दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद में भारी असमानता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू.टी.ओ. में लिया गया निर्णय देश के हित में है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विकासशील देश के रूप में भारत, रूपरेखाओं के सभी घटकों में विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार का हकदार है।

[अनुवाद]

भारत-फ्रांस संबंध

1985. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार एवं निवेश के अवसर तलाशने के लिए फ्रांस का एक शिष्टमंडल अक्तूबर में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश व्यापार बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में व्यापार कर रही 250 कंपनियों में से केवल 10 कंपनियों ने ही भारत में अपने कार्यालय खोले हैं; और

(च) यदि हां, तो नए कार्यालय खोलने तथा देश में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों में फ्रांसीसी व्यापारियों का निवेश बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) भारत और रोन आल्प्स क्षेत्र के बीच अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए रोन आल्प्स क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष श्री जीन जैक क्वेयरेन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ व्यापारी, अधिकारी, शिक्षाविद् आदि शामिल थे, के दिनांक 22 से 29 अक्तूबर, 2005 तक भारत का दौरा किया।

(ग) से (च) सरकार का यह सतत प्रयास है कि फ्रांस सहित यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों में प्रत्यक्ष व्यापारिक स्तर पर संपर्कों को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों में सहभागिता, शिष्टमंडलों के परस्पर दौरे, शीर्षस्थ व्यापारिक तथा उद्योग संगठनों एवं ऐसे अन्य संगत निकायों के माध्यम से व्यापार से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करना आदि शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फ्रांस के रोन आल्प्स क्षेत्र से 250 कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर रही है और 10 के कार्यालय भारत में स्थित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य कंपनियां,

खास तौर से लघु तथा मध्यम आकार की कंपनियां व्यापार एवं निवेश संबंधी कार्यकलापों को चलाने के लिए सहायता प्राप्त कर सकें, एंटरप्राइज रोन आल्प्स इन्टरनेशनल (ई.आर.ए.आई.) द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यालय स्थापित किया गया है।

यमुना-हिंडन जलमार्ग परियोजना

1986. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ़ साधु यादव :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना-हिंडन जलमार्ग परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इनमें कितना खर्च अंतर्ग्रस्त है तथा इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना हैं; और

(ङ) इससे लोगों को कितना लाभ होने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) अंतर्देशीय जल-परिवहन की ऐसी कोई भी परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ओलावृष्टि के कारण हानि

1987. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल नष्ट होने पर उन्हें कोई सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किसानों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) की योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान करने की व्यवस्था हैं। इन मदों और मानदंडों में, छोटे और सीमांतिक किसानों, जिनकी फसलें 50% से ज्यादा नष्ट हो गई हैं, के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु, 1,000/-रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्रों हेतु 2,500/-रु. प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों हेतु 4,000-रु. प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि निवेश इमदाद की व्यवस्था है। इन मानदंडों के तहत छोटे और सीमांतिक किसानों के अलावा अन्य किसानों को भी लगातार दूसरे वर्ष (या उत्तरवर्ती वर्ष) भी गंभीर स्वरूप की आपदा आने की स्थिति में केवल 2 हेक्टेयर तक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त किसान कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हुई क्षति हेतु मुआवजों के पात्र हैं।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात 2002-03, 20003-04, 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटन और सी.आर.एफ. से जारी सहायता तथा एन.सी.सी.एफ. से जारी निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्राकृति आपदाओं के रूप में मान ली गई सभी आपदाओं, जिसमें अन्य के साथ-साथ ओलावृष्टि भी शामिल है, हेतु वित्तीय आयोगों की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों को सी.आर.एफ. में निधियों की मात्रा आबंटित की जाती है। यह आबंटन किसी आपदा विशेष के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। चूंकि जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है इसलिए विभिन्न आपदाओं हेतु किसानों को प्रदान की गई सहायता के ब्योरे संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के लिए जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	सी.आर.एफ. का आबंटित/जारी केन्द्रीय अंशदान			एन.सी.सी.एफ. से जारी निधियां		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	163.77	171.96	180.56	59.94	116.75	117.88

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.94	10.44	10.96	12.78	29.79	9.09
3.	असम	83.92	88.12	92.52	0.00	0.00	211.55
4.	बिहार	55.37	58.14	90.12	0.00	0.00	398.92
5.	छत्तीसगढ़	22.72	23.85	36.955	100.68	26.83	52.74
6.	गोवा	1.03	1.08	1.13	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	133.46	140.13	147.14	23.29	32.41	55.00
8.	हरियाणा	67.23	70.59	74.12	0.00	0.20	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	35.96	37.75	39.64	14.05	0.30	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	28.86	30.30	31.82	0.00	0.00	50.00
11.	झारखंड	46.88	49.22	51.68	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	61.66	64.74	67.98	196.88	316.47	63.62
13.	केरला	55.60	58.38	61.30	0.00	0.00	206.00
14.	मध्य प्रदेश	51.78	54.39	57.10	183.34	36.72	1.70
15.	महाराष्ट्र	129.99	136.49	143.31	20.00	77.46	173.23
16.	मणीपुर	4.03#	0.00*	0.00*	7.07	0.00	0.00
17.	मेघालय	3.26	3.42	3.59	0.00	0.00	6.16
18.	मिजोरम	2.46	2.58	2.71	0.00	0.00	10.68
19.	नागालैंड	1.62	1.70	1.79	0.00	0.00	1.81
20.	उड़ीसा	90.52	95.04	99.79	21.84	104.43	53.44
21.	पंजाब	101.47	106.55	111.87	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	171.16	179.72	188.71	434.08	512.74	216.79
23.	सिक्किम	5.71	6.00	6.30	0.00	0.00	9.90
24.	तमिलनाडु	84.87	89.11	93.57	215.99	289.45	783.14
25.	त्रिपुरा	4.30	4.51	4.74	0.00	0.00	0.05
26.	उत्तर प्रदेश	120.95	127.00	133.36	310.06	41.87	192.10
27.	उत्तरांचल	26.76	28.10	29.50	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	83.60	87.78	92.17	0.00	0.00	0.00
	कुल	1648.88	1727.09	1854.436	1600.00	1587.42	2613.80

*सी.आर.एफ. का केन्द्रीय अंशदान, पहले जारी की गई निधियों के क्रेडिटिंग के संबंध में सूचना, उपयोगिता प्रमाणपत्र और वार्षिक रिपोर्ट न मिलने के कारण जारी नहीं किया गया है।

#पिछले वर्ष हेतु सी.आर.एफ. की बकाया राशि सहित।

लघु उद्योगों में रोज़गार के अवसरों का कम होना

1988. **श्री अजीत जोगी : क्या लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में रोज़गार के अवसरों के कम होने का रूझान अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हालांकि लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी होते हैं, केन्द्र सरकार आधारभूत संरचना, ऋण, विपणन, प्रौद्योगिकी इत्यादि में लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इसके अलावा, वह खास तौर पर स्व रोजगार अवसरों के सृजन के लिए तैयार की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन करती हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 4.4 मिलियन लोगों, आर.ई.जी.पी. के तहत 2.5 मिलियन लोगों के लिए और पी.एम.आर.वाई. के तहत 1.65 मिलियन लोगों के लिए एक अतिरिक्त रोजगार लक्ष्य क निर्धारण किया गया है। यह अनुमान लगाय गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां लघु उद्योग क्षेत्र, आर.ई.जी.पी. और पी.एम.आर.वाई. के लिए क्रमशः 3.4 मिलियन, 1.36 मिलियन और 1 मिलियन रही हैं।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

1989. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री आलोक कुमार मेहता :
डा. के. धनराजू :
श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोटों तथा देश में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के परिणामस्वरूप हाल ही में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर आतंकवादियों, उग्रवादियों, संगठित आपराधिक माफिया के खतरे की आशंका के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की, समय-सयम पर, समीक्षा की जाती है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित आसूचना जानकारियां नियमित आधार पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के सथ बांटी जाती हैं। उच्च सुरक्षा जोन, जहां खतरे की आशंका वाले व्यक्ति विशेष वगीकृत सुरक्षा प्राप्त गण्यमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त अधिकांश विशिष्ट व्यक्ति रह रहे हैं, में दिल्ली पुलिस क्षेत्रीय सुरक्षा (एरिया सिक्यूरिटी) प्रदान करती है। खतरे की आशंका बढ़ने के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने पर सुरक्षा उपायों में वृद्धि की जाती हैं।

पाकिस्तानी अपराधी

1990. **श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कोई भारतीय इन अपराधियों को शरण देता पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) देश में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिकों तथा इन अपराधियों को शरण देते पाए जाने वाले भारतीयों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। यह सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है।

राज्य राजमार्ग का उन्नयन

1991. ***योगी आदित्यनाथ : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मौजूदा राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला गया;

(ग) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-सोनली सड़क सहित राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ङ) गोरखपुर-सोनली सड़क सहित इन सभी राजमार्गों का उन्नयन कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता, संसाधनों की उपलब्धता और राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के आधार पर फरवरी, 2004 में 43 राज्यीय सड़कों (कुल लंबाई 7457 कि.मी.) को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) गोरखपुर-सोनली सड़क को 25.02.2004 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। फरवरी, 2004 के दौरान की गई घोषणा के बाद विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बारे में प्राप्त प्रस्तावों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में और अधिक सड़कों की घोषणा करने के बजाय राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में पहले से ही घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। अतः फरवरी, 2004 के बाद कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए हैं।

विवरण

राज्य सरकारों से 25.2.2004 के बाद प्राप्त नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी प्रस्तावों के अद्यतन ब्योरे

क्रं.सं.	राज्य का नाम	सड़क/खंड का विवरण	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1. नेल्लोर-अतमाकुर-बड़वेल-मैदुकुरे-गुटी	314
		2. हैदराबाद-रामगुंडम-मंचेरियल-चंदा	330
		3. हैदराबाद-श्रीसेलम-दोरनाला-नांदयाल	300
		4. गुंडूगोलनू-नाल्लाजिरिया-देवारापल्ली-वरनागिरी सड़क	83
		5. कृष्णापट्टनम पत्तन-नेल्लोर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6. हैदराबाद-मेडॉक-बोधन-बसर-लक्षीपेट	395
		7. काकीनाडा-द्वारापुडी-राजमुंदरी-कोवूर-सूर्यपेटा	300
		8. राजमुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंतोरू-भूपालपट्टनम	400
		9. कुरनूल-अतमातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10. कोडाक-मिरियालागुडा-देवाराकोंडा-टंडूर-चिंचोली	240
		11. बेल्लारी-एडोनी-रायचूर-महबूबनगर-जदचेरला	200
		12. कलिंगपट्टनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रा.रा. 201 तक	120
		13. सिरोंचा महादेवपुर-टूंगातूर्थी-इरपेडू-रेनुगुंटा	650
		14. अंकापल्ली-आनंदपुरम	50
		15. कुप्पम-गुंडीपल्ली-कोलार से रा.रा. 219	70

1	2		3	4
		16.	कोदाद-खम्माम-थोरपुर-वारंगल-जगीत्याल	290
		17.	अनंतपुर-उरवकोंडा-बेल्लारी	78
			उप जोड़	4590
II	असम	1.	घोदर अली	250
III	गुजरात	1.	सरखेज-सानंद-वीरामगम-मलिया के निकट रा.रा.सं. 8ए	186
		2.	हिम्मतनगर-मेहसाणा-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		3.	वड़ोदरा-पोर-नासिक सड़क जो रा.रा. 8 ए को रा.रा. 6 से जोड़ती है	245
		4.	अहमदाबाद-ढोलका-वतमाम	80
		5.	नाडियाड-कापड़वंज-रा.रा. 8 को जोड़ने वाली मोडासा	135
		6.	सामलाजी-मोडासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	506
		7.	वडोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा	125
		8.	भरूच-अंकलेश्वर-सगबारा से महाराष्ट्र सीमा	90
		9.	हिम्मनगर-ईडर-खेदमरमा-अंबाजी से अबू सड़क सीमा तक	130
		10.	जाफराबाद-रजूली-अवरकोंडला-पटादी-सामी-राधनपुर	440
		11.	गणदेवी-मानिकपुर-चिंचली से महाराष्ट्र सीमा	120
		12.	वडसाड-परदी-कपराडा महाराष्ट्र सीमा	60
		13.	गांधीनगर-गहगाम-बायड-जलोड से राजस्थान सीमा	200
		14.	गांधीनगर-गोरारिया-वीसानगर-अंबा जी-अबू सड़क	170
		15.	भचाऊ-भुज-पांघो सड़क	220
		16.	बागोदरा-धनकुला-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	265
		17.	बागोदरा-धनकुला-भावनगर	130
		18.	रा.रा. 8 पर भावनगर-वतामम-पडारा-कर्जन	200
		19.	मलिया-जामनगर-ओखला-द्वारका	340
			उप जोड़	3806.00
IV	दादरा एवं नगर हवेली		दमन-वापी-सिलवासा-खनवल-त्रियम्बकेश्वर-नासिक	190.00
V	हरियाणा	1.	अम्बाला कैन्ट(रा.रा. 1) से साहा(रा.रा. 73)	15
		2.	साहा(रा.रा 73) से सहाबाद(रा.रा. 1)	26
		3.	उकलाना(रा.रा. 65)-सुरेवालजल से टोहना-पटरन (रा.रा. 71)	29.40
			उप जोड़	60.40

1	2	3	4
VI	हिमाचल प्रदेश	1. होशियारपुर-बनखंडी	
		2. झरला-भोटा-जोहा-रिवालसर-मांडी सड़क	180.00
VII	कर्नाटक	1. बिलकेरे-हसन-बेलूर-तारोंलेरे	220
		2. सीरा-गौरीबिदानूर-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	210
		3. हेबसूर-धारवाड़-रामनगरम (लौंडा)	82
		4. हंगुद-लिंगूसुगुर-रायचूर-गाडवेलेन से रा.रा. 7	205
		5. मैसूर-बिलीकेरे-मेडाकेरी-पुट्टूर-बीसी सड़क	216
		6. चनारायपटना-श्रवणबेलागोला-हीरीसावे	40
		7. श्रवणबेलागोला-नगममंगला-मद्दूर	95
		8. मैसूर-मालावली	52
		9. बागलकोट-गोलेडागुडा-बादामी-येलबग-कुंकुर	130
		10. कडूर-काननगाड (एस.एच. 64)	220
		11. बंगलौर-हिंडपुरा वाया विदुस्वाथा	82.10
		12. मैसूर-मालावाली सड़क	45
		13. बिलीकेरे हासन-होसपेट-मानवी-रायचूर सड़क	612
		14. मैसूर-श्रीरंगपट्टनम-हिरियूर-बीदर सड़क	743
		15. बंगलौर-मैसूर-मादीकेरे-पुट्टूर सड़क	361
		16. बेलगाम-यारागल्ली-मुदगल-महबूबनगर सड़क	338
		17. धारवाड़-रामनगर सड़क	52
		18. बंतवाल-मुदीगेरे-बेलूर-सीरा-राज्य सीमा	487
		19. जीवारगी-हाटीगुडूर-लिंगसुगुर-सिंघनौर-बेल्लारी	248
		20. डोडावल्लापुर-नंदी-विजयपुरा-वीमागल-कोलार	82
		21. हासन-बेलूर-हालीबेडू-श्रीयेरी	-
		उप जोड़	4518.10
VIII	केरल	तीरूर-कोट्टाकल-मालापुरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
IX	महाराष्ट्र	1. तटीय सड़क (गुजरात में लोकपेट-केरल में कोचीन)	733.87
		2. अकोला-नांदेड़-डुगुलूर-रायचूर	457.00
		कोल्हापुर-सोलापुर-लातूर-नांदेड़-यनटोल-वर्धा-नागपुर	1190.870
X	मेघालय	1. नांग्स्टाइन-तुरा सड़क	218
		2. अगिया-मेघीपारा-फुलवाबरी-वारेनगापारा सड़क	224
		उप जोड़	442

1	2		3	4
XI	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नगालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2.	हाफलांग-माहुर-लैके-नगालैंड में कोहिमा	182
		3.	नगालैंड में ट्यूनसेंग-नागीनिमोरा-असम में सिबसागर	265
			उप जोड़	725
XII	उड़ीसा	1.	कटक-पारादीप	82.00
		2.	संबलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3.	जगतपुर-केंद्रपाड़ा-चांदबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4.	फुलबनाखारा-चारीचाक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5.	बरहामपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6.	काखिया-जजपुर-अरदी-भद्रक सड़क	92.50
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरीनगी सड़क	40.49
		8.	करमडीही-सुबडेगा-तलसोरा-लूहाकेरा	37.00
		9.	राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10.	कुकुरभूका-लांजीबरना-सालांग बहल सड़क	31.00
		11.	जालेश्वर-बतगांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12.	धेनकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13.	जयपोर-मलकांगिरि-मोतु सड़क	323.00
			उप जोड़	**1584.87**
XIII	राजस्थान	1.	मथुरा-भरतपुर सड़क	40.
		2.	नसीराबाद-देवली सड़क	95
		3.	कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		4.	खैरवाड़ा-डूंगरपुर-बनासवाड़ा-रतलाम सड़क	210
		5.	स्वरूप-गंज-कोटरा-सोम-खेरवाड़ा सड़क	147
		6.	फलूदी-नागौर सड़क	140
		7.	श्रीडूंगरगढ़-सरदारशहर-पुलासर-जसरासर	115
		8.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (म.प्र.)	44
		9.	कोसी-कामा-डीग-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर	139
		10.	गौतमी-चौराहा-दीसूरी-सादरी-अहोर-जालौर-बारमेड़	306
		11.	फलूदी-बालोतरा-जालौर-सिरोही	343
		12.	नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	176
		13.	किर्की चौकी-मिंडर-साईलम्बर-असपुर-दुर्गापुर	146

1	2	3		4
		14.	होडल-पुनहाना-नहरतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		15.	चांदवाजी-चोमू-रा.रा. 8 की बागरू	171
		16.	सिरोही-मांडर डीसा (गुजरात)	68
		17.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधोपुर	248
			उप जोड़	2715
XIV	सिक्किम	1.	नथुला से सिक्किम तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	
XV	पांडिचेरी	1.	कराईकल-नेदुनगाडु-कुम्बाकोनम-तंजीर सड़क	
		2.	कराईकल-पेरालम-माइलाडुथुरई-सिरकाली सड़क	
		3.	कराईकल-पेरालम थिरूवरूर सड़क	
		4.	सिरकाली-सेमबानरकोइल-कराईकल के साथ अकूर सड़क लिंक	
XVI	तमिलनाडु	1.	साथी-अठन्नी-भवानी सड़क (राज्यीय राजमार्ग नं. 82)	52.80
		2.	अविनाशी-तिरूपुर-पालादम-पोलाची-मीनकराई सड़क	99.60
		3.	त्रिची-चिदम्बरम सड़क	135.40
		4.	त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		5.	थिरूचारापल्ली-लालगुडी-कालागुडी-उद्यानपल्या-गंजयकोंडा-छालापुरी-मी-काट्टामानागाडी-चिदम्बरम	140.00
		6.	तंजावुर-अदादाकोट्टई-पुडुकोट्टई	60.00
			उप जोड़	565.20
XVII	त्रिपुरा		कुकीतल से सबरूम वाया धरमानगर-अमरपुर-रूपाईचारी	
XVIII	उत्तर प्रदेश	1.	कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2.	सिरसागंज-करहल-किसनी-विधुना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3.	बरेली-बदाऊं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4.	लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद सड़क	185.139
		5.	जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		6.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
		7.	लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
			उप जोड़	943.232
XIX	पश्चिम बंगाल	1.	बोलपुर-बर्दवान सड़क	
		2.	पश्चिम बंगाल में बालगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया	102
			कुल जोड़	22336.672

[अनुवाद]

भूकंप राहत सामग्री का अन्यत्र उपयोग

1992. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकंप पीड़ितों के लिए काफी मात्रा में सामग्रियों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 2005 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है जिसमें यह कहा गया है कि ये सामग्रियां खुले बाजार में बेची दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए आयातकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'ग्लोबल टेक्नीकल रेग्यूलेशन्स फॉर मोटर वेहिकल्स' संबंधी समझौता

1993. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'ग्लोबल टेक्नीकल रेग्यूलेशन्स फॉर मोटर वेहिकल्स' संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से वाहनों के निर्यात में लाभ मिलेगा तथा विकास और उत्पादन की लागत कम होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग (यू.एन. - ई.सी.ई.) की एक संस्था डब्ल्यू पी-29 - वाहन विनियमों की समरूपता के लिए विश्व मंच द्वारा संचालित विश्वव्यापी मोटर वाहन तकनीकी विनियमों (जी.टी.आर.) संबंधी 1998 के करार पर भारत ने हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। 1998 का यह करार, पहिएदार मोटर वाहनों, ऐसे उपस्करों और कलपुर्जों जिन्हें पहिएदार वाहनों में फिट और/अथवा उनमें प्रयुक्त किया जा सकता है, के लिए विश्वव्यापी तकनीकी विनियमों की स्थापना के लिए एक मंच है। 1998 के करार का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता की बाध्यकारी बाध्यताओं के बिना विश्वव्यापी (ग्लोबल) विनियमों में सुरक्षा, उत्सर्जन विनियमों, ऊर्जा स्रोतों और चोरी रोकने के उपस्करों में अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठतम व्यवहारों का संहिताकरण करना है।

(ग) और (घ) चूंकि विश्वव्यापी तकनीकी विनियमों को, संविदाकारी देशों के मौजूदा विनियमों के सुमेलन तथा सभी संविदाकारी पक्षों की सहमति से नए विनियमों की स्थापना द्वारा तैयार किया गया है, अतः ऐसे डिजाइन विनिर्देशों पर बनाए गए वाहन संविदाकारी पक्षों के विनिर्देश को व्यापक रूप से पूरा करेंगे।

अवैध प्रवासियों को 'वर्क परमिट'

1994. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को 'वर्क परमिट' जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परमिटों को जारी करने के लिए किसी समय-सीमा को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को वर्क परमिट जारी करने हेतु व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत में अवैध उत्प्रवास रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) मंत्रियों के समूह ने "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने" के संबंध में अपनी रिपोर्ट में अवैध प्रवासन को समाप्त करने के उपाय के रूप में "विदेश राष्ट्रिकों को वर्क परमिट" जारी करने हेतु स्कीम शुरू करने तथा इसकी शुरूआत बांग्लादेशी और म्यांमार राष्ट्रिकों से करने की सिफारिश की है। यह स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

(च) भारत में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की घूसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनों का गठन करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी सीमा दोनों पर गश्त बढ़ाना, सीमा सड़कों और बाड़ के निर्माण का त्वरित कार्यक्रम चौकियों की संख्या में वृद्धि करना, निगरानी के आधुनिक उपकरणों का प्रावधान करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों को राजमार्गों के साथ जोड़ना

1995. श्री शिशुपाल पटले :
श्री समिक लाहिरी :
श्री मुन्शीराम :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख पत्तनों को राजमार्गों के साथ जोड़ने के लिए कोई विस्तृत येाजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उन पत्तनों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत जोड़े जाने की संभावना है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार पत्तनों से जुड़ी सड़कों को चौड़ा करने तथा आधुनिक बनाने पर भी विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो पत्तनों से जुड़ी ऐसी सड़कों की संख्या कितनी है जहां अब तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है;

(छ) क्या इन सड़कों पर कार्य को समय अवधि के अंदर पूरा कर दिया गया है अथवा पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इन सड़कों पर कार्य पूर्ण करने में हुए विलंब के कारण कितनी अतिरिक्त लागत बढ़ने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस परियोजनाके कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत करते हुए दिसंबर, 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को अनुमोदित किया था। इस परियोजना में प्रमुख पत्तनों के साथ सड़क-संपर्क का कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा कांडला पत्तन के लिए सड़क संपर्क परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एन.एच.ए.आई. को भी प्राधिकृत किया गया था जिसे मंत्रालय द्वारा पहले ही दिसंबर, 2000 से पूर्व मंजूरी दे दी गई थी। पत्तनों को जोड़ने वाली सड़कों के ब्योरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(च) प्रमुख पत्तनों को जोड़ने वाली सड़क के अभी तक निम्नलिखित कार्य पूरे कर लिए गए हैं :-

(i) जवाहर लाल नेहरू पत्तन सड़क संपर्क, पैकेज-I (30 कि.मी.)

(ii) कांडला पत्तन सड़क संपर्क (56.16 कि.मी.)

(iii) गोवा पत्तन सड़क संपर्क (18.3 कि.मी. में से 13.1 कि.मी.)

(छ) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ज) कार्य प्रगति पर हैं। कार्य पूरा करने में अतिरिक्त लागत, यदि कोई जाती है, तो उसके बारे में जानकारी कार्य पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो सकता है।

विवरण

क्रम सं.	पत्तनों के साथ सड़क संपर्क	कार्य क्षेत्र	स्थिति/कार्य पूरा करने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	कांडला	1. समख्याली-गांधीधाम पैकेज-I रा.रा.8ए पर 306-324 कि.मी. को चार लेन का बनाना	पूरा हो गया।
		2. समख्याली-गांधीधाम पैकेज-II रा.रा.8ए पर 324-346 कि.मी. को चार लेन का बनाना	पूरा हो गया।
		3. समख्याली-गांधीधाम पैकेज-III रा.रा.8ए पर 346-362.160 कि.मी. को चार लेन का बनाना	पूरा हो गया।
2.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-I	5/000 से 26/987 कि.मी. और 0/000 से 4/400 कि.मी. तक रा.रा. 1बी को चार लेन का बनाना और 106/000 से 109/500 कि.मी. तक रा.रा. 4 को चार लेन का बनाना लंबाई - 30 कि.मी.	पूरा हो गया।

1	2	3	4
	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-II	6.400 से 14.550 कि.मी. तक राज्यीय राजमार्ग 54 को चार लेन का बनाना और महाराष्ट्र में पनवेल क्रीक (बेलापुर-गवनफाटा-6.202 कि.मी.) पर 6 लेन के बड़े पुल सहित 4 लेनीय आमरा मार्ग का निर्माण लंबाई - 14.35 कि.मी.	कार्य प्रगति पर है। इसके मई, 2007 तक पूरा होने की संभावना है।
3.	मुरगांव	रा.रा. 17 पर वर्ना जंक्शन से मुरगांव पत्तन तक रा.रा. 17बी को चार लेन का बनाना लंबाई - 18.3 कि.मी.	13.1 कि.मी. तक कार्य पूरा हो गया है। *5 कि.मी. के शेष खंड को राज्य सरकार द्वारा सुविधा स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर आदि के पूरा हो जाने के बाद ही आखिरी चरण में शुरू किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें भुगतान राशि जारी कर दी गई है।
4.	नव मंगलूर	रा.रा. 17 (सुरतकल-नानतुर खंड) को चार लेन का बनाना, रा.रा. 48 (पाडिल-बंटवाल खंड) और रा.रा. 47 पर नानतुर जंक्शन से रा.रा. 48 पर पाडिल जंक्शन तक एक बाइपास। लंबाई - 37.5 कि.मी.	जून, 2005 में कार्य सौंप दिया गया है। इसके दिसंबर, 2007 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
5.	कोचीन	348/382 से 358/750 कि.मी. तक रा.रा. 47 को चार लेन का बनाना। लंबाई - 10.40 कि.मी.	कार्य प्रगति पर है। इसके दिसंबर, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
6.	तूतीकोरिन	4/000 से 51/200 कि.मी. तक रा.रा. 7ए को चार लेन का बनाना। लंबाई - 47.2 कि.मी.	कार्य प्रगति पर है। इसके मार्च, 2007 तक पूरा होने की संभावना है।
7.	चेन्नै और इन्नौर	चेन्नै-इन्नौर पत्तन संपर्क परियोजना - समुद्री संरक्षण कार्य सहित चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेसवे, टी.पी.जी. सड़क, आंतरिक रिंग रोड, मनाली आयल रिफाइनरी रोड। लंबाई - 30 कि.मी.	केवल समुद्री संरक्षण कार्य सौंपा गया है और यह कार्य प्रगति पर है। समुद्री संरक्षण कार्य के पूरा होने की संभावित तारीख - मार्च, 2006 *सड़क निर्माण कार्य तब सौंप दिया जाएगा जब एक बार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद इसमें 30 से 36 महीने लगेंगे।
8.	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम पत्तन संपर्क। लंबाई - 12.47 कि.मी.	कार्य प्रगति पर है। इसके मार्च, 2006 तक पूरा होने की संभावना है।
9.	पारादीप	0/0 से 77/0 कि.मी. तक रा.रा. 5 ए को चार लेन का बनाना।	कार्य प्रगति पर है। इसके जून, 2007 तक पूरा होने की संभावना है।
10.	हल्दिया	पश्चिम बंगाल में रा.रा. 41 के कोलाघाट-हल्दिया खंड के 0/500 से 52/700 कि.मी. को चार लेन का बनाना। लंबाई - 52.2 कि.मी.	-वही-

1	2	3	4
11.	कोलकाता (बरासत बाइपास को छोड़कर)	रा.रा. 6 को कोलकाता पत्तन से जोड़ने वाली सड़क	संरेखण को पूरा करने वाला सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। प्रारंभ में संरेखण वाया विद्यासागर सेतु और स्विंगब्रिज विचार किया गया था क्योंकि इसमें रक्षा भूमि शामिल थी इसलिए रक्षा प्राधिकारियों की अनुमति लेने के कारण कार्य में प्रगति नहीं हुई। वैकल्पिक संरेखणों की भी जांच की गई परंतु इन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया। अन्ततः रक्षा प्राधिकारियों ने मूल रूप से सुविचारित संरेखण के साथ ही सर्वेक्षण को अनुमति दी है।
12	मुंबई	1. 30 करोड़ रुपए की लागत पर बडाला एक्रास साल्ट पैन्स से ट्रक टर्मिनस रोड पर 700 मीटर पत्तन सड़क। पत्तन की 15 करोड़ रु. रुपए की भागीदारी है और शेष राज्य सरकार की।	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।
		2. अनिक पंजरपोल लिंक 5 इस्टर्न एक्सप्रेसवे को ट्रक टर्मिनस रोड जोड़ते हुए नई सड़क। इसकी कुल लागत 140 करोड़ रु. है और पत्तन का हिस्सा @ 25% है। शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।	2007 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

विदेश में बी.एस.एफ. कर्मियों का प्रशिक्षण

1996. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए बी.एस.एफ. सशस्त्र प्रशिक्षण सम्मेलन में सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) अब तक विदेश में प्रशिक्षित बी.एस.एफ. कर्मियों की संख्या कितनी है तथा भारत में उनके कार्य में ऐसे प्रशिक्षण की क्या उपयोगिता है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में प्रशिक्षण देने हेतु विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अभी तक, 14 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित सीमा सुरक्षा बल के 36 अधिकारियों ने विदेश में प्रशिक्षण लिया है। विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सूचना के प्रभावकारी आदान-प्रदान, सीमा सुरक्षा को खतरे का विश्लेषण तैयार करने और उनका अध्ययन करने एवं सामान्य हल ढूंढ़ने में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ) कुछेक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत, इन देशों के विशेषज्ञों की मदद से भी देश के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पात्र हैं। प्रशिक्षणार्थियों की यात्रा, खाने-पीने और ठहरने संबंधी व्यय को छोड़कर पाठ्यक्रमों संबंधी व्यय अधिकांशतः सहयोगी देशों द्वारा वहन किए जाते हैं।

विपणन विकास सहायता योजना

1997. डा. के.एस. मनोज : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रिबेट" योजना के स्थान पर विपणन विकास सहायता योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे लघु उद्योगों और कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की औद्योगिक वृद्धि में किस हद तक मदद मिलेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार अवसंरचना विकास, कच्चे माल की खरीद अथवा प्रापण हेतु विपणन विकास सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एम.डी.ए. के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता बढ़ाने तथा एम.डी.ए. की बकाया राशि जारी करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार ने कॅयर क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 से छूट योजना के स्थान पर विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना शुरू कर दी है।

(ख) एम.डी.ए. स्कीम के तहत शीर्षस्थ को-आपरेटिव सोसाइटीज़, सेंट्रल को-आपरेटिव सोसाइटीज, प्राईमरी को-आपरेटिव सोसाइटीज़, कॅयर उद्योग संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को तथा शोरूमों तथा कॅयर बोर्ड के बिक्री डिपो को विगत 3 वर्षों में कॅयर उत्पादों की औसतन वार्षिक कुल बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता को 1:1 के आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार के बीच शेयर किया जाता है। एमडीए फण्ड्स का उपयोग प्रचार और संवर्धन, मार्किट अध्ययन, शोरूमों के कंप्यूटरीकरण, छूट, इत्यादि के भुगतान सहित नवप्रवर्तनकारी विपणन कार्यनीतियों, जिससे कॅयर उद्योगों की प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है, के लिए किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) एम.डी.ए. स्कीम के तहत बकायों का निपटान करने के लिए संशोधित बजट आंकलन 2005-06 में 3.51 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि हेतु अनुरोध किया गया है।

सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु विशेष पैकेज

1998. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेष रूप से बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु एक विशेष पैकेज तथा सामान्य पैकेज प्रदान करने संबंधी कितने प्रस्ताव विभिन्न राज्यों से केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा सरकार के इसी तरह के विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) संघ सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास वार्षिक योजना कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियां, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है। किसी भी राज्य से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विशेष पैकेज अथवा सामान्य पैकेज जैसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) क्षति और अनुरक्षण आवश्यकता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। मरम्मत/अनुरक्षण कार्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किए जाते हैं।

वनिला की खेती करने वाले किसान

1999. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनिला की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के संबंध में किसानों और संसद सदस्यों के साथ चर्चाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या किसानों के संरक्षण हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 27 जून, 2005 को एक बैठक ली थी जिसमें संसद सदस्यों, उपजकर्त्ताओं तथा निर्यातकों ने भाग लिया था। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 26 अक्तूबर, 2005 को एक अन्य बैठक आयोजित की गयी थी। इन बैठकों के प्रमुख निष्कर्ष/निर्णय निम्नानुसार हैं :-

- वनीला बीन्स के उत्पादन, कीमतों आदि से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की स्थापना करना।
- मांग, पूर्ति और कीमतों के वैश्विक रूझानों के संबंध में बेंचमार्क सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) द्वारा एक अध्ययन करना। इस अध्ययन में प्राकृतिक वेनीलीन निकालने के लिए एक प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच

करना तथा वनीला की खेती और प्रसंस्करण से संबंधित प्रक्रियाओं के विभिन्न पैकेजों में सुधार करना शामिल होगा।

- प्राकृति वेनीलीन की घरेलू मांग में वृद्धि करना।
- भारत में घटिया गुणवत्ता की हरी बीन्स के आयात पर निगरानी रखना।

(ग) और (घ) जी, हां। किसानों को प्राप्तव्य आय में सुधार करने की दृष्टि से पूर्वोक्त बैठके निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैं :-

- एस.टी.सी. ने अध्ययन पूरा कर लिया है।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड और विदेश व्यापार महानिदेशालय से घटिया गुणवत्ता की हरी बीन्स के मामले पर गौर करने और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
- प्राकृतिक वेनीलीन की घरेलू मांग में वृद्धि करने की दृष्टि से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड/अमूल से सिंथेटिक वेनीलीन के स्थान पर प्राकृतिक वेनीलीन के उपयोग पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
- मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एस.टी.सी.एल.) प्राकृतिक वेनीलीन निकालने हेतु 3 मीट्रिक टन क्योर्ड वेनीलीन बीन्स की खरीद करने पर सहमत हुआ है जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाना है।
- वनीला बीन्स के उत्पादन और कीमतों आदि के संबंध में सूचना के प्रसार हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग

2000. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया के साथ एक विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौता करने का है जैसा कि 5 अक्तूबर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) भारत और आस्ट्रेलिया विभिन्न तरीकों से संतुलित एवं व्यापक आधार पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापार एवं आर्थिक कार्यढांचे (टी.ई.एफ.) की व्यवस्था करने पर सहमत हुए हैं। आर्थिक संबंधों में विस्तार करने के लिए टी.ई.एफ. में अभिज्ञात क्षेत्रों में शामिल हैं - अवसंरचना, ऊर्जा, खनन, सेवाएं, वस्त्र/कपड़ा, खाद्य/पेय पदार्थ, आई.सी.टी., पर्यटन आदि।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

2001. श्री बीर सिंह महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उच्च शिक्षा को महंगी बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ये सिफारिशें मान ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को किस आधार पर स्वीकार किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मैला ढोने पर प्रतिबंध

2002. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन :
श्री बापू हरी चौरे :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी मैला ढोया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मैला ढोने पर प्रतिबंध का कार्यान्वयन न किए जाने की न्यायालय द्वारा कड़ी आलोचना की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मैला ढोने की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किसी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) सूखे शौचालायों को कम लागत वाले टिवन पिट सेनिटरी शौचालयों में बदलने संबंधी वर्ष 1981 में लागू की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ज) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उपयोग की गई धनराशि तथा धनराशि को उपयोग न किए जाने के कारणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस कुरीति को बंद करने के लिए क्या समयवधि बनाई गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की कुल संख्या, जिन्हें अभी मैला ढोने से मुक्त किया जाना है, 3.27 लाख अनुमानित है। देश में समूची आबादी को दो गड्ढों वाले जलवाही शौचालय उपलब्ध नहीं है तथा देश के कुछ भागों में अभी भी शुष्क शौचालय विद्यमान है।

(ग) भारत सरकार द्वारा अधिनियमित मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण(निषेध) अधिनियम, 1993 में मानव मल ढोने के लिए किसी व्यक्ति को लगाने तथा नौकरी पर रखने और शुष्क शौचालयों के निर्माण अथवा रखरखाव पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

(घ) से (च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना अनुसार सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच के आदेश नहीं दिए गए कि क्या कहीं अभी भी मल ढोने की प्रथा चल रही है।

(छ) मैला ढोने वालों की इस प्रथा से मुक्ति के लिए एकीकृत कम लागत की सफाई स्कीम 1981 में आरंभ की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शुष्क शौचालों को दो गड्ढों वाले जलवाही स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ज) दसवीं योजना के दौरान स्कीम के लिए 200 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। चूंकि यह मांग आधारित स्कीम है, इसलि योजना आयोग द्वारा कोई राज्य-वार नियतन नहीं किया जा रहा। जारी की गई सब्सिडी, दिनांक 30.9.2005 तक प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग न किए जाने के संबंध में कुछ कारण नीचे दिए गए हैं:

राज्य सरकारों के पास बकाया अव्ययित राशि

- राज्य सरकारों द्वारा व्यवहारिक स्कीमों/प्रस्तावों को प्रस्तुत न किया जाना।

(झ) सरकार ने वर्ष 2007 तक मानव मल ढोने की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

विवरण

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के एकीकृत कम लागत सफाई कार्यक्रम के संबंध में जारी सब्सिडी के लिए प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के ब्यौरे

(30.9.2005 की स्थिति) (लाख रुपयों में)

राज्य	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी सब्सिडी	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों की राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	8307.69	6409.11
असम	295.7	41.29
बिहार	106.75	0
छत्तीसगढ	366.18	131.79
हरियाणा	1063.8	289.99
जम्मू व कश्मीर	215.98	215.59
झारखंड	19.98	0
कर्नाटक	669.33	669.33
केरल	69.08	69.08
मध्य प्रदेश	2909.54	2603.79
महाराष्ट्र	1084.32	749.45
मणिपुर	137.72	73.37
मेघालय	32.63	16.4
उड़ीसा	315.07	66.1
पंजाब	2055.94	2055.94
राजस्थान	2553.75	1954.48
तमिलनाडु	573.83	572.22
त्रिपुरा	176.36	173.26
उत्तर प्रदेश	4455.06	2950.65

1	2	3
उत्तरांचल	509.43	135.91
पश्चिम बंगाल	3636.08	3159.32
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.5	0
कुल	29571.12	22337.07

भारत और चीन के बीच व्यापार

2003. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की चीन को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हाल ही में बिजिंग में हुए एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रिमेंट सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा उसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान भारत और चीन के बीच 11333 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार - चीन को 4586 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात और चीन से 6747 मिलियन अमरीकी डालर का आयात हुआ था। वर्ष 2005-06 (अपैल-अगस्त) के दौरान भारत-चीन व्यापार 5494 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 49.74% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) चीन को होने वाले निर्यातों में वृद्धि करना सरकार का सतत प्रयास रहता है। इस दिशा में उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, सरकारी तथा व्यापारी दोनों स्तरों पर प्रतिनिधिमंडलों को भेजना-बुलाना, सूचना का आदान-प्रदान करना आदि शामिल हैं। भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पूरी की है जिसमें भारत और चीन के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की गई है।

(घ) बीजिंग में हाल ही में आयोजित एशिया-प्रशान्त व्यापार करार संबंधी सत्र में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में एशिया-प्रशान्त व्यापार करार की संभावना तथा भावी दिशा, करार के संशोधित पाठ नए नाम एवं लोगों को अंगीकृत करना, मंत्रिपरिषद के दूसरे सत्र की तारीख तथा स्थान को तय करना और मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र को पारित करना शामिल था। मंत्रिपरिषद में यह निर्णय लिया गया है कि एशिया-प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) के रूप में पुनः नामित बैंकाक करार के तहत वार्ताओं के तीसरे दौर में वार्ता की गई और सहमत रियायतों को 1 जुलाई, 2006 से लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक सड़क परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन

2004. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के वाणिज्यिक सड़क परिवहन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को मुआवजा

2005. श्री रामदास आठवले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों को मुआवजा दिया है जिनकी भूमि भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने हेतु ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह मुआवजा कब तक दिए जाने के संभावना है; और

(घ) अब तक मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) भारत सरकार ने, ऐसे किसानों के मुआवजा देने के लिए जिनकी भूमि भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित की गई है, पंजाब सरकार को 7.00 करोड़ रुपए तथा राजस्थान सरकार को 3.91 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार, मुआवजे के भुगतान के लिए जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात सरकारों से धनराशि की मांग संबंधी अभ्यावेदनों की प्रतीक्षा कर रही है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को विदेशी सहायता

2006. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को विदेशी सहायता आबंटन की प्रणाली में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की स्थायी समिति की पुनः स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुनर्गठन के बाद उक्त समिति द्वारा लिए गए मुख्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को इस मंत्रालय के माध्यम से भारतीय समेकित निधि से आवर्ती और अनावर्ती अनुदान मिलता है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्थाई समिति का गठन निम्नानुसार है :-

अध्यक्ष : प्रो. सी.एन.आर. राव, अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

सदस्य : (1) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई; (2) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली; (3) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर; (4) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर; (5) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास; (6) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी; (7) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की; (8) संयुक्त सचिव (तकनीकी) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सचिव के रूप में) (9) अपर सचिव, उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय; और (10) वित्त सलाहकार, उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(ङ) दिनांक 5.3.2005 और 23.8.2005 को आयोजित बैठक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की स्थाई समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार है :-

(i) संयुक्त प्रवेश परीक्षा सुधारों पर विशेष कार्य बल की सभी सिफारिशें अनुमोदित की गई।

(ii) वास्तुकला और क्षेत्रीय आयोजना, अभिकल्पना और चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों में प्रवेश स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए पी.एच.डी. की डिग्री आवश्यक न होने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

(iii) प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए केवल 25 अध्येताओं के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम हेतु नए प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

(iv) विज्ञान और अन्य सम्बद्ध विषयों में समेकित मास्टर कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

(v) छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या को 1:9 करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

राजभाषा सेवा का पुनर्गठन

2007. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सेवा का पुनर्गठन केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) की तर्ज पर किया जाएगा ताकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भारी गत्यावरोध को कम किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का पुनर्गठन कर दिया गया है।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और बाद में कतिपय बाकी पदों के उन्नयन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी.एस.ओ.एल.एस.) का निम्नानुसार गठन किया गया है :-

निदेशक :	इस पद का उन्नयन 12000-16,500/- रुपए के वेतनमान से 14,300-18,300/- रुपए के वेतनमान में किया गया है।
संयुक्त निदेशक :	12,000-16,500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के 20 नए पदों का सृजन किया गया है।

इसके बाद निम्नलिखित बाकी ग्रेडों के वेतनमानों का उन्नयन/पुनर्गठन किया गया है :-

उप निदेशक :	कोई परिवर्तन नहीं।
सहायक निदेशक :	इस पद का उन्नयन 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान से 7,500-12,000/- रुपए के वेतनमान में कर दिया गया है।
वरिष्ठ अनुवादक :	इस पद का उन्नयन 5,500-9000/- रुपए के वेतनमान से 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में कर दिया गया है।
कनिष्ठ अनुवादक :	इस पद का उन्नयन 5,000-8000/- रुपए के वेतनमान से 5,500-9,000/- रुपए के वेतनमान में कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

इंजीनियरिंग कालेजों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति

2008. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन इंजीनियरिंग कालेजों हेतु स्वीकृति प्रदान कर रही है, जिनके पास संबद्ध राज्य की सिफारिश नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार की सिफारिश के बिना कितने कालेजों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की अनाधिकृत स्वीकृति राज्य इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा योजना में समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 30 नवम्बर, 2005 को जारी अधिसूचना के अनुसार नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए, विद्यमान संस्थाओं का अनुमोदन बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त पाठ्यक्रम आरंभ करने, तथा दाखिला क्षमता में कमी तथा वृद्धि करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आगे से प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय संबंधित राज्य सरकार तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से विचार-विमर्श करेगी।

बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि

2009. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री मणी कुमार सुब्बा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री एल. गणेशन :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बांग्लादेश में शरण लिए हुए पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को हिरासत में लेने हेतु बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि का प्रस्ताव रखा है जैसा कि दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश के साथ हाल ही में गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इस में विभिन्न-मुद्दों पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त चर्चाओं के बाद लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का मामला पहले ही बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने इस मामले में अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी है।

(ग) से (ङ) भारत-बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में 27-28 अक्तूबर, 2005 को सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी। इस बैठक में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, सीमा प्रबंधन, सीमा पार करने की गतिविधि, लंबित संधियों और अन्य मुद्दों पर शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर बातचीत हुई थी। सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर घनिष्ठता से काम करने पर सहमति हुई थी। दोनों ही पक्ष विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे को सहयोग देने पर भी सहमत हुए थे।

निर्यात बाजार

2010. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात कार्य निष्पादन संबंधी मध्यावधि समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के निर्यात को 100 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक ले जाने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अनएक्सप्लोरट मार्केट की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनएक्सप्लोरड मार्केट का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर, 2005 को निर्यात कार्य निष्पादन की मध्यावधि समीक्षा की गई थी जिसमें विभिन्न निर्यात संवर्धन निकायों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निर्यातों में पूर्वानुमानित वृद्धि का संकेत दिया था।

(ग) से (ङ) पता न लगाए गए बाजारों को अभिज्ञात करना सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) का अनिवार्य हिस्सा हैं। नये बाजारों को गवेषणा के लिए बाजार पहुंच पहल (एन.ए.आई.) तथा बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) के अंतगर्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रीय व्यापार करारों (आर.टी.ए.एस.) पर कार्यवाही की जा रही है/हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें आसियान के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.), भारत-सिंगापुर सी.ई.सी.ए., बी.आई.एम.एस.टी.-ई.सी. विदेश व्यापार करार, थाइलैण्ड के साथ विदेश व्यापार करार, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा), दक्षिण अफ्रीका सीमाशुल्क संघ (एस.ए.सी.यू.) कार्यढांचा करार, भारत-मर्कोसुर अधिमानी व्यापार करार (पी.टी.ए.) आदि शामिल हैं। उपर्युक्त तथा अन्य पहलों से यह अपेक्षा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 92 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य की तुलना में निर्यातक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात की चुनौती को पूरा कर सकेंगे।

मसालों की खेती

2011. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में बागान फसलों और मसालों के छोटे किसान बड़ी विपत्ति में है और वे वैश्विक बाजार शक्तियों का सामना करने में असमर्थ हैं और उनके लिए निर्धारित कमोडिटी बोर्ड अनावश्यक हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कमोडिटी बोर्डों का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) बागान वस्तुओं की कीमतें मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती हैं। चाय के मामले में यद्यपि वर्ष 2004 के दौरान नीलामी की कीमतों में सुधार हुआ था तथापि नीलामी कीमतों में वर्ष 2005 के दौरान कुछ गिरावट प्रदर्शित हुई है। कीमतों में गिरावट आंशिक रूप से प्रसंस्करण कारखानों को तुलनात्मक रूप से घटिया गुणवत्ता वाली हरी पत्ती की आपूर्ति और कुछ कारखानों द्वारा अपनाई गई विनिर्माण की घटिया पद्धितियों के कारण हुई है। तथापि, दक्षिण भारत में चाय की औसत नीलामी कीमतों में चाय बोर्ड द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी विभिन्न उपायों के कारण सितम्बर के दूसरे पखवाड़े और अक्तूबर, 2005 के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है। कॉफी और रबड़ के मामले में कीमतों में वृद्धि हुई है और मौजूदा कीमतें उपजकर्त्ताओं के लिए लाभकारी हैं। कॉफी बोर्ड विशेष कॉफी सांवधिक ऋण के अंतर्गत ऋणधारियों और कुछेक उपजकर्त्ताओं जिन्होंने कॉफी बोर्ड से ऋण लिया था, के ऋण के भार को कम करने के लिए एक "कॉफी पैकेज" को कार्यान्वित कर रहा है। हालांकि काली मिर्च की कीमतों में हाल के वर्षों की तुलना में गिरावट प्रदर्शित हुई है, लेकिन इनमें काली मिर्च के निर्यात से संबंधित निर्यात सब्सिडी स्कीम की घोषणा के बाद कुछ सुधार मालूम हुआ है। वनीला की कीमतें वर्ष 2001 में विद्यमान स्तरों तक बढ़कर सामान्य हो गई हैं।

वस्तु बोर्ड के कार्यकलापों में उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि, घरेलू खपत और विकासात्मक एवं विनियामक दोनों ढांचों में निर्यात संवर्धन शामिल हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रयास में इन बोर्डों का उद्योग मूल्य श्रृंखला के सभी खंडों में सुधार करने का उद्देश्य है।

ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक स्कीम

2012. मो. मुकीम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ की ओर से ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक स्कीम को बंद करने के लिए काफी दबाव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) तथा राजीव गांधी प्रतिष्ठॉन/इकनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के परामर्श से शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम के स्थान पर एक नई

निर्यात सुविधा स्कीम पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वापस न किए गए विशिष्ट शुल्कों तथा लेवियों को निष्प्रभावी करना है। स्कीम के ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

एक्सप्रेसवे कार्य की प्रगति

2013. श्री सांताश्री चटर्जी :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर एक्सप्रेसवे कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) मुंबई तक 400 कि.मी. बढ़ाए जाने वाले अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सामान्यतः दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के रूप में ज्ञात रा.रा. 2 का पालसित-दनकुनी खंड पहले ही चार लेन का है और यातायात के लिए खुला हुआ है।

(ख) अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे को मुंबई शहर तक बढ़ाने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झुग्गीवासियों को आवासीय भूखंडों का आबंटन

2014. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.सी.डी. स्लम एण्ड जे.जे. डिपार्टमेंट ने वर्ष 1990-2002 के दौरान झुग्गीवासियों को राशन कार्ड का सत्यापन किए बिना 59,622 आवासीय भूखंडों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 50 प्रतिशत आबंटन फर्जी/जाली राशन कार्ड पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो फर्जी/जाली राशन कार्ड पर भूखंडों का आबंटन करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है; और

(घ) फर्जी/जाली राशन कार्ड पर किए गए आबंटन को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-2002 के दौरान स्लम और झुग्गी झोपड़ी विभाग द्वारा झुग्गी झोपड़ी वासियों को 40,710 आवासीय भूखंड आवंटित किए गए थे। सितम्बर, 2001 से पहले राशन कार्डों की वास्तविकता का सत्यापन किए बगैर झुग्गी झोपड़ी समूहों का पुनःस्थापन किया गया था।

(ख) इस कारण शिकायतें प्राप्त होने पर खाद्य और आपूर्ति विभाग के माध्यम से 53 राशन कार्ड सत्यापित करवाये गए थे जिनमें से 29 राशन कार्ड सही नहीं पाये गए थे।

(ग) ये मामले जानकारी में आने के बाद दिल्ली नगर निगम ने पुनः स्थापन से पहले संयुक्त सर्वेक्षण सूची, जिनमें राशन कार्डों के ब्यौरे थे, सत्यापन के लिए संबंधित खाद्य और आपूर्ति कार्यालय भेजने की प्रक्रिया अपनाई। इसके अतिरिक्त झुग्गी पहचान पत्र, चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, बच्चों के लिए स्कूल प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी अन्य सबूतों पर भी, यदि नियत तारीख के अंतर्गत आते हैं, पुनः स्थापन के लिए विचार किया जाता है।

सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एक मामला दायर किया है जिसमें कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस समय मामला न्यायाधीन है।

(घ) जिन मामलों में राशन कार्डों/अन्य दस्तावेजों के सही न पाये जाने पर आबंटन किया गया है उन्हें रद्द कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2015. श्री गणेश सिंह : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने हेतु राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्योरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्योरे निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव		टिप्पणी
	सं.	राशि (करोड़ रु.)	सं.	राशि (करोड़ रु.)	
2002-03	171	506.08	53	117.83	योजना में शामिल प्रस्तावों को पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही स्वीकृत किया गया है। शेष प्रस्तावों को बिना स्वीकृत किए वापस कर दिया गया है।
2003-04	131	283.85	54	110.13	
2004-05	46	155.07	46	118.58	
2005-06	31	87.65	26	64.24	शेष पांच प्रस्ताव राज्य लोक निर्माण विभाग को संशोधन के लिए वापस कर दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(कि.मी. में)
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	4472
2.	अरूणाचल प्रदेश	392
3.	असम	2836
4.	बिहार	3537
5.	छत्तीसगढ़	2184
6.	गोवा	269
7.	गुजरात	2871
8.	हरियाणा	1468
9.	हिमाचल प्रदेश	1208
10.	जम्मू और कश्मीर	823
11.	झारखंड	1805
12.	कर्नाटक	3843
13.	केरल	1440
14.	मध्य प्रदेश	5076
15.	महाराष्ट्र	4176
16.	मणिपुर	959
17.	मेघालय	810
18.	मिजोरम	927
19.	नागालैंड	494
20.	उड़ीसा	3704
21.	पंजाब	1557
22.	राजस्थान	5585
23.	सिक्किम	62
24.	तमिलनाडु	4183
25.	त्रिपुरा	400
26.	उत्तर प्रदेश	5599
27.	उत्तरांचल	1991
28.	पश्चिम बंगाल	2325
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	300
2.	चंडीगढ़	24
3.	दादरा व नगर हवेली	-
4.	दमन व दीव	-
5.	दिल्ली	72
6.	लक्षद्वीप	-
7.	पांडिचेरी	53
	जोड़	65445

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज

2016. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संस्था का स्वतंत्र कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के संगम ज्ञापन (एम.ओ.ए.) में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इंस्टीट्यूट में प्रवेश हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु आयु सीमा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ने सूचित किया है कि संस्थान द्वारा दी जाने वाली अध्येतावृत्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

एकलव्य मॉडल स्कूल

2017. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से राज्य में एकलव्य माडल स्कूल की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) नौंवी योजना के दौरान गुजरात को 6 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल आबंटित किए गए और बाद में 2 और स्कूल 10वीं योजना अवधि में स्वीकृत किए गए।

हाल ही में, राज्य में 5 और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए निधियां स्वीकृत करने के लिए गुजरात सरकार से एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्यों से प्राप्त सभी प्रस्तावों की स्थापित प्रक्रिया और मानदंडों के अनुसार जांच की जाती है।

[हिन्दी]

"सभी के लिए आवास कार्यक्रम" के अंतर्गत मकानों का निर्माण

2018. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान "सभी के लिए आवास कार्यक्रम" के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में निर्मित/निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित/आबंटित मकानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 1998 में निर्धनों और निराश्रितों पर विशेष बल देते हुए प्रति वर्ष 2 मिलियन आवासों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रति वर्ष 20 लाख आवास के लक्ष्य में से 7 लाख आवास शहरी क्षेत्रों के लिए जबकि 13 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। शहरी क्षेत्रों में 7 लाख आवास के निर्माण के वित्तपोषण का लक्ष्य हडको (4 लाख आवास प्रति वर्ष), आवास वित्त संस्थान/सरकारी बैंक (2 लाख आवास प्रति वर्ष) तथा सहकारी क्षेत्र (1 लाख आवास प्रति वर्ष) के बीच बांटा गया है। तथापि, दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या के ब्यौरे विवरण I से III में दिये गये हैं।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक और केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी स्लम वासियों के लिए आवासों के निर्माण/उन्नयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सब्सिडी जारी की जाती है। वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 से 2004-05 (31.10.2005 तक) के दौरान 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत राज्यवार लक्ष्य एवं हडको की उपलब्धि (शहरी)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2003-04 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2004-05 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2005-06 में स्वीकृत आवासों की संख्या (31.10.2005 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	67791	21451	24396	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	40	0

1	2	3	4	5	6
3	असम	195	1774	1361	730
4.	बिहार	128	512	0	8
5.	छत्तीसगढ़	11015	10184	10178	2145
6.	दिल्ली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0
8.	गुजरात	18136	9259	793	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	32	0
10.	हरियाणा	3263	0	0	0
11.	झारखंड	10531	20000	0	0
12.	जम्मू तथा कश्मीर	0	894	1176	0
13.	केरल	57449	10586	14978	28222
14.	कर्नाटक	95083	277364	54505	0
15.	मेघालय	0	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	7894	34142	38901	3720
17.	मणिपुर	780	1607	253	0
18.	मध्य प्रदेश	5022	2335	8039	506
19.	मिजोरम	377	280	327	370
20.	नागालैण्ड	463	667	435	166
21.	उड़ीसा	0	377	310	0
22.	पंजाब	4050	0	0	0
23.	राजस्थान	0	800	12335	0
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	17810	12026	67623	172
26.	त्रिपुरा	866	1076	0	0
27.	उत्तरांचल	890	2135	1806	16
28.	उत्तर प्रदेश	5711	9854	9329	503
29.	पश्चिम बंगाल	50149	5163	4798	108
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
33.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	457	903	0
36.	कुल	357603	422943	252518	0
37.	हडको निवास	102366	4512	2367	847
	कुल	459969	427455	254885	37514

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत हाउसिंग कॉआपरेटिव की राज्यवार प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2003-04 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2004-05 में स्वीकृत आवासों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोवार द्वीप समूह	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1012	2200	1691
3.	असम	215	77	81
4.	बिहार	1	7	13
5.	चंडीगढ	4500	0	0
6.	दिल्ली	337	558	568
7.	गोवा	2259	2491	2194
8.	गुजरात	837	1058	4495
9.	हरियाणा	3360	3213	266
10.	हिमाचल प्रदेश	243	28	2012
11.	जम्मू तथा कश्मीर	0	20	84
12.	कर्नाटक	3105	3035	2021
13.	केरल	22995	21761	21734
14.	मध्य प्रदेश	285	400	58
15.	महाराष्ट्र	15042	16615	24650
16.	मणिपुर	52	627	1209
17.	मेघालय	36	1	174
18.	उड़ीसा	102	10537	6362
19.	पांडिचेरी	494	768	499
20.	पंजाब	2877	5261	6980
21.	राजस्थान	498	881	2851
22.	तमिलनाडु	11716	15622	36218
23.	त्रिपुरा	0	0	6
24.	उत्तर प्रदेश	1908	1207	314
25.	पश्चिम बंगाल	993	3384	2222
26.	नागालैण्ड	0	0	0
27.	उत्तरांचल	593	197	302
28.	छत्तीसगढ	1	0	0
	कुल	73461	89948	117004

विवरण-III

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत हडको के अलावा सरकारी बैंकों सहित आवास वित्त संस्थानों की उपलब्धि

वर्ष	आवास
2002-2003	637091
2003-2004	621331
2004-2005	434675
2005-2006#	134601

#दिनांक 31.8.2005 की स्थिति अनुसार

नोट: राष्ट्रीय आवास बैंक के पास राज्यवार ब्यौरे नहीं हैं।

विवरण-IV

वर्ष 2002-03 से 2004-05 (30.09.2005 तक) के दौरान वाम्बे के तहत आवास की राज्यवार प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2003-04 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2004-05 में स्वीकृत आवासों की संख्या	2005-06 में स्वीकृत आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	20901	27627	16148	3765
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	80	0
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	50	0	0
5.	छत्तीसगढ	2185	1850	0	1185
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	18776	0	250	0
8.	हरियाणा	0	3263	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	जम्मू तथा कश्मीर	170	442	210	180
11.	झारखंड	0	0	3504	3482
12.	कर्नाटक	6979	14978	0	3962
13.	केरल	11948	6926	1000	5137
14.	मध्य प्रदेश	4054	1024	1500	200
15.	महाराष्ट्र	328	22700	40915	5698
16.	मणिपुर	35	853	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	40	766	0	120
20.	उड़ीसा	306	232	82	0
21.	पंजाब	0	0	0	0
22.	राजस्थान	3300	200	2700	67
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	27226	14684	34519	18483
25.	त्रिपुरा	644	976	0	0

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तरांचल	701	1098	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	5412	8462	8835	0
28.	पश्चिम बंगाल	2968	697	1782	703
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0	408	618	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	105973	107236	112143	42982

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 को लागू किया जाना

2019. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माण हेतु अलग संरेखण

2020. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-76 पर धनेश्वर गांव के निकट उक्त सड़क की भौगोलिक स्थिति में सुधार करने के लिए 349 से 357 कि.मी. तक पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माण हेतु अलग संरेखण का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) वैकल्पिक संरेखण का साध्यता अध्ययन चल रहा है। संरेखण में परिवर्तन करने की अगली कार्रवाई साध्यता अध्ययन की रिपोर्ट के परिणाम और राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी।

[अनुवाद]

बच्चों के लिए क्रेच

2021. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों की कामकाजी और रूग्ण माताओं के बच्चों हेतु क्रेचों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितने संगठनों को सहायता प्रदान की गई थी; और

(ग) देश में राज्य-वार ऐसे कितने संगठन कार्य कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कामकाजी एवं बीमार महिलाओं के बच्चों हेतु शिशुगृहों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की स्कीम के अन्तर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों में कार्यरत तीन संगठनों नामत: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा अन्य दो राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों अर्थात् भारतीय बाल कल्याण परिषद और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करना

2022. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं कि केन्द्र सरकार बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपेक्षित धनराशि जारी नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया धनराशि राज्य-वार कब तक जारी किये जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् बालिका हेतु 'जन्मोत्तर अनुदान' के अन्तर्गत सरकार ने राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के आरंभ में योजना आयोग ने बालिका समृद्धि योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। अत:, वर्ष 2005-06 हेतु इस स्कीम के लिए राशि निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान कोई निधि निर्मुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गयी निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त राशि 2002-03	निर्मुक्त राशि 2003-04	निर्मुक्त राशि 2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	500.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	असम	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	बिहार	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	छत्तीसगढ़	कोई नहीं	कोई नहीं	393.90
6.	गोवा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	गुजरात	कोई नहीं	कोई नहीं	400.00
8.	हरियाणा	कोई नहीं	कोई नहीं	63.29
9.	हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
10.	झारखण्ड	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
11.	जम्मू व कश्मीर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	कर्नाटक	कोई नहीं	कोई नहीं	490.36
13.	केरल	कोई नहीं	कोई नहीं	600.00
14.	मध्य प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	258.78
15.	महाराष्ट्र	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
16.	मणिपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	मेघालय	कोई नहीं	कोई नहीं	19.00
18.	मिजोरम	कोई नहीं	कोई नहीं	30.00
19.	नागालैण्ड	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
20.	उड़ीसा	कोई नहीं	कोई नहीं	620.00
21.	पंजाब	कोई नहीं	कोई नहीं	236.22
22.	राजस्थान	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
23.	सिक्किम	कोई नहीं	कोई नहीं	3.50
24.	तमिलनाडु	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
25.	त्रिपुरा	कोई नहीं	कोई नहीं	60.00
26.	उत्तरांचल	कोई नहीं	कोई नहीं	279.24
27.	उत्तर प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
29.	दिल्ली	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
30.	पाण्डिचेरी	कोई नहीं	कोई नहीं	18.60

1 2	3	4	5
31. अण्डमान व निकोबार	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
32. चण्डीगढ़	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
33. दमन व दीव	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
34. दादर व नगर हवेली	कोई नहीं	कोई नहीं	1.98
35. लक्षद्वीप	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
कुल	कोई नहीं	कोई नहीं	3975.08

चीन के साथ समझौता ज्ञापन

2023. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ हाल ही में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) दोनों देश इससे किस सीमा तक लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या चीन की आसूचना एजेंसियां भारत में अपनी गतिविधियों में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। 8 सितम्बर, 2005 को चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें आतंकवादी गतिविधियों और उनके संपर्कों के संबंध में अनुभव और सूचना का आदान-प्रदान करने तथा साथ ही आतंकवाद संबंधी अपराधों के बारे में अनुभव का आदान-प्रदान करने, हवाई जहाज के अपहरण-विरोधी, बंधक स्थिति पर अनुभव का आदान-प्रदान तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर आतंकवादी-विरोधी प्रयासों पर स्थिति को समन्वित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन में मनी लांडरिंग, आर्थिक अपराधों, वन्य प्रणियों के प्रति अपराध, नशीली दवाओं के अवैध व्यवपार और अग्नेयास्त्रों और गोला बारूद में अवैध व्यापार, पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों की जालसाजी, साइबर अपराध और अन्य पारदेशीय अपराधों के क्षेत्र में संबंधित देश के कानूनों के अध्याधीन गैर कानूनी और अपराधिक गतिविधियों के निवारण एवं उन्मूलन में सहयोग तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है।

(घ) भारत में चीन की आसूचना एजेंसियों की गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर कार्य

2024. श्री शिशुपाल पटले :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के कार्य को पूरा करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों जिन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं किया जा सका, का राष्ट्रीय राजमार्ग-वार और राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(घ) ऐसे राजमार्गों के संबंध में कुल कितनी लागत वृद्धि हुई;

(ङ) उपरोक्त राजमार्गों के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सड़क निर्माण की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है;

(छ) यदि हां, तो चालू वर्ष में 2 लेनों की सड़क को 8 लेनों की सड़क में बदलने में कितनी लागत आई और वर्ष 2000 में कितनी लागत थी; और

(ज) वर्ष 2000 से 2005 तक 2, 4, 6 और 8 लेनों के निर्मित सड़कों की दूरी कितनी थी और राज्य-वार कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रा.रा. 8 पर एन.एच.ए.आई. को सौपा गया चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। तथापि, रा.रा. 8 के दिल्ली-गुड़गांव खंड को 6/8 लेन का बनाने के कार्य में विलंब हुआ है। यह विलंब मुख्यतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय और हरियाण सरकार द्वारा भूमि के अंतरण में विलंब तथा सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब और कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो समय पर पूरी नहीं हो पाई है, के अंतर्गत चल रहे कार्यों के ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और अधिक लागत, यदि कोई है, का परियोजना के पूरा होने के बाद पता चल पाएगा। तथापि, ऐसा अनुमान है कि सामान्य मूल्य वृद्धि के बावजूद परियोजना की अंतिम लागत और मूल अनुमानित लागत में अधिक अंतर नहीं होगा।

(ङ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) सड़क की लागत कई कारकों जैसे भूभाग, मिट्टी का प्रकार, एक खंड में संरचनाओं की संख्या आदि पर निर्भर करती है। इस प्रकार, सड़कों की कोई मानक लागत नहीं होती है।

(ज) वर्ष 2004-05 तक निर्मित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्योरे विवरण-III में दिए गए हैं। लक्ष्य रज्यवार निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, परियोजना पूरा होने की संभावित तिथि परियोजनावार इस प्रकार है :-

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I	जून, 2006 तक 96 प्रतिशत
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II	दिसंबर, 2008
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक	दिसंबर, 2009

विवरण-I

उन परियोजनाओं की राज्यवार सूची जिनमें विलंब होने की संभावना है

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य	रा.रा.सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरी हो चुकी लंबाई (कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन लंबाई (कि.मी.)
1.	आंध्र प्रदेश	5, राज्यीय सड़क, 7	182.1	110.83	71.27
2.	बिहार	2, 31	218.15	158.2	59.95
3.	बिहार/झारखंड	2	80	51.5	28.5
4.	दिल्ली	1	21.4	0	21.4
5.	दिल्ली/हरियाणा	8	27.7	0	27.7
6.	हरियाणा	1	21.7	0	21.7
7.	जम्मू और कश्मीर	1ए	17.2	0	17.2
8.	झारखंड	2	78.75	53.575	25.175
9.	कर्नाटक	-4, 7	400.2	247.01	153.19
10.	मध्य प्रदेश	3	18	16.375	1.625
11.	महाराष्ट्र	4	170.5	154.75	15.75
12.	उड़ीसा	60, 5	312.51	124.68	187.832
13.	तमिलनाडु	5, 46, 4, 7	213.4	190.37	23.03
14.	उत्तर प्रदेश	2, 25, 28, 5	519.83	254.48	265.347
15.	उत्तर/प्रदेश बिहार	2	76	68.5	7.5
16.	पश्चिम बंगाल	31, 6, 60, 41	198.84	135.4	63.442

विवरण-II

निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं/स्वतंत्र इंजीनियरों, परियोजना निदेशकों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय में विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(घ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। मै. इरकॉन के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण-III

राज्य	2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अक्तूबर 2005 तक)	कुल
आंध्र प्रदेश	47	48	77	113.66	305.41	473.74	36.79	1101.60
बिहार					12.00	92.00	69.414	173.41
दिल्ली	25							25.00
गुजरात	213	18	26	105.20	139.80	105.79	25.71	633.50
हरियाणा	213	55	15					283.00
झारखंड			43			66.30	38.59	147.89
कर्नाटक	63		36	5.80	96.92	227.52	73.24	502.48
महाराष्ट्र	15		173	27.00	155.65	137.53	47.22	555.40
उड़ीसा		28		27.80	92.16	87.09	20.93	255.98
राजस्थान	87	95			314.10	245.46		741.56
तमिलनाडु			19	42.00	120.40	286.26	15.31	482.97
उत्तर प्रदेश	113		16	61.00	15.35	284.00	80.56	569.91
पंजाब	161					36.00		197.00
केरल	17					16.60		33.60
मध्य प्रदेश				9.00		15.00	17.00	41.00
असम					8.00	10.50		18.50
गोवा						13.00		13.00
छत्तीसगढ़		18						18.00
पश्चिम बंगाल	5		75		58.00	254.71	35.60	428.31
जोड़	959.00	262.00	480.00	391.46	1317.79	2351.50	460.36	6222.11

[अनुवाद]

नक्सलवादी गतिविधियां

2025. डा. एम. जगन्नाथ :
मोहम्मद शाहिद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादी विभिन्न राज्यों में अपने प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' और 19 सितम्बर, 2005 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल सीमा पर नेपाली माओवादियों की सहायता से नक्सलवादियों द्वारा औषध और स्वापक की तस्करी के मामलों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नक्सलवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बताया जाता है कि नक्सलियों ने चालू वर्ष के पहले दस महिनों के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों के भिन्न भागों में 37 प्रशिक्षण शिविर चलाए।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ङ) सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों से, नक्सलवादी प्रशिक्षण शिविरों को पहचानने और नष्ट करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित नेपाल के सीमावर्ती राज्यों में सी.पी.एन. (माओवादी) की अवांछनीय गतिविधियों के संभावित फैलाव को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ सतर्कता और सीमा प्रबंधन को मजबूत किया गया है।

देह-व्यापार विरोधी कानून में संशोधन

2026. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देह-व्यापार विरोधी कानून में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। सरकार का अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं :-

(i) बच्चे की उम्र को 16 वर्ष से 18 वर्ष करने के लिए अधिनियम की धारा 2(क क) के अंतर्गत 'बच्चे' की परिभाषा में संशोधन करना।

(ii) 'वयस्क' और 'अवयस्क' शब्द, अधिनियम में जहां भी आयें, का लोप किया जाये।

(iii) अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करना, ताकि जो व्यक्ति वेश्यालय चलाता है अथवा उनका प्रबन्ध करता है या वेश्यालय चलाने या उसके प्रबन्धन में सहायता करता है, उसके लिए दण्ड को बढ़ाया जा सके।

(iv) व्यक्तियों के अवैध व्यापार के निवारण, दमन और दण्ड हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रोटोकोल की तर्ज़ पर "व्यक्तियों में अवैध व्यापार" को परिभाषित करने के लिए नई धारा 5 क को जोड़ना।

(v) "व्यक्तियों में अवैध व्यापार" में संलिप्त व्यक्तियों को सजा देने के प्रावधान के लिए नई धारा 5 ख जोड़ना।

(vi) यौन शोषण के उद्देश्य से वेश्यालयों में जाने वाले अथवा वहां पाये गये व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान करने हेतु नई धारा 5 ग जोड़ना।

(vii) उन परिसरों, जिनमें वेश्यावृत्ति की जाती है, किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के अपराध हेतु सजा बढ़ाने के प्रावधान के उद्देश्य से धारा 6 में संशोधन।

(viii) वेश्यावृत्ति हेतु बहकाने अथवा लुभाने के लिए सजा का प्रावधान करने वाली धारा 8 का लोप करना।

(ix) सुधार संस्था में अभिरक्षा की अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने के लिए धारा 10 'क' में संशोधन करना।

(x) इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां पुलिस इंस्पेक्टर के स्थान पर सब-इंसपेक्टर को प्रदान करने के लिए धारा 13(2) में संशोधन करना।

(xi) व्यक्तियों में अवैध व्यापार के कारगर निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन हेतु नई धारा 13 क जोड़ना। उक्त केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर की जायेगी।

(xii) व्यक्तियों में अवैध व्यापार के कारगर निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक राज्य प्राधिकरण के गठन हेतु नई धारा 13 ख जोड़ना। उक्त राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर की जायेगी।

(xiii) किसी भी स्थान से वेश्यालय को हटाने से संबंधित धारा 20 का विलोपन।

(xiv) पीड़ित महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा के संरक्षण हेतु गुप्त कार्रवाई करने के लिए प्रावधान हेतु धारा 22 में सशोधन करना।

(xv) व्यक्तियों में अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त करने के प्रावधान को लागू करने के लिए साहुकारी निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में संशोधन करना। इस अनुसूची से अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 8 से संबंधित प्रविष्टि हटाई जाएगी।

बाल साहित्य को बढ़ावा

2027. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना अथवा रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सकरार ने बाल साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई पुरस्कार योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने बाल साहित्य सहित पुस्तकों तथा भारतीय साहित्य के प्रोन्नयन हेतु इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय यथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की है। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के अधीन वर्ष 1993 में राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र की स्थापना की गई थी ताकि बाल साहित्य के प्रोन्नयन हेतु एक विशेष कार्यनीति तैयार की जा सके। बाल साहित्य केन्द्र में एक पुस्तकालय-व-प्रलेखन केन्द्र मौजूद है जो पाठक क्लब संबंधी एक स्कीम का भी संचालन करता है। बाल साहित्य संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पुस्तक न्याय 'नेहरू बाल पुस्तकालय' नामक अपने विशेष प्रकाशन कार्यक्रम के तहत बाल साहित्य का प्रकाशन करता है। अब तक सभी भारतीय भाषाओं में मूल लेखन, पुनःमुद्रण, गुणवत्ता युक्त बाल पुस्तकों के संशोधित संस्करणों सहित 6500 से भी अधिक पुस्तकें उचित मूल्य पर प्रकाशित की गई हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 25.00 लाख रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

बी.एस.एफ. में एम्ब्रेयर जेट

2028. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऐम्ब्रेयर जेट बी.एस.एफ. में शामिल किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक एयरक्राफ्ट पर कितना खर्च किया गया;

(घ) इन एयरक्राफ्ट में कोई खराबी उत्पन्न होने की स्थिति में विनिर्माता के साथ निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी देखने में आई है और विदेशी तकनीशियन से इसके लिए सहायता मांगी गई है;

(च) क्या हमारे तकनीशियन इन एयरक्राफ्टों में खराबियों को दूर करने और इन्हें हैंडल करने में समर्थ नहीं हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिलवाने का है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत का एक एम्ब्रेयर एग्जिक्यूटिव जेट एयरक्राफ्ट प्राप्त कर उसे सितम्बर, 2005 में सीमा सुरक्षा बल में शामिल किया गया है।

(घ) यह एयरक्राफ्ट सुपुर्दगी की तारीख से 24 माह की अवधि के लिए सामग्री, कारीगरी या डिजाइन में खराबी आने की वारंटी पर है। इसका इंजन, इसकी सुपुर्दगी से 24 माह की अवधि के लिए या 1500 उड़ान घंटों तक, जो भी पहले हो, वारंटी पर है।

(ङ) से (झ) ट्रैफिक कोलिशन आवाइडेंस सिस्टम (टी.सी.ए.एस.), फ्लाइट मैनेजमैंट सिस्टम (एफ.एम.सी.) और ऐल्टिट्यूड एंड हैंडिंग रिफ्रेंस सिस्टम (ए.एच.आर.एस.) संबंधी तकनीकी खराबियां सूचित की गई थी और इन्हें सीमा सुरक्षा बल के तकनीशियनों ने ही स्वयं ठीक कर दिया था। एयरक्राफ्ट के दैनिक रख-रखाव और ऐसी खराबियों

को ठीक करने के लिए अधिग्रहण संविदा के एक भाग के रूप में सीमा सुरक्षा बल के तकनीशियनों ने पर्याप्त संख्या में एयरक्राफ्ट विनिर्माता से उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अंडमान लोक निर्माण विभाग में ठेका श्रमिकों को नियमित किया जाना

2029. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान लोक निर्माण विभाग में पिछले 10 से 15 वर्षों से कार्यरत ठेका श्रमिक नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हो, तो इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) चूंकि अंडमान लोक निर्माण विभाग (ए.पी.डब्ल्यू.डी.) में कोई भी ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, पी.ए.डब्ल्यू.डी. में दिहाड़ी मजदूर कार्य कर रहे हैं और जिन्हें नियमित करने की मांगे की गई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

2030. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ का विश्वविद्यालय-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ आरक्षण प्रावधानों के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसके क्या कारण है; और

(घ) आरक्षण प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत महाविद्यालयों में शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के मामले में किये गए अथवा किये जाने वाले उपाय क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मारीशस के साथ व्यापार समझौता

2031. श्री अशोक कुमार रावत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत और मारीशस के बीच व्यापार की क्या स्थिति है; और

(ख) हाल ही के समझौते के फलस्वरूप आयात-निर्यात में अनुमानतः कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत एवं मॉरीशस के बीच व्यापार निम्नानुसार रहा है :-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2002-2003	164.36	16.13
2003-2004	203.02	07.54
2004-2005	248.18	07.09

स्रोत: डी.जी.सी.आइ.एस., कोलकाता

(ख) हाल में मॉरीशस के साथ कोई व्यापार करार नहीं किया गया है। तथापि, भारत और मॉरीशस एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सी.ई.सी.पी.ए.), जिसका एक भाग अधिमानी व्यापार करार (पी.टी.ए.) है, के संबंध में वार्ताएं कर रहे हैं। इस करार के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावना का अनुमान करार को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के पश्चात लगाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

कच्चे तेल मालवाहकों की खरीद

2032. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज़रानी निगम कच्चे तेल को लाने के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए कच्चे तेल मालवाहकों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन मालवाहकों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) इन मालवाहकों की खरीद कब तक कर ली जायेगी?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं। फिर भी, कभी-कभी विदेशी ध्वज से युक्त जलयान चार्टर पर लिए जाते हैं।

(ख) पश्चिम एशिया की खाड़ी/फारस की खाड़ी से कच्चा तेल लाने के लिए भारतीय नौवहन निगम ने भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटिड, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटिड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटिड से माल-संविदा क़रार कर रखा है। भारतीय नौहवन निगम कच्चे तेल के पार्सल लाने के लिए अपने ही टंकी पोतों को नामित करता है, किन्तु कभी-कभी जब उसके (भारतीय नौवहन निगम के) जलयान, घाट के दिनों (ले डेज़) से संबंधित आवश्यकता पूरी करने के स्थिति में नहीं होते, तब वह (भारतीय नौवहन निगम) माल-संविदा-क़रार के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने की दृष्टि से भारतीय/विदेशी ध्वज से युक्त जलयान चार्टर पर लेता है। इस बारे में सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, पहले भारतीय ध्वज से युक्त जलयान चार्टर पर लेने की तरजीह दी जाती है, जब भारतीय टन-भार सुलभ नहीं होता, तब कच्चे तेल के वहन के लिए विदेशी ध्वज से युक्त जलयान चार्टर पर लिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय नौवहन-निगम ने वर्तमान वर्ष में, जनवरी, 2005 और अगस्त, 2005 के दौरान, अपने बेड़े में कच्चे तेल के दो बहुत बड़े वाहक टंकी-पोत शामिल कर लिए हैं। उसने (भारतीय नौवहन निगम ने) अक्तूबर, 2005 में डेवू शिप बिल्डिंग एण्ड मैरिन एंजीनियरिंग कंपनी लिमिटिड, कोरिया को कच्चे तेल के दो बहुत बड़े वाहक टंकी-पोतों को खरीदने का आदेश दे दिया है।

(ङ) और (च) अक्तूबर, 2005 में ऊपर दर्शाए गए कच्चे तेल के जिन दो बहुत बड़े वाहक टंकी-पोतों को खरीदने का आदेश दिया गया है, उनकी क़ीमत 129.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति जलयान है। कच्चे तेल के उपर्युक्त दो बहुत बड़े वाहक टंकी-पोतों में से कच्चे तेल का पहला बहुत बड़ा वाहक टंकी-पोत, भारतीय नौवहन निगम को वर्ष, 2008 के दौरान और कच्चे तेल का दूसरा बहुत बड़ा वाहक टंकी-पोत, वर्ष, 2009 तक सुपुर्द कर दिए जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को पुनः पढ़ाया जाना

2033. श्री ब्रजेश पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सितम्बर, 2005 के दौरान कक्षा छः से कक्षा बाहर तक पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पाठ्य पुस्तक के स्थान पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर रोमिला थापर द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक जिसे 2003 में शुरू किया गया था, को पुनः शुरू करने हेतु नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 की रिट याचिका(सी) संख्या 17909-13 के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस "राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना (एन.सी.एफ.एस.ई.), 2000 के अनुसार लिखित, प्रकाशित और निर्धारित की गई इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को प्रतिवादी द्वारा वापस लिए जाने के निर्णय को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अथवा निर्देश अथवा परमादेश के रूप में आदेश अथवा अन्य रिट अथवा निर्देश अथवा आदेश जारी करने और एन.सी.एफ.एस.ई., 2000 के कार्यान्वयन के अनुसरण में प्रतिवादी द्वारा हटाई गई इतिहास की पुरानी मुद्रित पुस्तकों को पुनः लागू करने" तथा प्रतिवादी द्वारा एन.सी.एफ.एस.ई., 2000 के कार्यान्वयन के अनुसरण में लिखित "प्रकाशित और विद्यालयों में लागू की गई इतिहास की पुस्तकों को उपलब्ध कराने और विद्यालय शिक्षा में पुनः लागू करने के सम्बन्ध में प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए रिट अथवा निर्देश अथवा आदेश जारी करने की याचिका" से संबंधित है।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को कोई निर्देश नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2034. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों में निर्यात किये गए प्रसंस्कृत वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इनसे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों के पास विश्व बाजार से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान देश-वार अन्य कितने देशों के साथ समझौते किये गए; और

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में और अधिक सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मुख्य प्रसंस्कृत खाद्य मदों में सूखी और संरक्षित सब्जियां, आम का गूदा, अचार और चटनी, भैंस का मांस, कुक्कुट उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मूंगफलियां, ग्वारगम और मोटे अनाज शामिल हैं। भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए मुख्य गंतव्य स्थान और निर्यात का मूल्य निम्न तालिका में दिया गया है :-

(मूल्य: करोड़ रुपए में)

देश	2002-2003	2003-2004	2004-2005
बंगलादेश	1377.73	2226.89	2134.21
जर्मनी	181.17	210.49	256.84
इंडोनेशिया	899.37	668.44	292.27
कोरिया जन.गण.	114	105.79	150.03
कुवैत	262.55	270.35	410.42
मलेशिया	897.47	777.53	843.99
नेपाल	70.82	175.59	150.98
सऊदी अरब	1269.78	1421.02	2251.45
दक्षिण अफ्रीका	774.02	281.54	541.58
संयुक्त अरब अमीरात	589.14	925.88	1007.32
युनाइटेड किंगडम	371.73	415.56	489.82
संयुक्त राज्य अमरीका	790.54	703.91	687.94

स्रोत : एपीडा

(ख) जी, हां।

(ग) प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का निर्यात आयातक देशों के साथ किए गए करारों में शामिल नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यकता होती है तो करार सम्पन्न कर लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रशीतित भैंस मांस के निर्यात के लिए मिस्र और सऊदी अरब तथा भेड़ और बकरी के मांस के निर्यात के लिए सऊदी अरब, आम और अंगूरों के निर्यात के लिए चीन और जैविक उत्पादों की समानता के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौते किए गए थे।

(घ) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में प्रदर्शिनियों में भाग लेना, संवर्धनकारी अभियान चलाना, पैकेजिंग मानकों का विकास करना, अवसंरचना की स्थापना करना और कीटनाशक अपशिष्ट निगरानी योजनाओं को कार्यान्वित करना शामिल हैं।

स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण

2035. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री प्रहलाद जोशी :
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना के लिए समय पर भूमि अधिग्रहण न कर सकने वाले राज्यों का ब्योरा क्या है;

(ख) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता बंद कर दी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) अपूर्ण परियोजनाओं का ब्योरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक मार्ग खंडों के क्या कारण हैं;

(छ) गत एक वर्ष के दौरान अर्थात 1 अप्रैल, 2004 से आज की तिथि तक आवश्यक धनराशि को जारी नहीं किए जाने के कारण विलंबित सड़क निर्माण कार्य का ब्योरा क्या है;

(ज) विलंब के कारणों को दूर/समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(झ) इस कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के लिए अपेक्षित अधिकांश भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31.10.2005 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I, II और III पर किए गए व्यय के राज्यवार ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता देना बंद नहीं किया है।

(ङ) और (च) दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की स्थिति विवरण-II में दी गई है। कुछ ठेकों में विलंब के कारण इस प्रकार हैं :-

(i) भूमि अधिग्रहण में विलंब,

(ii) पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों में विलंब,

(iii) सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब,

(iv) रेल उपरि पुलों की स्वीकृति में विलंब,

(v) कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं

(vi) कुछ ठेकेदारों द्वारा घटिया कार्य निष्पादन आदि।

(छ) धनराशि जारी न किए जाने के कारण किसी परियोजना में विलंब नहीं हुआ है।

(ज) विलंब के कारणों को दूर करने/हटाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के ब्योरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(झ) यह प्रत्याशा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का 96% कार्य जून, 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा।

विवरण-I

अक्तूबर, 2005 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I, II और III पर किए गए व्यय

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 अक्तूबर 2005 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1437.41	1347.25	792.28	133.930
2.	असम	41.97	35.45	15.82	9.11
3.	बिहार	174.25	196.35	351.90	245.69
4.	दिल्ली	46.48	25.02	75.48	32.21
5.	गोवा	6.00	17.98	-	25.52
6.	गुजरात	466.41	555.26	305.76	277.09
7.	हरियाणा	78.68	44.95	112.39	42.08
8.	जम्मू और कश्मीर	4.56	46.15	20.81	66.54
9.	झारखंड	107.19	124.32	169.68	127.22
10.	कर्नाटक	598.70	959.12	586.17	258.16
11.	केरल	30.27	18.91	31.45	5.03
12.	मध्य प्रदेश	61.97	34.42	7.55	30.87
13.	महाराष्ट्र	412.46	546.04	356.34	53.07
14.	उड़ीसा	359.05	319.31	296.82	190.43
15.	पंजाब	37.72	21.82	12.54	4.23
16.	राजस्थान	502.38	1089.57	522.27	40.36
17.	तमिलनाडु	396.52	535.01	745.84	269.02
18.	उत्तर प्रदेश	664.62	810.38	890.80	562.06
19.	पश्चिम बंगाल	613.06	757.11	990.77	366.16
	जोड़	6039.69	7484.41	6284.46	**2738.78**

विवरण-II

31 अक्तूबर, 2005 के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति

सभी लंबाई कि.मी. में

	स्व. चतु.	उ.द. और पू.प. चरण I और II	एन.एच.डी.पी चरण IIIए	एन.एच.डी.पी जोड़	पत्तन संपर्क	अन्य रा.रा.	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7
कुल लंबाई (कि.मी.)	5846	7300 (इस समय 7197)*	4015	17,161	356 (इस समय 357)*	801	18318 (इस समय 18216)*
4 लेन युक्त	5052 (86.4%)	784 (10.7%)	-	5836 (34%)	99	287	6222

	1	2	3	4	5	6	7
कार्यान्वयनाधीन	794	3787	926	5507	251	291	6049
लंबाई जिसे अभी सौंपा जाना है	-	2626	3089	5715	7	223	5945

*निर्माण के दौरान संरेखणों के कारण मूल अनुमोदित लंबाई परिवर्तित कर दी गई है।

विवरण-III

विलंब के लिए उत्तरदायी कारणों को हटाने/समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयास

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं/स्वतंत्र इंजीनियरों, परियोजना निदेशकों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों द्वारा जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(घ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। मै. इरकॉन के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पत्तनों का निगमीकरण

2036. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों के निगमीकरण के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना सम्बन्धी समिति ने इस प्रयोजनार्थ अन्तरमंत्रालीय समूह गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति के गठन के क्या उद्देश्य थे;

(ङ) क्या सरकार ने पत्तनों के निगमीकरण के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की है;

(च) यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है; और

(छ) समिति अपनी सिफ़ारिशें कब तक प्रस्तुत कर देगी?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में उपर्युक्त समिति निम्नलिखित उद्देश्यों से गठित की गई (i) ऐसी नीतियां तय करना आरंभ करने के उद्देश्य से, जिनसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाएं सुलभ करवाने हेतु समय-बद्ध रूप से वैश्विक स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का क़ायम किया जाना सुनिश्चित किया जा सके; (ii) ऐसा ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से, जिससे अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किए जाने से जुड़े क्षेत्र में सरकारी-गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की अधिक से अधिक भूमिका हो सके; और (iii) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने से जुड़ी परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति पर लगातार नज़र रखने के उद्देश्य से कि उपर्युक्त क्रम में निश्चित किए गए लक्ष्य हासिल किए जाएं। उपर्युक्त समिति ने पत्तनों के निगमीकरण के बारे में कोई अन्तर मंत्रालयी दल गठित नहीं किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

पत्तन और गोदी कामगारों की मांगें

2037. श्री बसुदेव आचार्य : क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन संघों ने सरकार का ध्यान पत्तन और गोदी कामगारों की काफी समय से लम्बित मांगों को पूरा न करने की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल वेतन में 50% मंहगाई भत्ते के विलय को पत्तन और गोदी कामगारों के लिए लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पत्तन-संघ और उनके परिसंघ सेवा से संबंधित मसलों, श्रमिकों के कल्याण इत्यादि के बारे में अपनी विभिन्न मांगों की ओर, समय-समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते आ रहे हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने अपने (केन्द्रीय सरकार के) कर्मचारियों के मूल वेतन में उन्हें देय 50% महंगाई भत्ता मिला दिए जाने का निर्णय किया था और बाद में यह लाभ, सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के उन उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी दे दिया गया, जो अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के पैटर्न के अनुसार वेतनमान और भत्ते दे रहे हैं। अभी तक यह निर्णय उन स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के उन उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं किया गया है, जो अपने कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई-भत्ते के पैटर्न से युक्त वेतनमान दे रहे हैं। महापत्तनों के कर्मचारी, औद्योगिक महंगाई-भत्ते के पैटर्न पर हैं, अतः यह निर्णय उन पर लागू नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त संघों द्वारा की जाने वाली मांगों का पूरा किया जाना, लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जब कभी पत्तन-संघों और परिसंघों से मांगें मिलती हैं, मांगों से जुड़े मसलों की जांच-पड़ताल की जाती है। महापत्तनों से जुड़े सामान्य हित से संबंधित मसलों के बारे में पत्तन और गोदी-कामगारों के परिसंघों के प्रतिनिधियों से समय-समय पर विचार-विमर्श भी किया जाता है और उनके बारे में, सरकार के मौजूदा नियमों, विनियमों, सरकार की मौजूदा नीति और उसके मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रख कर उपर्युक्त निर्णय लिए जाते हैं।

भूकंप को प्राकृतिक आपदा घोषित करना

2038. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री पी. मोहन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तरी भाग में हाल ही में आए भूकंप को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्पश्चात प्रभावित राज्यों को क्या लाभ दिए गए हैं;

(ग) सुनामी को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सुनामी तथा भूकंप पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) योजनाओं के अनुसार किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई विशेष उपबंध नहीं है। किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार पहले कार्रवाई करती है और वह सी.आर.एफ. की निधि, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है, में से आवश्यक बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा गंभीर स्वरूप की है जहां राज्य सी.आर.एफ. संग्रह में उपलब्ध निधियां स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं, भारत सरकार, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए एन.सी.सी.एफ. से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों को अपेक्षित संभारकीय सहायता भी प्रदान करती है।

गंभीर स्वरूप की प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में सी.आर.एफ./ एन.सी.सी.एफ. योजनाओं के उपबंधों के अनुसार व्यापक रूप से तत्काल राहत सहायता प्रदान की गई है।

26 दिसम्बर, 2004 को आई सूनामी के दौरान तत्काल राहत उपाय करने के लिए प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी को 3644.05 करोड़ रुपए की राशि (सुनामी प्रभावित राज्यों के लिए (राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के तहत) अनुमोदित की गई थी। जहां तक दीर्घावधिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण का संबंध है, संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की क्षेत्र-वार-आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए योजना आयोग में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में हाल में आए भूकंप के संबंध में, भारत सरकार ने वर्ष 2005-2006 के लिए सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से की 32.42 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त अग्रिम में और एन.सी.सी.एफ. से 100.00 करोड़ रुपए की तदर्थ राशि 10 अक्तूबर, 2005 को जारी कर दी है। इसके बाद प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए 11 अक्तूबर, 2005 को 500 करोड़ रुपए की और सहायता की घोषणा की जिसमें से सामान्य केन्द्रीय सहायता से अग्रिम/केन्द्रीय करों/उप-करों के राज्य के हिस्से के अग्रिम भुगतान के रूप में 200.28 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तर की वार्ता

2039. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के साथ हुए विचार-विमर्श के मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पक्ष ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाया था और पाकिस्तान से आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में भारत और पाकिसतान के बीच गृह सचिव स्तरीय वार्ता 29-30 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वार्ता के दौरान पाकिस्तानी पक्ष को उनके क्षेत्र में आतंक के मूलभूत ढांचे को नष्ट करने के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर और अन्यत्र सीमा पार से कार्य कर रहे आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कारगर कदम उठाने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एफ.आई.ए.) के बीच सहयोग संबंधी प्रबंधों की आवश्यकता, मछुआरों सहित कैदियों को रिहा करना, कैदियों के लिए तुरन्त परामर्शदाता की व्यवस्था करना, भारतीय कानून के भगोड़ों, जिन्हें अभी भी पाकिस्तान में शरण मिली हुई है, का प्रत्यर्पण/निर्वासन, नशीली दवा नियंत्रण संबंधी मामलों पर दोनों देशों की नशीली दवा प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की गई।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु कारगर कदम उड़ाने की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया। दोनों पक्षों ने सी.बी.आई. और एफ.आई.ए. के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में आगे और आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हुए। गिरफ्तारी के तीन माह के भीतर कैदियों को परामर्शदाता की व्यवस्था करने और सजा के पूरा होने और राष्ट्रिकता के सत्यापन के पश्चात कैदियों को रिहा करने पर भी एक समझौता हुआ। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों की स्वापक पदार्थ नियंत्रण संबंधी एजेंसियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा और उस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

[हिन्दी]

एन.डी.एम.सी. के विद्यालयों में रिक्त पद

2040. मो. मुकीम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली क्षेत्र में एन.डी.एम.सी. के कितने विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) इन विद्यालयों में अध्यापकों और अन्य स्टाफ के लिए कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि वह नई दिल्ली क्षेत्र में 72 स्कूल चलाती है, जिनमें पुरानी रिक्तियों के भरने और नए पदों के रिक्त होने के कारण समय-समय पर अध्यापकों और अन्य स्टाफ की रिक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में, इन स्कूलों में अध्यापकों के 96 पद और अन्य स्टाफ के 28 पद खाली पड़े हैं।

(ग) प्रोन्नति कोटा के तहत सभी पद समय-समय पर भरे जाते हैं और वर्तमान में इस श्रेणी के अंतर्गत कोई पद खाली नहीं है। सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आने वाले रिक्त पद चयन हेतु दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को तत्काल अधिसूचित किए जाते हैं। इन रिक्तियों के विरुद्ध, ठेके के आधार पर 12 स्नातक अध्यापक (कंप्यूटर) और 5 सहायक अध्यापक (उर्दू) की नियुक्ति की गई है।

(घ) सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे, यह दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन प्राप्त होने और चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्तों तथा स्वास्थ्य परीक्षा जैसी अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधक

2041. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए गतिरोधक उच्च गति वाहनों के लिए बड़ी रूकावट बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गतिरोधकों की ऊंचाई सीमित किए जाने पर विचार कर रही है जिससे तीव्र गति यातायात समुचित ढंग से चल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) सरकार की नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधक बनाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इनसे सुरक्षित जोखिम होने के बावजूद, निर्बाध उच्च गति की सुविधा प्रदान करने का मूल उद्देश्य बाधित होता है। तथापि, तीखे मोड़ अथवा लेवल क्रासिंग के लिए पहुंच मार्गों, भीड़भाड़ वाले अथवा दुर्घटना संभावित स्थलों आदि जैसे स्थानों, जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति नियंत्रण अपरिहार्य है, वहां पर उचित रूप से डिजाइन रंबल स्ट्रिप्स की व्यवस्था की सिफारिश की जाती है।

एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकें

2042. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सी. कुप्पुसामी :
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं कक्षा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य-पुस्तक में मानव शरीर में इन्सुलिन, टेस्टोसटेशन और एस्ट्रोजन की कार्य प्रणाली पर बहुत ही अपर्याप्त, अल्प तथा गलत जानकारी दी गई है जैसा कि 8 नवंबर, 2005 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में लेखकों के विरुद्ध जांच शुरू करवाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (च) कक्षा VII के लिए उक्त पुस्तक "विज्ञान और प्रौद्योगिकी-भाग-II" वर्ष 2003 में प्रकाशित की गई थी। यह पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या अवसंरचना (एन.सी.एफ.एस.ई.), 2000 पर आधारित है। इन्सुलिन से सम्बन्धित सूचना की त्रुटियों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जानकारी में लाया गया है और इन पुस्तकों की पुनः मुद्रित प्रतियों में इन त्रुटियों को ठीक कर दिया गया है।

क्र.सं.	सन्दर्भ	गलत पाठ	गलत पाठ
1.	पृष्ठ 135, तालिका 8.1 पेनक्रियाज़ इन्सुलिन लोअर्स ब्लड शुगर	पेनक्रियाज-इन्सुलिन-प्रोमोट्स ब्लड शुगर	पेनक्रियाज-इन्सुलिन-लोअर्स ब्लड शुगर
2.	पृष्ठ 135, तालिका 8.1-टेस्टिस-टेस्टो स्टरोन प्रोमोट्स दी डेवलेपमेंट ऑफ सेकण्डरी सैक्सुअल कैरेक्टर्स इन मैन	टेस्टिस-टेस्टो-स्टरोन- (i) प्रोमोट्स रेसपिरेशन, स्पर्म इन मेल्स	हटा दिया गया है
3.	पृष्ठ 135-इस्ट्रोजन प्रोमोट्स दी डेवलेपमेंट ऑफ सेकण्डरी सैक्सुअल कैरेक्टर्स इन वूमैन	ओवरी - इस्ट्रोजन- (i) प्रोमोट्स ब्लड शुगर	हटा दिया गया है

बंगलादेशी आप्रवासियों की अवैध गतिविधियां

2043. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री छत्तर सिंह दरबार :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बंगलादेशी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और हत्या, डकैती, जाली नोट बनाने आदि जैसे जघन्य अपराधों में शामिल पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए बंगलादेशियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने बंगलादेशियों को वापिस भेजा गया है; और

(ङ) ऐसे बंगलादेशी आप्रवासियों को वापिस भेजने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	बांग्लादेशी मूल के दिल्ली में पकड़े गए अपराधियों की संख्या	वापस भेजे गए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संख्या
2002	196	2957
2003	185	5760
2004	230	6002
2005 (31 अक्तूबर तक)	216	4090
कुल	827	18809

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की गतिविधियों की जांच करने के लिए उठाए गए कदमों में, उनका पता लगाने, प्रत्येक अवैध प्रवासी का विस्तृत डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ 20 कार्य बलों का गठन करना, उन्हें पकड़ने के लिए झुग्गी झोपड़ी समूहों और निर्माण स्थलों पर निगरानी रखना; बीट कांस्टेबल स्तर पर आसूचना एकत्र करना; समीपवर्ती राज्यों के साथ सीमाओं की चैकिंग, मकान मालिकों के लिए नए किरायेदारों के बारे में पुलिस को सूचित करना अनिवार्य बनाना; बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखना; उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए रात में विशेष गश्त तथा अपराध में संलिप्त बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के बारे में पुस्तिका तैयार करना शामिल है।

(ङ) वर्तमान में, बांग्लादेशी राष्ट्रिकों को वापस भेजने की मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

2044. श्रीमती मेनका गांधी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार के साथ कोई बैठक की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इन प्रतिनिधियों की क्या समस्याएं/मांगे थीं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की मुख्य जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। हालांकि, केंद्र सरकार ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधारभूत संरचना, उद्यमिता विकास, विपणन, इत्यादि के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों समेत, लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है।

(ग) केंद्रीय निधियों का आबंटन योजना वार किया जाता है, न कि राज्य वार।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसियां, जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस.आई.एस.आई.), शाखा एस.आई.एस.आई., उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास केंद्र (पी.पी.डी.सी.), खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) और कॅयर बोर्ड ऐसे उद्योगों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर कृषि, ग्रामीण, कॅयर और लघु उद्योगों तथा उनके संघों के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। ऐसे उद्योगों के संघ अपने सदस्यों से संबंधित सामान्य तथा विशिष्ट समस्याओं को सामने रखते हैं और केंद्र सरकार अनुमोदित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के पैरामीटर के तहत ऐसे मुद्दों के समाधान का प्रयास करती है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को नया रूप देना

2045. डा. एम. जगन्नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विचार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाठ्यक्रमों को तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आदिवासी लोगों को प्रताड़ित करना

2046. श्री जसुभाई दानाभाई बारड : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग आदिवासी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आदिवासी लोगों को ऐसी प्रताड़ना से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा वन भूमि से 1980 से पूर्व के अतिक्रमणकारियों सहित अपात्र अतिक्रमणकारियों की समयबद्ध तरीके से बेदखली के दौरान जनजातियों सहित कुछ वास्तविक वन निवासियों और अपात्र अतिक्रमणकारियों में फर्क नहीं किया जा सका, जिससे उन्हें कठिनाई हुई।

जनजातियों सहित वास्तविक वन निवासियों को ऐसी कठिनाई से बचाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 21.12.2004 को सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया कि ऐसे लोगों को पहचान के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण पूरा होने तक तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में यथा उपबंधित तथा 18.9.90 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में की गई व्यवस्था के अनुसार वन्य अधिकार दिए जाने तक अपात्र अतिक्रमणकर्ताओं से इतर जनजातियों सहित वन निवासियों को बेदखल न किया जाए। 17.10.2005 को इसे दोहराया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 3.11.2005 को वन भूमि पर सत्यापन/ऐसे अधिकारो की मानयता के लिए विस्तृत एवं संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के निराकरण तथा उनके वैध वन्य अधिकारों की

स्पष्ट स्वीकृति के लिए अनुसूचित जनजाति (वन्य अधिकारों को मान्यता) विधेयक तैयार करने का अधिदेश हुआ है। इस मामले पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की गई है।

कॉम्पैक्ट रोड लाइन्ड ज़ोन

2047. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वामपंथी नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार को कॉम्पैक्ट रोड लाइन्ड ज़ोन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उक्त प्रस्ताव हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) कॉम्पैक्ट रोड लाइन्ड ज़ोन का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने विजयवाड़ा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इससे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने के अलावा, उड़ीसा, झारखंड आदि के जनजातीय बहुल जिलों में नक्सली ग्रुपों की बढ़ती हुई गतिविधियों का प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने में राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। राज्य सड़कों से राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को अलग करने के पश्चात, राज्य सड़क घटक को प्रधानमंत्री ग्राम योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि काम के बदले अनाज कार्यक्रम, केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत कार्य, राज्य योजना, आदि जैसे विभिन्न शीर्षों से और राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को योजना स्कीम 'राष्ट्रीय राज मार्ग (मूलकार्य) से वित्त पोषित करने की संभावना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

2048. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मांस का निर्यात बंद करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) महाराजा कुमारपाल जीवोदय ट्रस्ट, चेन्नई, जैन सोशल ग्रुप, अकोला, महाराष्ट्र और एनीमल राइट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली से मांस व निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार गाय के मांस का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, भैंस, भेड और बकरी के मांस का निर्यात प्रतिबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग

2049. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभावित राज्यों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने मामले को पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नक्सल प्रभावित राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने विजयवाड़ा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इससे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने के अलावा, उड़ीसा, झारखंड आदि के जनजातीय बहुल जिलों में नक्सली ग्रुपों को बढ़ती हुई गतिविधियों का प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने में राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। राज्य सड़कों से राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को अलग करने के पश्चात, राज्य सड़क घटक को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत कार्य, राज्य योजना, आदि जैसे विभिन्न शीर्षों से और राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को योजना स्कीम "राष्ट्रीय राज मार्ग (मूलकार्य)" से वित्त पोषित करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के त्वरित समेकित विकास के लिए राज्य सरकारों से अपनी वार्षिक योजनाओं में उच्च प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया है। अपनी तरफ से, केन्द्र सरकार ने राज्यों में नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित 55 जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.आई.) के पिछड़े जिलों के लिए पहल (बी.डी.आई.) घटक में शामिल किया है जिसके तहत भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे में नाजुक अंतर को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष प्रति जिला 15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यह स्कीम 2003-04 से 3 वर्षों के लिए लागू है।

इसके अतिरिक्त, सरकार के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) आदि जैसी स्कीमें हैं जिनका लक्ष्य नक्सलवाद

से प्रभावित राज्यों सहित सभी राज्यों में न केवल सम्पति सर्जित करना है बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।

[हिन्दी]

पेटेंट कार्यालय

2050. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में स्थापित पेटेंट कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद पेटेंट कार्यालय-वार कितने ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र जारी किये गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तारीख तक पेटेंट कार्यालयों में लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पेटेंट कार्यालय चैन्नई (तमिलनाडु), नई दिल्ली (दिल्ली), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) तथा मुम्बई (महाराष्ट्र) में स्थापित किये गये हैं।

(ख) ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री ने वर्ष 2002-2003 में 36,689 प्रमाण-पत्र वर्ष 2003-2004 में 39,762 प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2004-2005 में 45,015 प्रमाण-पत्र जारी किये हैं। चालू वर्ष में 30 नवम्बर, 2005 तक 1,67,690 ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

(ग) और (घ) ट्रेड मार्क्सों का पंजीकरण ट्रेड मार्क्स नियमावली, 2002 तथा ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 में दिये गये उपबंधों द्वारा शासित होता है।

(ङ) और (च) विवाद संबंधी मामलों की स्थिति को छोड़कर विभिन्न स्तरों पर बकाया ट्रेड मार्क्स आवेदनों का निपटान कर दिया गया है। न्याय निर्णय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विवाद संबंधी मामलों के निपटान हेतु कोई निश्चित समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

तम्बाकू

2051. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और यूरोपीय संघ ने तम्बाकू पर राजसहायता को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय तम्बाकू उद्योग को सहायता मिलेगी;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड ने चालू फसल हेतु उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादक राज्य पण्य और उत्पादन लक्ष्य को किस सीमा तक विनियमित करेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां। यद्यपि अमरीका ने वर्ष 2005 से तम्बाकू के लिए कीमत समर्थन कार्यक्रम वापस ले लिया है, तथापि यूरोपीय संघ (ई.यू.) द्वारा वर्ष 2006 से तम्बाकू सब्सिडियों को अलग कर एक बारगी निपटान के जरिए तम्बाकू के लिए "सामान्य बाजार संगठन (सी.एम.ओ.)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) यूरोपीय संघ के निर्णय के आरंभिक प्रभाव के परिणामस्वरूप ई.यू. में फ्लू क्योर्ड तम्बाकू के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। उत्पादन में इस गिरावट से भारतीय तम्बाकू के लिए कुछ अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

(ग) जी, हां। वर्तमान मौसम के लिए निर्धारित लक्ष्य (फसल की मात्रा) आंध्र प्रदेश की फसल के लिए 129 मिलि. किग्रा. और कर्नाटक की फसल के लिए 76.56 मिलि. किग्रा. है।

(घ) तम्बाकू के उत्पादन को तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है। किसानों को लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए मांग के अनुरूप फसल की मात्रा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाती है।

असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग

2052. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु नए गठित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग ने 2004 के विधेयक प्रतिस्थापन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग

(एन.सी.ई.यू.एस.) का गठन 20.09.2004 को किया गया था। आयोग में डॉ. अर्जुन के. सेनगुप्ता-अध्यक्ष, डॉ के. जयशंकर एवं डॉ के.पी. कनन-सदस्य तथा श्री के.के. जसवाल-सदस्य सचिव शामिल हैं। आयोग में तीन पार्ट-टाईम सदस्य अर्थात् डॉ. टी.एस. पपोला, डॉ. विवेक देवराय तथा श्री बी.एन. युगान्धर भी हैं।

(ख) से (घ) एन.सी.ई.यू.एस. से श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया था कि वह उनके द्वारा प्रारूपित किए गए असंगठित क्षेत्र वर्कर बिल, 2004 की जांच-पड़ताल करें। प्रारूप बिल की जांच-पड़ताल करने के उपरान्त, एन.सी.ई.यू.एस. ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय को दो प्रारूप बिल अतिरिक्त जांच-पड़ताल और विचार हेतु प्रस्तुत किए हैं। ये प्रारूप बिल हैं (i) असंगठित वर्करस सोश्ल रिक्यूरिटी बिल, 2005 तथा (ii) असंगठित क्षेत्र वर्करस (कार्य तथा रोजगार संवर्धन शर्तें) बिल, 2005। पहला प्रारूप बिल रु. 5,000/- तक की मासिक आय वाले असंठित क्षेत्र के पात्र वर्करों के संबंध में न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवर से संबंधित है। दूसरा प्रारूप बिल असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी वर्करों के संबंध में कार्य की शर्तें, कार्य के घण्टे, दिहाड़ियों का भुगतान तथा बन्धुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम तथा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगूलेशन एक्ट की अनुपालना के संबंध में है।

मदुरै-रामेश्वरम-धुनषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा किया जाना

2053. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै-रामेश्वरम-धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ा किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 के मदुरै-रामेश्वरम-धनुषकोडी खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चौड़ा करके चार लेन का बनाने के लिए पहचान की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIख में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य को अनुमोदित किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए बोलियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही परियोजना की अनुमानित लागत, परियोजना के प्रारंभ होने तथा समापन होने का समय ज्ञात हो सकेगा।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

2054. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरूद्ध रिश्वत मांगने/स्वीकार करने की हाल की घटनाओं की सरकार ने जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध सरकार से क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(घ) क्या सी.बी.आई. ने कई दिल्ली पुलिस अधिकारियों के परिसरों में छापे मारे और इन अधिकारियों से भारी धनराशि बरामद की है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक जब्त किए गए अघोषित धन का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) 1 अगस्त, 2005 और 15 नवम्बर, 2005 की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को भ्रष्टाचार कार्यों में संलिप्त पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 17 शिकायतें, दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच में सिद्ध नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस ने बाकी 20 शिकायतों में सतर्कता जांच शुरू की है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों पर छः मामले दर्ज किए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भी अगस्त से अक्तूबर, 2005 की अवधि के दौरान रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के संबंध में दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध दो मामले दायर किए हैं। दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच/जांच पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर नियमों/कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) अगस्त, 2005 से अक्तूबर, 2005 की अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के पास आय से अधिक आस्तियां होने पर उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है।

(च) दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाए कदमों में, गश्त ड्यूटी और पुलिस पिकेटों पर तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करना; संदिग्ध चरित्र वाले पुलिस कार्मिकों पर नजर रखना; आपराधिक प्रवृत्ति वाले पुलिस कार्मिकों को गैर-संवेदनशील चौकियों में स्थानांतरित करना; आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना; संयुक्त पुलिस आयुक्त और उच्च रैंक के अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों पर सीधे कार्रवाई करना; पुलिस कार्मिकों पर नजदीकी नजर रखने के लिए जिलों/यूनिटों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना; संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा नजर रखना; पुलिस कार्मिकों द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध शिकायतें करने के लिए टेलीफोन सं. 23213355 और पोस्ट बॉक्स सं. 171 की सुविधा आम जनता के लिए खोलना; जिला पुलिस उपायुक्तों द्वारा शिकायत रजिस्टर रखना; और आम जनता को ई-मेल के माध्यम से भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

नाविक भविष्य निधि

2055. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** 17 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घोटाले के कारण बन्द हुई नाविक भविष्य निधि को पुनः शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाविक भविष्य निधि कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त मसले पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। फिर भी, इस बारे में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

उत्तरी क्षेत्र की लंबित परियोजनाएं

2056. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी क्षेत्र में आवश्यक स्वीकृति न मिल पाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं बंद हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 31 जुलाई, 2005 तक सरकार के पास लंबित 133 करोड़ रु. की उत्तरी क्षेत्र की 62 परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके राज्यवार कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इन परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने पर गंभीरता से विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है कि कौन-कौन से राज्य उत्तरी क्षेत्र में अभिनिर्धारित हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों की सूचना दी जाती रही है।

उत्तरी क्षेत्र की राज्य सरकारों से प्राप्त 242.60 करोड़ रु. की लागत के 117 रा.रा. कार्य, जो चालू वार्षिक योजना 2005-06 में शामिल हैं, मंत्रालय में दिनांक 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार लंबित थे। इनमें से 67 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल लागत 155.39 करोड़ रु. है। शेष 50 कार्यों में से आठ कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग के तकनीकी मानदंडों के अनुपालन के लिए वापस कर दिए गए हैं और शेष 42 कार्य बजटीय अभाव के कारण लंबित हैं। राज्यवार ब्योरे और लंबित होने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी जाएगी और इनको तकनीकी मानदंडों को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि प्रदान की जाएगी।

विवरण

31.7.2005 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय में लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं	प्राप्त		स्वीकृत		लंबित		वापस किए गए		लंबित होने के कारण
	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	00	0.00	00	0.00	00	0.00	00	0.00	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	00	0.00	00	0.00	00	0.00	00	0.00	लागू नहीं
पंजाब	17	48.05	13	43.77	0.3	3.84	01	0.45	कार्रवाई की जा रही है
हिमाचल प्रदेश	15	15.39	12	4.39	00	0.00	03	11.48	स्पष्टीकरण मांगे गए हैं
हरियाणा	07	19.50	02	6.31	04	10.72	01	2.47	
दिल्ली	03	10.20	00	0.00	03	10.50	00	0.00	3 कार्यों के लिए
उत्तर प्रदेश	41	101.46	31	77.46	07	22.00	03	2.00	स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और शेष कार्य
उत्तरांचल	34	48.00	09	23.36	25	24.64	00	0.00	बजटीय अभाव के कारण लंबित है।
जोड़	117	242.60	67	155.29	42	71.70	08	16.40	

सड़कों पर अधिक माल लदे हुए ट्रकों का चलना

2057. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या पोत **परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एस.सी. सेस नो स्टंट नोटिफिकेशन कैन अलाउ ओवरलोडेड ट्रक्स ऑन रोड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक माल से लदे हुए ट्रकों के चलने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नियम और अनुदेश पहले से विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो पिछले 18 महीनों के दौरान इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस विषय पर उच्चतम न्यायालय हाल ही में दिए गए निर्णय के बाद सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय को यह ज्ञात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री परमजीत भसीन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में केस सं. 2003 की डब्ल्यू पी 136 में यह आदेश दिया है कि

> "यह निर्विवाद है कि प्रशमन का अधिकार राज्य सरकार के पास है लेकिन इस संबंध में जारी अधिसूचना ऐसी अपराध को जारी रखने का प्राधिकार नहीं देता जिसका निर्धारित धनराशि के भुगतान से प्रशमन किया जा सकता है। यदि इसे जारी रखने की अनुमति दे दी जाती है तो इसे एक नया अपराध माना जाएगा जिसके लिए प्रशमन किया गया था। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अधिसूचनाओं को वापस नहीं लिया है वे भविष्य में भी ऐसा करेंगे। जहां तक उल्लिखित व्यावहारिक समस्याओं का संबंध है, संबंधित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें कि उल्लिखित कठिनाइयों का सांविधिक निर्देशनों का किसी भी प्रकार उल्लंघन किए बगैर राज्य सरकारें स्वयं उचित हल निकालें।"

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जब कभी भी अति लदान की सूचना प्राप्त हुई है, सरकार अति लदान को नियंत्रित करने संबंधी मोटर यान अधिनियम, 1988 के कानूनी आशय को दोहराती रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.11.2005 के आदेश को कठोरता से अनुपालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 14.11.2005 को परिचालित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

होटल और अतिथि गृहों में सी.सी.टी.वी. कैमरा

2058. श्री ब्रजेश पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सभी होटलों और अतिथि गृहों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और अतिथियों के फोटोग्राम रखने के लिए आदेश दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आदेश का पालन करने वाले होटलों और अतिथि गृहों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुलिस द्वारा उक्त आदेश का पालन न करने वाले होटलों और अतिथि गृहों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) दिल्ली में हाल ही में हुए कार्मिक बम विस्फोटों के बाद और प्रचलित सुरक्षा परिदृश्य में पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तरी जिलों के पुलिस उपयुक्तों ने होटलों/अतिथि गृहों के मालिकों को सलाह दी है कि वे रक्षा और सुरक्षा के हित में सी.सी.टी.वी. कमरे स्थापित करें और रिकार्ड के लिए ग्राहकों के फोटो रखें।

विस्तृत सूचना एकत्र होने के बाद आदेश का पालन का ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा।

विश्व बैंक रिपोर्ट

2059. डा. चिन्ता मोहन :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक विकास पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कारोबार प्रक्रिया को सरल बनाना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि को वर्धित करने के लिए भारतीय उद्योग को सहायता देने की मंशा जताई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निवेश के अंतर्गत राज्यवार किन-किन औद्योगिक केन्द्र को शामिल किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) भारत के बारे में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्टें ये हैं: "कंट्री स्ट्रेटेजी फार इंडिया (एफ.वाई 05-08)", "इंडिया सस्टेनिंग रिफोर्म, रिड्यूसिंग पावर्टी", "इंडिया एंड द नोलेज़ इकोनोमी," और "इंडिया इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट असैसमेंट 2004"।

"कंट्री स्ट्रेटजी फार इंडिया" नामक रिपोर्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के आसपास तैयार हुई है। विश्व बैंक समूह के कार्य के समर्थक रणनीति सिद्धांत ये हैं: परिणामों, चयनात्मकता और ज्ञान की भागीदारी/सरकार की प्रभावशालिता में सुधार लाना, लोगों में निवेश करना, समुदायों को अधिकार प्रदान करना और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम की प्राथमिकताएं हैं।

दूसरी रिपोर्ट भारत की विकास नीति संबंधी चुनौतियों के बारे में है, नामतः बजट घाटा कम करके, अधिक उत्पादक निवेशों के लिए व्यय का पुनः आबंटन करके, सेवा वितरण की गुणवत्ता में वृद्धि करके जन संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाना और निवेश के वातावरण में सुधार लाना तथा उद्योग, सेवाओं, कृषि तथा ग्रामीण विकास में उत्पादकता बढ़ाना।

"नौलेज इकोनोमी" रिपोर्ट में भारत की ज्ञान संबंधी अर्थव्यवस्था को अंगीकार करने की तैयारी का मूल्यांकन किया गया है और भारत के सामने आ रही कुछ मुख्य बाधाओं और संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया गया है।

"इंडिया इनवेस्टमेंट क्लाइमेंट असैसमेंट 2004" नामक रिपोर्ट में विभिन्न ऐसे कारकों का विश्लेषण किया गया है जो निवेश के वातावरण को प्रभावित करते हैं। यह रिपोर्ट तीन वर्षों के भीतर निवेश वातावरण में घट-बढ़ की तुलना में 2000 और 2003 में भारतीय विनिर्माणकारी कंपनियों के लिए किए गए इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सर्वे के ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक कनफीडेरेशन से प्राप्त फर्म स्तर के आंकड़ों का मूल्यांकन करती है। रिपोर्ट में निवेश संबंधी माहोल को सुधारने के लिए वास्तविक अवसंरचना में सुधार लाने की आवश्यकता और विनियामक सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये सभी रिपोर्टें विश्व बैंक की वैबसाइट (www.worldbank.org.in) पर उपलब्ध हैं।

इस कार्य को करने के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकृत बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रक्रियात्मक सरलीकरण और बाधाओं को दूर करने का काम लगातार चलता रहता है। निर्यात-आयात व्यापार की प्रक्रियाओं को व्यापार रूप से सरलीकृत बनाया गया है। सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों को युक्तियुक्त बनाया गया है तथा इसमें कमी की गई है और 1 अप्रैल, 2005 से राज्य स्तर पर वैट लगाया गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना समिति का गठन किया गया है और नई बिजली नीति घोषित की गई है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मसालों का आयात

2060. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए) के पश्चात, आयात किए गए मसालों का मसालावार और देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओजीएल के अन्तर्गत आयात किए गए ये मसाले अप्रैल, 2003 और जुलाई 2005 के बीच नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश से भारतीय पत्तनों पर पहुंचे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मसालों के घरेलू बाजार को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्र विरोधी तत्वों को स्मार्ट कार्ड

2061. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा स्मार्ट कार्डों की प्रोसेसिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्सी स्मार्ट चिप लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्र हित में ऐसे कार्डों पर तुरंत रोक के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार इन चार राज्यों में स्मार्ट कार्ड को जारी करने के मामले में छानबीन करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) कुछेक राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में जालसाजी संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) से (ङ) ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने संबंधी मामला राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। संबंधित राज्य सरकारों से मामले की जांच-पड़ताल करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

रत्नों/आभूषणों का निर्यात

2062. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री हितेन बर्मन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक के दौरान रत्नों/आभूषणों के निर्यात की मात्रा क्या है और इससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या स्वर्ण/आभूषण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्वर्ण आभूषण के निर्यात को बढ़ाने के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निम्नानुसार रहा है :-

वर्ष	रत्न एवं आभूषण का कुल निर्यात (मिलियन अम. डा. में)
2002-2003	9057.73
2003-2004	10711.90
2004-2005	13705.44
2005-2006 (अप्रैल-अगस्त)	6294.65

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

रत्न एवं आभूषण के निर्यात से प्रमुख देशवार अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	देश का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रै.-अग., 05)
1.	यूएसए	3345.84	3699.50	4040.95	1635.91
2.	हांगकांग	1878.26	2334.64	2735.31	1411.04
3.	यूएई	661.88	1373.55	2495.05	716.16
4.	जापान	417.53	355.42	499.99	196.51
5.	थाइलैण्ड	232.08	202.05	293.37	117.27
6.	यू.के.	202.96	221.06	220.97	93.87
7.	स्विट्जरलैण्ड	115.94	149.31	170.08	61.34
8.	जर्मनी	51.95	64.60	85.02	0.63
9.	इटली	29.10	34.33	46.17	19.33
10.	फ्रांस	28.07	27.44	37.06	13.09

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) दिनांक 1 सितम्बर, 2004 से लागू विदेश व्यापार नीति में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार अद्यतन की गई विदेश व्यापार नीति में इस क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है :-

(i) 8 कैरेट या इससे अधिक के सोने के आयात को इस शर्त के अधीन पुनः पूर्ति स्कीम के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी कि आयातों के साथ परख प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया हो जिसमें शुद्धता, भार तथा मिश्रण मात्रा निर्दिष्ट की गई हो।

(ii) स्वर्ण, प्लेटिनम को छोड़कर धातुओं के लिए निविष्टियों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2% की होगी।

(iii) वाणिज्यिक नमूनों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी 300,000 रुपये होगी।

(iv) अस्वीकृत आभूषण के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य की 2% होगी।

(v) रत्न एवं आभूषण को तराशने और पालिश करने के कार्य को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ विनिर्माण माना जाएगा।

स्वर्ण आभूषण निर्यात क्षेत्र को प्रदत्त कुछ अन्य सुविधाओं में सरकार की वित्तीय सहायता से आभूषण क्षेत्र में डिजाईनिंग में कुशलता प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन में वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) और बाजार पहुंच संबंधी पहल (एम.ए.आई.) स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के जरिए मदद की जाती है।

[हिन्दी]

अमरीका के साथ व्यापार सम्बन्ध

2063. श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :
श्री जुएल ओराम :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपराई :
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका के साथ व्यापार दोगुना करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जैसा कि दिनांक 13 नवम्बर, 2005 का "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान में अमरीका के साथ समस्याएं आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अमेरिकन अपारल एंड फुटवेयर एशोसिएसन (ए.ए.एफ.ए.) ने भारत में जूते के कारखानों का दौरा किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यह दौरा भारतीय चमड़ा उद्योग के लिए सहायक होगा;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) भारत को अमरीका द्वारा अन्य किस प्रकार की सहायता दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों की चिंताओं के कई मुद्दे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ विभिन्न टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं, कृषि, निवेश, सेवाएं, बौद्धिक सम्पदा अधिकार आदि शामिल हैं। इन मुद्दों को दिनांक 12 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुई भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच की हाल की बैठक में विचार-विमर्श के लिए उठाया गया था।

(ङ) से (झ) जी, हां। अमरीकन एपेरेल एण्ड फुटवियर एसोसिएशन (ए.ए.एफ.ए.) के एक बारह सदस्यीय अमरीकी फुटवियर शिष्टमंडल ने 16-22 अक्तूबर, 2005 तक भारत का दौरा किया था। शिष्टमंडल ने आगरा, दिल्ली और चन्नई में उत्पाद प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा फुटवियर कारखानों का दौरा किया। दौरा करने वाले शिष्टमंडल को कुल 48 कम्पनियों ने अपने उत्पादों को दिखाया। आगरा, चेन्नई और एम्बूर में 13 फुटवियर कारखानों का शिष्टमंडल द्वारा दौरा किया गया था। अमरीकी शिष्टमंडल में कुछ सुविख्यात अमरीकी फुटवियर कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल थे जिन्होंने भारत से फुटवियर प्राप्त करने में रूचि दिखाई है।

[अनुवाद]

अवैध प्रवासी

2064. श्री सुब्रत बोस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से विभिन्न न्यायालयों में अवैध प्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने से सम्बन्धित लंबित राज्य-वार कितने मामले हैं;

(ख) अवैध प्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने के संदर्भ में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा न्यायालयों के समक्ष शपथपत्रों में क्या वचनबद्धताएं दी गई है;

(ग) क्या स्थिति की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा वर्ष-वार कितने अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापिस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त की गई है। मांगे गए ब्योरे इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 2000 से 2004 के दौरान वापिस भेजे गए अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	173	497	436	365	324
आंध्र प्रदेश	22	0	48	35	11
अरूणाचल प्रदेश	91	88	91	0	0
असम	1,492	555	0	306	26,231
बिहार	12	11	12	0	0
चंडीगढ	25	5	0	0	0
दिल्ली	498	334	3,079	5,885	6,106
गोआ	0	49	0	3	0
गुजरात	1	337	1	18	51
हरियाणा	0	0	0	28	48
हिमाचल प्रदेश	1	0	3	1	7
जम्मू और कश्मीर	8	0	2	0	0
कर्नाटक	0	0	24	4	14
केरल	0	0	0	9	19
मध्य प्रदेश	0	3	0	3	7
महाराष्ट्र	113	193	382	285	455
मणिपुर	0	0	0	2	47
मेघालय	0	0	0	0	18
मिजोरम	0	0	0	594	469
नागालैंड	0	1	1	2	0

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	0	0	21	0	22
पांडिचेरी	0	0	0	0	1
पंजाब	17	53	22	40	184
राजस्थान	133	82	196	23	117
तमिलनाडु	0	0	0	715	23
त्रिपुरा	318	0	0	10,880	3,693
उत्तर प्रदेश	350	277	9	49	89
पश्चिम बंगाल	3,255	6,586	2,067	1,520	1,253
कुल	6,509	9,071	6,394	20,767	39,189

[हिन्दी]

महिलाओं के विरूद्ध अपराध का विश्लेषण

2065. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शीराम :
श्री शिशुपाल पटले :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों का वर्ष-वार विश्लेषण किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेन्टर फॉर सोशल रिसर्च ने कुछ राज्यों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) क्या ऐसी घटनाओं में कोई कमी आई है;

(ङ) क्या प्रति वर्ष इन राज्यों में ऐसे अपराधों की दर में वृद्धि हो रही है;

(च) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा रिकार्ड ब्यूरो ने गत तीन वर्षों अर्थात 2002, 2003 और 2004 के लिए महिलाओं के प्रति अपराधों की सूचित घटनाओं का संकलन और विश्लेषण किया है।

(ग) से (ङ) गृह मंत्रालय को महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, एन.सी.आर.बी. द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विश्लेषण के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराधों की मिली-जुली प्रवृति रही है। महिलाओं के प्रति सूचित अपराध की घटनाओं की प्रवृति राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण-I में और ऐसे अपराधों की दर विवरण-II में दी गई है।

(च) और (छ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए महिलाओं के प्रति अपराधों में दोशी पाए गए लोगों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करना और महिलाओं को संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, महिलाओं तथा बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित करने के साथ-साथ दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध करते हुए समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह देती रही है।

विवरण-I

2002 से 2004 के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में महिलाओं के प्रति अपराधों की कुल घटनाएं

क्र. सं.	राज्य	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	18880	18382	18921
2.	अरूणाचल प्रदेश	159	139	148

1	2	3	4	5
3.	असम	5092	5312	5700
4.	बिहार	5743	5900	8091
5.	छत्तीसगढ़	3538	3336	3763
6.	गोवा	76	121	132
7.	गुजरात	5375	5735	6211
8.	हरियाणा	4385	4170	4276
9.	हिमाचल प्रदेश	838	729	823
10.	जम्मू और कश्मीर	2016	2164	2208
11.	झारखंड	2490	2488	2490
12.	कर्नाटक	6170	5834	5423
13.	केरल	5829	5653	6483
14.	मध्य प्रदेश	15260	14547	15203
15.	महाराष्ट्र	11322	11273	12169
16.	मणिपुर	170	137	134
17.	मेघालय	71	69	113
18.	मजोरम	154	147	91
19.	नागालैंड	26	25	30
20.	उड़ीसा	4779	4946	5239
21.	पंजाब	2295	2375	1955
22.	राजस्थान	12049	11812	13127
23.	सिक्किम	28	37	49
24.	तमिलनाडु	9798	8888	9332
25.	त्रिपुरा	536	537	670
26.	उत्तर प्रदेश	15647	12840	15485
27.	उत्तरांचल	870	886	988
28.	पश्चिम बंगाल	6842	8508	11047
	कुल (राज्य)	140436	136990	150301
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	22	27
30.	चंडीगढ़	189	159	188
31.	दादरा और नागर हवेली	15	13	22
32.	दमन और दीव	8	10	7
33.	दिल्ली	2216	3282	3677
34.	लक्षद्वीप	2	4	1
35.	पांडिचेरी	141	121	110
	कुल (संघ शासित)	2598	3611	4032
	कुल (अखिल भारत)	143034	140601	154333

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण-II

2002, 2003 और 2004 के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की दर

क्र. सं.	राज्य	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.5	23.6	24.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	14.3	12.3	12.9
3.	असम	18.7	19.2	20.2
4.	बिहार	6.7	6.8	9.2
5.	छत्तीसगढ़	16.6	15.4	17.0
6.	गोवा	5.5	8.5	9.0
7.	गुजरात	10.4	10.9	11.6
8.	हरियाणा	20.3	18.9	19.1
9.	हिमाचल प्रदेश	13.6	11.7	13.0
10.	जम्मू और कश्मीर	19.3	20.2	20.0
11.	झारखंड	9.0	8.9	8.8
12.	कर्नाटक	11.5	10.7	9.9
13.	केरल	18.1	17.3	19.7
14.	मध्य प्रदेश	24.6	23.0	23.5

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	11.5	11.2	12.0
16.	मणिपुर	7.0	5.5	5.3
17.	मेघालय	3.0	2.9	4.7
18.	मजोरम	16.9	15.9	9.7
19.	नागालैंड	1.3	1.2	1.4
20.	उड़ीसा	12.8	13.1	13.7
21.	पंजाब	9.3	9.5	7.7
22.	राजस्थान	20.7	19.9	21.7
23.	सिक्किम	5.1	6.6	8.6
24.	तमिलनाडु	15.6	14.0	14.5
25.	त्रिपुरा	16.5	16.3	20.0
26.	उत्तर प्रदेश	9.2	7.4	8.7
27.	उत्तरांचल	10.0	10.0	11.0
28.	पश्चिम बंगाल	8.4	10.3	13.2
	कुल (राज्य)	13.6	13.0	14.1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.4	5.9	7.1
30.	चंडीगढ़	20.3	16.6	19.3
31.	दादरा और नागर हवेली	6.6	5.6	9.2
32.	दमन और दीव	4.9	6.0	4.1
33.	दिल्ली	15.4	22.1	24.1
34.	लक्षद्वीप	3.2	6.3	1.6
35.	पांडिचेरी	14.2	12.0	10.8
	कुल (संघ शासित)	15.2	20.5	22.2

[अनुवाद]

बी.एस.एफ. के जवानों द्वारा अपने साथी की हत्या

2066. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके अधीनस्थों द्वारा किये जाने वाले हमले की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पी.एम.एफ. के जवानों द्वारा अपने साथियों/वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले/हत्या की घटनाओं की बल-वार आज की तारीख तक संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसी प्रत्येक घटना की बल-वार जांच का आदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांचों का क्या परिणाम निकला;

(च) इन घटनाओं में मरने वाले सुरक्षा जवानों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान बल-वार घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है :-

बल का नाम	2003	2004	2005 (30.11.2005) तक
सी.आर.पी.एफ.	03	05	04
बी.एस.एफ.	09	05	06
सी.आई.एस.एफ.	02	01	01
आई.टी.बी.पी.	शून्य	शून्य	01
एस.एस.बी.	शून्य	01	01
ए.आर.	शून्य	01	02

(घ) जी हां, महोदया।

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय/कानूनी कार्रवाई की गई है।

(च) मौजूदा केन्द्रीय सरकारी नियमों के अनुसार, केन्द्रीय पुलिस बल (सी.पी.एफ.) के ऐसे कार्मिकों, जो ड्यूटी के समय मारे जाते हैं, की विधवाओं/निकटतम रिश्तेदार को यथा स्वीकार्य अन्य सेवा लाभों जैसे पेंशन, जी.पी.एफ. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम, छुट्टी के बदले नगद भुगतान, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के अलावा 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जाती है।

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सी.पी.एफ. के कार्मिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है; जिसमें शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना, कार्य संबंधी स्थितियों में सुधार करना, समय से और नियमित छुट्टी प्रदान करना, तनाव प्रबंधन पाठयक्रमों की शुरूआत करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

पहचान पत्र जारी किया जाना

2067. श्री शिशुपाल पटले :
श्री पंकज चौधरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने और घुसपैठ को रोकने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रही है जैसा कि दिनांक 24 अगस्त, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पहचान पत्र सभी राज्यों में सभी नागरिकों को जारी किए जाएंगे;

(ग) क्या पहले चरण में ऐसे पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों का चयन किया जा चुका है;

(घ) क्या ऐसे पहचान पत्र जारी करने से देश में घुसपैठ में कमी लाने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस योजना के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) सरकार का देश के नागरिकों को बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, दोनों में अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए 12 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र के चुने हुए उप-जिलों में प्रयोगिक आधार पर एक पायलट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। सरकार का पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों और सीख को ध्यान में रखते हुए इस योजना को पूरे देश में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष राष्ट्रीय पहचान संख्या (एन.आई.एन.) प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इससे एक विश्वसनीय व्यक्तिगत पहचान प्रणाली लागू होगी जिससे देश में सुरक्षा प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2068. श्री इकबाल अहमद सदडगी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों ने भारत में खाद्य उत्पादों/खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करने में रूचि दिखाई है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खाद्य प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। पिछले तीन वर्षों में देशवार एफ.डी.आई. अंतर्वाह संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। उदारीकृत आर्थिक माहोल में निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी आर्थिक और वाणिज्यिक विवेचनाओं के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण

जनवरी 2002 से सितम्बर, 2005 तक देशवार
एफडीआई अंतर्वाह का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	देश	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह की राशि
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	12.48
2.	बहमास	1.94
3.	बेल्जियम	0.22
4.	कनाडा	0.68
5.	डेनमार्क	6.50
6.	फ्रांस	5.05

1	2	3
7.	जर्मनी	181.77
8.	हांगकांग	24.01
9.	हंगरी	0.10
10.	इटली	0.34
11.	जापान	17.60
12.	कोरिया (दक्षिणी)	85.84
13.	कुवैत	0.73
14.	लक्जेमवर्ग	0.42
15.	मलेशिया	0.09
16.	मारिशस	943.93
17.	नीदरलैंड	26.16
18.	फिलीपीन्स	0.25
19.	रूस	0.02
20.	सऊदी अरब	27.27
21.	सिंगापुर	17.41
22.	स्पेन	1.44
23.	श्रीलंका	0.01
24.	स्वीडन	1.19
25.	स्विटजरलैंड	228.58
26.	यू.ए.ई.	3.63
27.	यू.के.	2.91
28.	यू.एस.ए.	201.00
29.	ब्रिट्रिश विर्जीनिया	3.58
30.	दर्शाया न गया देश	2.61
31.	गिबराल्टर	0.02
	कुल जोड़	1797.78

टिप्पणः केवल 'इक्विटी पूंजी घटक' ही शामिल है।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2069. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत चालकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	6000	42,00,000/-
2.	पर्वतनैनी सुभाष चन्द्र बोस ड्राइविंग स्कूल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश	250	1,75,000/-
3.	इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आई.आर.टी.ई.), दिल्ली	999	6,99,300/-
4.	इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आई.डी.टी.आर.), दिल्ली	11500	80,50,000/-
5.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट (सी.आई.आर.टी.), पुणे, महाराष्ट्र	250	1,75,000/-
6.	रानदीव मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	250	1,75,000/-

1	2	3	4
7.	नासिक मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	250	1,75,000/-
8.	अशोक लीलैंड ड्राइवर/सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, नमक्कल, तमिलनाडु	500	3,50,000/-
9.	मैं. ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	2000	14,00,000/-
	जोड़	21999	1,53,99,300/-

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत धनराशि के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत चालकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	8000	56,00,000/-
2.	पर्वतनैनी सुभाष चन्द्र बोस ड्राइविंग स्कूल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश	1000	7,00,000/-
3.	इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आई.डी.टी.आर.) दिल्ली	17000	1,19,00,000/-
4.	द वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात	250	1,75,000/-
5.	नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर (एन.ए.टी.पी.ए.सी.), तिरुवनंतपुरम, केरल	250	1,75,000/-
6.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट (सी.आई.आर.टी.), पुणे, महाराष्ट्र	2750	19,25,000/-
7.	मै. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे, महाराष्ट्र	250	1,75,000/-
8.	मै. दी वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, पुणे, महाराष्ट्र	250	1,75,000/-
9.	रानदीव मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	1000	7,00,000/-
10.	नासिक मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	1000	7,00,000/-
11.	मै. विजय मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	250	1,75,000/-
12.	मै. सोशल न्यूट्रिशनल एडुकेशनल हेल्थ एसोसिएशन, धेनकनाल, उड़ीसा	250	1,75,000/-
13.	सिक्किम मोटर ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सिची, गंगटोक, सिक्किम	250	1,75,000/-
14.	अशोक लीलैंड ड्राइवर/सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, नमक्कल, तमिलनाडु	3000	21,00,000/-
15.	मै. गोवन इंस्ट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ड्राइवर्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	250	1,75,000/-
16.	मै. ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	2000	14,00,000/-
17.	मै. लक्ष्मी मोटर ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग स्कूल, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	250	1,75,000/-
	जोड़	38000	2,66,00,000/-

वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत धनराशि के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत चालकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	5000	35,50,000/-

1	2	3	4
2.	पर्वतनैनी सुभाष चन्द्र बोस ड्राइविंग स्कूल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश	2000	14,20,000/-
3.	इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आई.डी.टी.आर.), दिल्ली	9000	63,90,000/-
4.	इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आई.आर.टी.ई.) नई दिल्ली	1250	8,87,500/-
5.	द वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात	500	3,55,000/-
6.	डब्ल्यू.आई.ए.ए.-कैस्ट्रौल इंस्टीट्यूट आफ मोटरिंग, अहमदाबाद, गुजरात	250	1,77,500/-
7.	मै. दिव्य ज्योति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर रूरल डस्ट्रिक्ट, कर्नाटक	250	1,77,500/-
8.	नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर (एन.ए.टी.पी.ए.सी.), तिरुवनंतपुरम, केरल	500	3,55,000/-
9.	मै. ग्वालियर मोटर ड्राइविंग एंड ट्रैफिक स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	250	1,77,500/-
10.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट (सी.आई.आर.टी.), पुणे, महाराष्ट्र	5000	35,50,000/-
11.	मै. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे, महाराष्ट्र	500	3,55,000/-
12.	मै. दी वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, पुणे, महाराष्ट्र	500	3,55,000/-
13.	रानदीव मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	2000	14,20,000/-
14.	नासिक मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	2000	14,20,000/-
15.	त्रिधारा, तुलसीपुर, कटक, उड़ीसा	250	1,77,500/-
16.	सुप्रतीव, फकीरपाड़ा, कटक	250	1,77,500/-
17.	मै. ओम देवम मोट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लुधियाना, पंजाब	250	1,77,500/-
18.	मै. जोसीको ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान	250	1,77,500/-
19.	सिक्किम मोटर ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सिची, गंगटोक, सिक्किम	500	3,55,000/-
20.	सुधा अखिल भारतीय विकलांग कल्याण संस्थान, देहरादून, उत्तरांचल	250	1,77,500/-
21.	देहाती ग्रामोत्थान विकास समिति, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	250	1,77,500/-
22.	अशोक लीलैंड ड्राइवर/सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, नमक्कल, तमिलनाडु	9000	63,90,000/-
23.	मैं. गोवन इंस्टयूट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ड्राइवर्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	500	3,55,000/-
24.	मै. ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	2000	14,20,000/-
	जोड़	42500	301,75,000/-

वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत धनराशि के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत चालकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	समूह, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	250	1,77,500/-

1	2	3	4
2.	रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड डिफेंसिव ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद	250	1,77,500/-
3.	मै. स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स एसोसिएशन, हैदराबद, आंध्र प्रदेश	250	1,77,500/-
4.	द राजमुंद्री मिनी गुड्स वेन ऑनर्स एसोसिएशन, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश	250	1,77,500/-
5.	द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	8000	56,80,000/-
6.	दीक्षा, पाथ फार डेलवपमेंट, हैदराबद, आंध्र प्रदेश	250	1,77,500/-
7.	पर्वतनैनी सुभाष चन्द्र बोस ड्राइविंग स्कूल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश	3000	21,30,000/-
8.	जोरहाट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, डिब्रूगढ	250	1,77,500/-
9.	यूनाइटेड मल्टीपरपस सोसाइटी. गुवाहाटी	250	1,77,500/-
10.	इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आई.डी.टी.आर.) दिल्ली	11000	78,10,000/-
11.	इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आई.आर.टी.ई.) नई दिल्ली	3000	21,30,000/-
12.	काउंसिल आफ औकूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट, पणजी, गोवा	250	1,77,500/-
13.	द वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, पणजी गोवा	250	1,77,500/-
14.	द वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात	1000	7,10,000/-
15.	डब्ल्यू.आई.ए.ए.-कैस्ट्रौल इंस्टीट्यूट आफ मोटरिंग, अहमदाबाद, गुजरात	500	3,55,000/-
16.	द रिसर्च इंस्टीट्यूट राजगिरि, कोच्चि, केरल	150	1,06,500/-
17.	नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर (एन.ए.टी.पी.ए.सी.), तिवनंतपुरम, केरल	750	5,32,500/-
18.	परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	250	1,77,500/-
19.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट (सी.आई.आर.टी.), पुणे, महाराष्ट्र	5000	35,50,000/-
20.	वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, मुंबई, महाराष्ट्र	500	3,55,000/-
21.	रानदीव मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	2000	14,20,000/-
22.	नासिक मोटर ड्राइविंग स्कूल, नासिक, महाराष्ट्र	2000	14,20,000/-
23.	त्रिधारा, तुलसीपुर, कटक, उड़ीसा	500	3,55,000/-
24.	सुप्रतीव, फकीरपाड़ा, कटक	500	3,55,000/-
25.	सिक्किम मोटर ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सिची, गंगटोक, सिक्किम	700	4,97,000/-
26.	सुघा अखिल भारतीय विकलांग कल्याण संस्थान, देहरादून, उत्तरांचल	500	3,55,000/-
27.	देहाती ग्रामोत्थान विकास समिति, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	500	3,55,000/-
28.	शिव ग्रोमोद्योग सेवा संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश	250	1,77,500/-
29.	अशोक लीलैंड ड्राइवर/सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, नमक्कल, तमिलनाडु	7500	53,25,000/-
	जोड़	49850	3,53,93,500/-

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने आज सूचना दी है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, वोल्कर रिपोर्ट को आए हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन न तो नटवर सिंह जी का इस्तीफा हुआ है और न ही सोनिया गांधी जी का इस्तीफा हुआ है। कोई इस्तीफा, कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। यह कहना कि प्रधानमंत्री मास्को में हैं। *(व्यवधान)* पहले जब बिहार विधान सभा भंग की गई थी,* जब बिहार विधान सभा भंग की जा सकती है तो नटवर सिंह जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता है? यह हमें स्वीकार्य नहीं है। नटवर सिंह जी यहां आ कर इस्तीफा दें या कम से कम सोनिया गांधी जी इस्तीफा दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह नाम नहीं लिया जायेगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उस हिस्से को कार्यवाही से हटा देना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसे हटा दिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप इन्हें सुन रहे हैं, हमें नहीं सुन रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा। अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, नटवर सिंह जी के बारे में जो तथ्य आ रहे हैं, उनसे यह लगता है कि दो सौ करोड़ रुपये का घपला हुआ है **

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मेरे पास लाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : कांग्रेस पार्टी का वह कौन-सा व्यक्ति है, जो इतना रुपया हज़म कर गया है?..।..* इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक सोनिया गांधी जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक नटवर सिंह जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

(इस समय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट खड़े हो गये)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा अनुचित है। मैं भविष्य में आप पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने आपके नेता पर विश्वास किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य का वक्तव्य दर्ज किया जायेगा।

*(व्यवधान)***

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 6 दिसम्बर, भारतीय लोकतंत्र में 6 दिसम्बर काला दिवस है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप वह पुस्तक दिखाते हैं, तो मैं आपको निकाल दूंगा।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केवल श्री बसुदेव आचार्य का वक्तव्य रिकार्ड किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : 6 दिसम्बर 1992 को श्री आडवाणी और भाजपा के अन्य नेताओं के नेतृत्व के अन्तर्गत बाबरी मस्जिद ढांचा ध्वस्त कर दिया गया था। उनके विरुद्ध चार्जशीट भी दायर की गई थी। हम मामलों को पुन: आरम्भ करने की मांग करते हैं। लिबरहान आयोग को जांच में तेजी लानी चाहिए। अपराध करने वालों को दंडित किया जाना चाहिये। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिये।

उन्होंने 6 दिसम्बर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई थी हम सभी मामलों को पुन: खोलने और जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है, जो बाबरी मस्जिद गिराये जाने के लिये जवाबदेह हैं, उन सबको गिरफ्तार कर जेल भेजने और दंडित करने का अनुरोध करते हैं। आज बाबरी मस्जिद ध्वस्त किये जाने की 13वीं बरसी है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : जो इस प्राचीन और ऐतिहासिक पवित्र स्थल बाबरी मस्जिद गिराये जाने में शामिल थे, उन्हें अभी तक दंडित नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)* लिब्रहान आयोग को अपनी कार्यवाही में तेजी लानी चाहिये और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र मुकदमा दर्ज करना चाहिये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)* आज 6 दिसम्बर है। 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराया गया था। ...*(व्यवधान)* आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आज संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर का महा-परिनिर्वाण दिवस है। ...*(व्यवधान)* भारत के संविधान को कलंकित किया गया है। ...*(व्यवधान)* नैतिकता का तकाजा है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी, प्रतिपक्ष के नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए ...** ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब श्री मोहन सिंह

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आज 6 दिसम्बर है। 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद डिमॉलिश की गई थी, जिसके चलते आज तक सैकुलरिज़्म का ढांचा बर्बाद है और साम्प्रदायिक तनाव है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सबको शर्म आनी चाहिए। श्री मोहन सिंह, कृपया अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इसलिए इसे ब्लैक डे मानकर कम्युनल फोर्सेज को कंडैम किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री गुरूदास दासगुप्ता। कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, यह भारतीय लोकतंत्र के लिये दुखद दिन है। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिरायी है, वे भारतीय लोकतंत्र की नींव गिराना चाहते हैं ...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद गिराई गई और आज उनके नेतृत्व में भारतीय संसद की गरिमा गिरायी जा रही है। ...*(व्यवधान)***

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 12012/3/2004-टी.ए.एम.पी., जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (समूह 'ग' और 'घ' पदों की भर्ती) विनियम, 2001 की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2932/05]

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री टी.आर. बालू]

(3) (एक) विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2933/05]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट-डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट-डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2934/05]

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 859(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नाई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 923(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुराई-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 924(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुराई खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 925(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है।

(पांच) का.आ. 926(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुराई खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1042(अ) जो 21 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुराई-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1048(अ) जो 26 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नाई-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1053(अ) जो 26 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नाई-रानीपेट रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1064(अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1131(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1210(अ) जो 30 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जून, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 859(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 1322(अ) जो 15 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली-अम्बाला) पर बाईपासों के निर्माण सहित निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, उपायुक्त का कार्यालय, पानीपत को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1535(अ) जो 26 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे मे है।

(चौदह) का.आ. 1457(अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2003 का अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 1458(अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट तथा पठानकोट-जम्मू खंडों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 991(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट तथा पठानकोट-जम्मू खंडों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1298(अ) जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) पर ग्वालियर बाईपास को बनाने (निर्माण) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1378(अ) जो 22 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2003 की अधिसूचनासंख्या का.आ. 234(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 1379(अ) जो 22 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) पर ग्वालियर बाईपास को बनाने (निर्माण) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1453(अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 25 और 76 के विभिन्न खंडों के निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 704(अ) तथा का.आ. 705(अ) जो 25 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 902(अ) जो 29 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

(तेईस) का.आ. 916(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 1406(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 917(अ) से का.आ. 919(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 920(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरई से मदुरई-कन्याकुमारी खंडों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 921(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 922(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरई से मदुरई-कन्याकुमारी खंडों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 927(अ) जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई से कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से ग्यारह और इक्कीस से अठाईस) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2935/05]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, परा-चिकित्सीय स्टाफ, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2005, जो 24 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु-चिकित्सक संवर्ग समूह "क" पद भर्ती नियम, 2005, जो 24 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 324 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2936/05]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सभा से निष्कासित कर दूंगा।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं।

(1) (एक) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्थान (पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा अभियान), कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्थान (पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा अभियान), कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2937/05]

(3) (एक) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्थान (पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा अभियान), कोलकाता के

वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्थान (पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा अभियान), कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2938/05]

(5) (एक) केरल की प्राथमिक शिक्षा विकास सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल की प्राथमिक शिक्षा विकास सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2939/05]

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन मिजोरम, आईजोल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन मिजोरम, आईजोल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2940/05]

(9) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी, सर्व शिक्षा अभियान, नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी, सर्व शिक्षा अभियान, नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2941/05]

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2942/05]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2943/05]

(15) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश तथा उनके प्रचालन को विनियमित करने हेतु अभातशिप विनियम,

[श्रीमती कांति सिंह]

2005, जो 27 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 37-3/लीगल/2005 प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2944/05]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2945/05]

(ख) (एक) एस.टी.सी.एल. लिमिटेड (पूर्ववर्ती स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड) बंगलोर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एस.टी.सी.एल. लिमिटेड (पूर्ववर्ती स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड) बंगलोर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2946/05]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2947/05]

(3) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2948/05]

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, अप्लाएंसेज एण्ड प्रोटेक्शन डिवाइसेज एण्ड एक्सेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2005, जो 23 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1172 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2949/05]

अपराह्न 12.08 बजे

वित्तीय समितियां (2004-2005) - एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं "वित्तीय समितियां (2004-2005) - एक समीक्षा" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पुन: ऐसा ही कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.08¼ बजे

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) 'उत्तर-पश्चिम रेलवे जोनल मुख्यालय का जयपुर से अजमेर स्थानांतरण' के बारे में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) संबंधी प्राक्कलन समिति (चौदहवीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन।

(2) 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) संबंधी प्राक्कलन समिति (चौदहवीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08½ बजे

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति (2005-2006) के पांचवें तथा छठे प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं :

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सभा से निष्कासित कर दूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.08¾ बजे

[अनुवाद]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : मैं, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सातवें और आठवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सड़सठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव बर्मन (मथुरापुर) : मैं, "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005" के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 167वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी स्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.09¼ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह संख्या 13 - श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं वर्तमान सप्ताह के शेष भाग में किए जाने वाले सरकारी कार्य का वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :

1. आज के आदेश पत्र से अग्रेषित सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार

2. सांविधिक संकल्प पर चर्चा जिसमें मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 पर निरनुमोदन प्राप्त करना तथा राज्य सभा द्वारा यथा पारित मणिपुर विश्वविद्यालय (संख्या 2) विधेयक, 2005, पर विचार करना तथा उसे पारित करना।

3. सांविधिक संकल्प पर चर्चा जिसमें कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 पर निरनुमोदन प्राप्त करना तथा काराधान विधि (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2005 पर विचारण तथा पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना :-

   (एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन), विधेयक 2005;

   (दो) लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005;

   (तीन) कंपनी सचिव (संशोधन), विधेयक 2005; तथा

   (चार) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 14 तथा 15 पर ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर कल कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

---

*सभापटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.09½ बजे

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं, प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 वित्त अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.09¾ बजे

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के बारे में विवरण**

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं, कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 4) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन आज के दिन के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना गया।

(व्यवधान)

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खण्ड-2, दिनांक 6.12.2005 में प्रकाशित।

** ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2949क

***सभापटल पर रखे माने गये।

(एक) ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बाल कल्याण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : आपके माध्यम से, मैं हमारे देश में बच्चों, जिनमें हमारे राष्ट्र का भविष्य निहित है, के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाता हूं। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (च) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य इस प्रकार की नीति बनायेगा तथा इस प्रकार का अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा कि बच्चे स्वास्थ्य परिवेश में तथा स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण परिस्थितियों में विकास कर सकें। तथापि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के स्वस्थ्य परिवेश में विकास के अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराएं जाने हेतु किए गए प्रयास अभी भी पर्याप्त नहीं हैं इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह शिशु स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिए एक विशेष केन्द्र प्रायोजित योजना बनाए। उक्त योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पुर्नरूद्धार हेतु तथा अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित नए स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने तथा विशेषरूप से ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ दल उपलब्ध कराए जाने हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

(दो) बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों के बैकलॉग को पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में आज भी पांच हजार लोग टेलीफोन लगवाने हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं। विश्व में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति हो चुकी है। कई राज्यों में प्रत्येक गांव में टेलीफोन उपलब्ध करवाया जा चुका है, परन्तु अभी तक मेरा संसदीय क्षेत्र टेलीफोन की सुविधा से वंचित है। पांच हजार लोगों को टेलीफोन लगाने के लिए न तो उपकरण की आपूर्ति की गयी है, न ही डब्ल्यू.एल.एल.बी.टी.एस. लगाया गया है। इन सब कारणों से लोगों को दो सालों तक भी टेलीफोन नहीं मिल पायेंगे। दूसरी ओर मोबाईल सेवा भी अभी तक इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। इसके लिए जो भी जरूरी उपकरण एवं टॉवर हैं वह भी अभी तक नहीं लगे हैं। इस क्षेत्र में 70 टॉवर लगने थे, जिसमें केवल दस लगे हैं। इन सब कारणों से मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग दूर संचार विभाग से असंतुष्ट हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में सभी प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को टेलीफोन दिलवाये जायें और इस क्षेत्र में आवश्यक उपकरण एवं टॉवरों को खड़ा करके इस क्षेत्र में मोबाईल सेवा तत्काल उपलब्ध करवाया जाये।

(तीन) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. में समूह "क" के अधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : मैं सरकार का ध्यान लगभग 2000 उच्च निपुणता प्राप्त अधिकारियों, जिनकी संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने हमारे देश में दूरसंचार क्षेत्र हेतु भर्ती की है, से संबंधित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में समूह 'क' अधिकारियों को संवर्ग में शामिल करने संबंधी मुद्दे पर अभी तक जिस प्रकार कार्यवाही की गई है, उससे इस विशेषज्ञता-प्राप्त, उच्च निपुणता-प्राप्त और अनुभवी संवर्ग का मनोबल गिरा है।

हमारे देश को इस क्षेत्र में दूरसंचार का बड़ा केन्द्र बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के बावजूद सेवा मामलों के संबंध में उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह जानकर खेद होता है कि सेवा संबंधी मामलों के संबंध में उनकी वैध समस्याओं पर ध्यान न देकर बिना किसी आवश्यकता के सरकार द्वारा आकस्मिकता की स्थिति बनाकर गलत संकेत दिए जा रहे हैं। ऐसा और सेवानिवृत्त कर्मियों की तैनाती के बारे में सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में दिया गया तर्क समझ से परे है यह स्पष्ट रूप से आपातकालीन स्थिति नहीं है क्योंकि ये अधिकारी बातचीत के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से संवर्ग में शामिल करने के बारे में अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं और किसी आंदोलन अथवा अन्य इस प्रकार के उपायों का कभी भी उन्होंने सहारा नहीं लिया है।

मेरे ध्यान में एक अन्य खेदजनक तथ्य लाया गया कि सीधे तौर पर अथवा परामर्श देने की हैसियत से प्रतिस्पर्धी निजी प्रचालकों के पास वर्तमान में कार्य कर रहे इन आई.टी.एस. अधिकारियों को बदलने हेतु सरकार द्वारा अनेक सेवानिवृत्त अधिकारियों से संपर्क किया गया था। अस्थायी व्यवस्था में भी भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड में ऐसे अधिकारियों की विधिवत् नियुक्ति से निजी प्रचालकों के अनुचित फायदे हेतु भारत के सबसे बड़े दूरसंचार उपक्रम के हित से समझौता करना होगा।

इस स्तर पर सरकार का हस्तक्षेप करना सभी सम्बन्धित पक्षों के हित हेतु समय की मांग है।

(चार) असम के करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कटखल प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर मार्ग परिवर्तन संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर कटखल रेलवे पुल भारत में कुछ सड़क-सह-रेलवे पुलों में से एक है जो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में है। यह पुल खस्ता हालत में है और लगभग हर रोज रेलवे कर्मचारी मरम्मत कार्य में लगे रहते हैं जिससे रेलगाड़ियां इस पुल को धीमी गति से पार करती है। इसके परिणामस्वरूप जब रेलगाड़ी इस पुल से गुजरती है तो हर बार कम से कम आधे घंटे के लिये पुल के दोनों तरफ सड़क यातायात रूक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर मार्ग परिवर्तन संबंधी सड़क का निर्माण यातायात की सुविधा हेतु एक अलग सड़क पुल के साथ किया गया था परन्तु दिशा-परिवर्तित सड़क को जोड़ने हेतु रेलवे लाइन पर उपरि-पुल पिछले पांच वर्षों से लंबित है और इसलिये, दिशा-परिवर्तित सड़क का उपयोग नहीं किया गया है और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन-क्षेत्र सिलचर और मिजोरम राज्य से संबंधित लोगों की दीर्घकालीन समस्याओं की ओर आकर्षित करता हूं जैसा कि इस क्षेत्र के लोगों को भारत के अन्य भागों में यात्रा करने हेतु इस पुल को पार करते समय कष्टदायी विलंब से गुजरना पड़ता है। जन असुविधा पर विचार करते हुए सरकार के उपयुक्त प्राधिकरणों से आग्रह किया गया है कि कटखल प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के विपथन को बिना किसी विलंब के पूरा किया जाये।

(पांच) रक्षा कार्मिकों के लिए "एक पद, एक पेंशन" योजना लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : रक्षा कार्मिकों के लिये "एक पद एक पेंशन" योजना को लागू किये जाने हेतु वास्तविक मांग काफी लम्बे समय से लंबित है। राष्ट्र अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के समय असैनिक प्राधिकारियों की सहायता हेतु आने के अतिरिक्त हमारी सीमाओं की रक्षा करने और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुरक्षित करने हेतु हमारे रक्षा बलों का अत्यंत आभारी हैं। तथापि, उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति इस उन्हें काफी नुकसान की स्थिति में ला देती है। अपने आप में एक वर्ग होने के नाते "एक पद, एक पेंशन" का लाभ कहीं से भी किसी वैसी ही मांग के डर के बिना उन्हें दिया जा सकता है और यह लाभ दिया जाना उचित भी है।

विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों और अन्य असैनिक सेवाओं में सेवानिवृत्त से रक्षा कार्मिकों को शामिल किया जाने से सशस्त्र बलों की ओर सक्षम नौजवानों को आकर्षित करने हेतु आवश्यक है।

तदनुसार, मैं सरकार से "एक पद, एक पेंशन" संबंधी योजना लागू करने और संबंधित नियमों में संशोधन भी करने जिसमें सेवानिवृत्ति होने वाले रक्षा कार्मिकों को अन्य सेवाओं में समकक्ष पदों पर तैनात करने हेतु उपबंध है, को लागू करने का आग्रह करता हूं।

(छह) उत्तरांचल के चमोली जिले में जोशीमठ-मलारी के रास्ते से होकर मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए एक नया मार्ग खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष से बहुत बड़ी संख्या में हर साल लोग कैलाश

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी]

मानसरोवर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम बनाने के लिए उत्तरांचल के जनपद चमोली में जोशीमठ-मलारी कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी खोला जाना चाहिए। यह मार्ग पारस्परिक व्यापार मार्ग हुआ करता था और इस मार्ग पर तिब्बत के साथ काफी व्यापार होता था। समय समय पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए इस मार्ग की मांग होती रहती है। यह यात्रा मार्ग सरल और नजदीक होना भी बताया जाता है।

सरकार से यह अपेक्षा है कि इस संबंध में जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए जोशीमठ मलारी होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा की स्वीकृति दी जाये। यदि इस मार्ग को जाने और आने के लिए नहीं बनाया जाता है तो कम से कम एक ओर से इस मार्ग को यात्रा मार्ग बनाया जाये।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर प्राथमिकता से विचार किया जाये।

(सात) मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाईन और मोबाइल फोन कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, दूर संचार के क्षेत्र में जहां संपूर्ण देश में कई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है, किन्तु कतिपय राज्यों में जिनमें मध्य प्रदेश प्रमुख है, के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सामान्य सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। परिणामत: जिन क्षेत्रों में मोबाइल व तरंग सुविधायें घोषित की गयी तथा सभी लाभान्वित हो, इसे हेतु व्यापक प्रचार भी किया गया, किन्तु लंबी प्रतीक्षा के बाद भी सामान्य टेलीफोन सुविधा भी नहीं मिल पायी है। टेलीफोन कनैक्शन, मोबाइल कनैक्शन या तरंग टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवश्यक धनराशि जमा कराने के बाद भी कनैक्शन न देना तथा कोई निश्चित समयावधि भी नहीं बताना असंतोष का कारण बनता जा रहा है।

मेरा माननीय संचार मंत्री महोदय से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में संचार सुविधाओ को मांग के अनुसार आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि व्याप्त हो रहा असंतोष दूर हो व उपभोक्ताओं को वांछित सुविधा प्राप्त हो सके।

(आठ) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. का टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु देव साय (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत कुनकरी एवं पथल गांव में बी.एस.एन.एल. का एक्सचेंज सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है और इसे सरकार द्वारा स्वीकृति दिये हुए एक साल से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक बी.एस.एन.एल. का एक्सचेंज स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत कुनकरी एवं पथल गांव में अविलम्ब बी.एस.एन.एल. का एक्सचेंज स्थापित कर उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(नौ) मध्य प्रदेश में बैतूल जिला मुख्यालय में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुख्यालय बैतूल में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बैतुल संसदीय क्षेत्र के बैतूल जिले के मुख्यालय बैतूल में काफी लंबे अरसे से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बाबत कार्यवाही चल रही है। इसके संबंध में प्रदेश शासन द्वारा सारी औपचारिकतायें पूरी कर दी गयी हैं, परन्तु अभी तक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है। बैतूल जिले में अधिकतर गरीब, आदिवासी निवास करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए और केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे स्कूल की सुविधा प्राप्त हो जाये इसलिए शीघ्र केन्द्रीय विद्यालय बैतूल में खोले जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वीकृति प्रदान करें।

(दस) देश में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में क्रिकेट को इतना बढ़ावा दे रही हैं कि दूसरे सभी खेल इसके सामने बौने बनकर रह गये हैं, छोटे पड़ गये हैं। इस कारण देश के हजारों और लाखों अन्य खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी अपने को दो नंबर का खिलाड़ी समझने लग गए हैं। क्रिकेट का खेल कॉमर्शियल हो गया है। क्रिकेट खेलना व्यापार बन गया है और यह खेल व्यापारियों का खेल बनता जा रहा है। इस पर दुनियाभर में लाखों करोड़ों रुपये के सट्टे लगते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेलने में कम और विज्ञापनों में ज्यादा रूचि लेने लग गए हैं। इस कारण देश के अन्य खेलों के खिलाड़ी अपने को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं।

महोदय, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। गिने चुने देश हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं। इनमें चीन, जापान, अमरीका आदि देश हैं, जो इसमें ज्यादा रूचि नहीं लेते हैं और ये ही देश खेलों में ज्यादा पदक प्राप्त करते हैं। हमारा देश खेलों में इन देशोंक के मुकाबले बहुत पीछे हैं और इक्के-दुक्के पदक

ही प्राप्त करता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी बराबर का दर्जा दें ताकि दूसरे खेलों को भी बढ़ावा मिले और उन्हें खेलने वाले खिलाड़ी अपने को सम्मानित महसूस करें। अकेले क्रिकेट से इस देश का भला होने वाला नहीं है, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

(ग्यारह) देश में एंडोसल्फन कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : भारत, विश्व में एंडोसल्फन का सबसे जयादा प्रयोग करने वाला और उत्पादन करने वाला देश है तथा प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन लीटर एंडोसल्फन का प्रयोग कर रहा है। यह घातक कीटनाशक है जिस पर बहुत पहले कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियों ने जिसे 'अत्यधिक विषैले पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया है। परन्तु इसका न्यायक स्तर पर उपयोग केरल, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और पंजाब में कपास और चाय के बागानों में किया जा रहा है। इस अत्यंत विषैले कीटनाशक के अनियंत्रित प्रयोग के कारण असामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट हैं। नेशनल इंस्टीटट्यूट ऑफ आकूपेशनल हैल्थ द्वारा बागान क्षेत्र के स्कूली बच्चों के संबंध में किये गये अध्ययन में कुछ जन्मजात असामान्यताओं को भी पाया गया था।

केन्द्र सरकार ने एंडोसल्फन के पंजीकरण की समीक्षा हेतु कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया था। जैसाकि इस समिति के प्रतिवेदन के विरुद्ध व्यापक स्तर पर विरोध था फिर भी केन्द्र सरकार ने एक अन्य समिति का गठन किया और इसका प्रतिवेदन केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है। एंडोसल्फन से देश में विशेषकर मेरे राज्य केरल में कई लोग अशक्त हो रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु हो रही है। मैं सरकार से इस कीटनाशक के पंजीकरण को रद्द करने अथवा प्रतिबंध लगाये जाने के लिये तुरंत कदम उठाये जाने हेतु अनुरोध करता हूं।

(बारह) श्रम सहकारिताओं के संबंध में "राष्ट्रीय सलाहकार परिषद" की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : मैं श्रम सहकारिताओं के संबंध में 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्' की सिफारिशों को लागू करने हेतु कदम उठाये जाने के लिये अनुरोध करती हूं।

श्रम ठेका सहकारिता सोसाइटियों द्वारा निर्माण कार्यों में निभाई गई भूमिका के परिणामस्वरूप देश का विकास हुआ है और इसे आम जनता में काफी सराहना मिली है।

परन्तु इन सोसाइटियों को पर्याप्त कार्य देने में विफलता के परिणामस्वरूप उनकी कार्यपद्धति में शिथिलता और निष्क्रियता आई है। अतः, मंत्रालय को कार्य देने वाली एजेंसियों को दिशानिर्देश देकर श्रम सहकारिताओं के संबंध में 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्' की सिफारिशों को लागू करने हेतु तत्काल उपाय करने चाहिये। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कदमों को भी उठाया जाये :-

1. समझौते के रूप में लिखित रूप में श्रम ढेका सहकारिता सोसाइटी की इच्छा का पता लगाना
2. यदि निम्नतम निविदा निजी ठेकेदार से है तो सहकारी सोसाइटियों को निम्नतम निविदा से 10% ज्यादा पर कार्य देना;
3. सहकारिताओं को सुरक्षा जमा के भुगतान और पेशगी धन जमा से छूट देना; और
4. नाबार्ड के माध्यम से न्यूनतम ब्याज दर सहित पर्याप्त कार्य प्रचालन पूंजी ऋण और अन्य सुविधायें प्रदान करना।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल फोन सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बी.एस.एन.एल. के मोबाइल फोन गांव गांव तक पहुंचा कर दूरसंचार में क्रांति लाने का प्रयास किया है, किन्तु उत्तर प्रदेश में बी.एस.एन.एल. की संचार व्यवस्था चरमरा गयी है और खासकर इटावा जो मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, में घंटों तक मोबाइल से बात नहीं हो पाती, जिससे उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण निजी कपंनियों के फोन की ओर झुकाव जनता का बढ़ रहा है।

अतः इस समस्या के समाधान हेतु टॉवर की कैपेसिटी बढ़ायी जाये एवं नये कनेक्शन देने के पहले समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें, जिससे उपभोक्ताओं का बी.एस.एन.एल. पर विश्वास बना रहे।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राठ नगर में एक स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, उ.प्र. के राठ नगर में युवाओं को खेलकूद एवं खेल संबंधी अन्य आयोजनों हेतु कोई स्टेडियम न होने से बहुत परेशानी हो रही है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों से इस क्षेत्र में उभरती प्रतिमाएं स्टेडियम के कारण आगे बढ़ने से वंचित रह जाती हैं। वर्तमान में यहां पर अनेक स्कूल एवं महाविद्यालय हैं परन्तु स्टेडियम न होने से बच्चे खेलकूद में पिछड़ जाते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

से वंचित रह जाते हैं। काफी समय से यहां की जनता द्वारा राठ नगर में एक स्टेडियम बनाने की मांग की जा रही है। छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टेडियम को अत्यंत आवश्यकता है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनपद हमीरपुर के राउ नगर में स्टेडियम बनाने हेतु जमीन का चयन कर अतिशीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ 3400 किलोमीटर है, जिसमें 890 किलोमीटर चार लेने बनाने की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी गयी है, लेकिन इसके शर्त के मुताबिक 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 60 प्रतिशत इनवेस्टर को लगाना है। यह सर्वविदित है कि बिहार सर्वाधिक पिछड़ा एवं गरीब राज्य है जहां इतनी बड़ी पूजी वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि पूरा खर्च वहन कर निर्माण कार्य को पूरा करावें।

कुल 1700 किलोमीटर दो लेन एन.एच. की सड़क बिहार में है, जिससे 1100 किलोमीटर की हालत बिल्कुल खराब है।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय उच्च पथ के मापदंड के अनुसार योजना बनाकर एवं सड़कों का निर्माण कराया जाये।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लघु उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्ज़ापुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची से विभिन्न आइटम हटाये जा रहे हैं। दूसरी ओर लघु उद्योग निर्माताओं को विश्व अर्थव्यवस्था में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में अनदेखी की जा ही है। उद्योग निर्माताओं को बाजार से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बैंक ऋण की सुविधाओं की कमी के कारण वित्त समस्या बनी हुयी है। लघु उद्योगों को सरकारी योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। बिजली की कमी बंद होने के कगार पर है। बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण देने से बचने की लघु इकाइयों और मध्यम इकाइयों को मध्यम दर्जे के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक इन इकाइयों को मध्यम दर्जे की सुविधा नहीं दी जा रही है। केन्द्र शीघ्र ऐसी इकाइयों को विशेष रूप से मिर्जापुर जिले के लिए आर्थिक पैकेज तथा बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने के आदेश जारी करें।

(सत्रह) तमिलनाडु में माऊंट पूरामाल्ली को रेनीगुंटा से पेरियापल्यम को इन्मोर पोर्ट से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के प्रस्तावित कार्य की व्यवस्था करने और उसमें तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : श्रीपेरूम्बुदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में माउंट पूरामाल्ली से श्री पेरूम्बुदूर तक और रेनीगुंटा, पेरियापलयम से इन्मोर पोर्ट, आधुर पेट तक रेललाइनों को जोड़ने का प्रस्ताव है। रेलवे ने उपर्युक्त योजनाओं के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तमिलनाडु में उपनगरीय क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है, जिसके कारण ज्यादा ट्रैफिक होता है और यातायात और माल वाहनों की आवाजाही असुविधाजनक हो जाती है। अतः, मैं रेलवे और पोत परिवहन मंत्रालय से प्राथमिकता के आधार पर धन आबंटन करने और प्रस्तावित योजना को शीघ्र आरंभ करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर चार गांवों के लोगों के पुनर्वास कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़) : वन्यजीवों से लोगों और खेती को होने वाले खतरों के मद्दे-नजर महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर बसे चार गांवों जदोली, डिचोली, पूनावली, किसरूले का पुनर्वास जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है को शीघ्रातिशीघ्र कराए जाने की आवश्यकता है। जिस भूमि पर पुनर्वास किया जाना है, उस भूमि के वर्तमान निवल मूल्य में इस तथ्य के मद्दे-नजर छूट दी जानी चाहिए कि पुनर्वास भी भूमि की अपेक्षा कोयना वन्यजीव अभयारण्य में भूमि के बड़े हिस्से को विलय कर दिया गया है।

(उन्नीस) चिदंबरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधि की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : तमिलनाडु में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित 18 जिलों में से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुड्डालोर सर्वाधिक प्रभावित जिला है और लगभग पूरा चिदम्बरम, कुट्टमलार कोइल और भुवनगिरि पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, चिदम्बरम, कोल्लादम, परावनार और मणिमुधार नदियों ने झोपड़ियों, संपत्ति और फसलों को भारी क्षति पहुंचाई हैं। अब तक 50 से ज्याद मौतों की खबर मिली है और 100 लोग लापता बताए गए हैं। जब मैंने राशन की दुकानों का दौरा किया तो किसी भी दुकान पर चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं था। बाढ़ के परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग (सिंचाई), राजमार्ग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर निगमों, विशेष ग्राम पंचायतों, लोक निर्माण, विभाग टी.डब्ल्यू.ए.डी./ग्रामीण जल

आपूर्ति को कुल 47509.12 लाख रुपये की हानि हुई है। तालुकों में 68,539 हेक्टेयर फसल और 5167 बागवानी, 516 राजस्व ग्राम, 420 ग्राम पंचायतें, 16 विशेष पंचायतें और 5 नगरपालिकाएं जलमग्न हो गई। 230 ग्रामों में 479620 लोग असहाय हो गए। 251530 झोपड़ियां नष्ट हो गई, 746 नदी तट, 610 तलाब और धाराएं टूट गई। 1130.60 कि.मी. लंबी राजमार्ग सड़क 64,00 किमी लंबी नगरपालिका सड़क 4841.00 कि.मी. लंबी पंचायत सड़कें और 86.20 कि.मी. लंबी विशेष पंचायत सड़क नष्ट हो गई। 210 पुलिया/पुल और 2302 सरकारी भवन नष्ट हो गए, इस प्रकार कुल 475.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यदि तलाबों, झीलों और नदियों से गाद साफ की गई होती और बांधों को सुदृढ़ किया गया होता, तो आपदा की भयावहता काफी कम होती और कई जानें बचाई जा सकती थी। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा मांगी गई सहायता को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाए क्योंकि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चिदम्बरम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि में से 500 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि इसके लिए स्वीकृति दी जाए।

(बीस) नागा समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर) : भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच युद्ध विराम की बढ़ाई गई 6 माह की अवधि 31 जनवरी, 2006 को समाप्त हो रही है। इस बात की पूर्ण आशंका हे कि यदि युद्धविराम समाप्त होने से पहले कोई ठोस और यथार्थपरक तालमेल नहीं बैठता, तो युद्ध विराम की अवधि न बढ़ाई जाए।

शांति प्रक्रिया की गति तब बेहतर हुई, जब देश के दो प्रधान मंत्रियों ने नगा इतिहास और हालात की विशिष्टता की घोषणा की और उसे मान्यता दी। तथापि, वक्तव्य से आगे कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यदि इतनी मुश्किल से साढे आठ वर्ष में हुआ युद्ध विराम समाप्त हो जाता है तो 59 वर्ष पुराने नगा राजनैतिक, आन्दोलन भयावह सूरत अस्तिमार करते हुए जारी रहेगी।

भारत सरकार को एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि पिछले समझौते इसलिए विफल हुए थे क्योंकि नगा क्षेत्रों को एक प्रशासन के अधीन नहीं लाया जा सका। भारतीय संविधान के संदर्भ में नगा क्षेत्रों का एकीकरण न तो अवैध है और न ही असंवैधानिक है।

अतः, मैं माननीय प्रधानमंत्री और अन्य संबंधित गणों से आग्रह करता हूं कि समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए ठोस कदम उठाए जायं।

अध्यक्ष महोदय : सभा आज अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात, लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अभी तक नटवर सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया है *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00½ बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा जी, क्या मैं अध्यक्षपीठ से एक वक्तव्य दे सकता हूं। यह वक्तव्य उस मामले से संबंधित नहीं है। यह मेरा सामान्य साप्ताहिक वक्तव्य है।

माननीय सदस्यगण। मैं किसी माननीय सदस्य का अधिकार नहीं छीनना चाहता। आपके पास आपके अधिकार बरकरार हैं। मैं उन अधिकारों को स्वीकार करता हूं। बस, बात यह है कि आप विनियमित ढंग से भाषण दें आपको सभा में बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन कभी-कभी अध्यक्ष को भी थोड़ा-बहुत बोलने का अधिकार है। यह एक अच्छी रिपोर्ट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपकी जानकारी के लिए मैं पिछले हफ्ते सभा द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य मदों को संक्षेप में बताना चाहता हूं।

स्वीकार किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 22 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका, शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तरों को 1025 अतारांकित प्रश्नों को उत्तर के साथ सभापटल पर रखा गया।

सभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा 28.11.2005 को रखे गए संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच समिति (वोलकर समिति) के प्रतिवेदन में उल्लिखित संयुक्त राष्ट्र के इराक में 'तेल के बदले अनाज' कार्यक्रम के गैर-संविदागत लाभार्थियों के रूप में कथित तौर पर संलिप्त भारतीय कंपनियों और नागरिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में केन्द्र सरकार की विफलता और इन गंभीर अपराधों की

लीपापोती के उसके प्रयासों संबंधी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव पर पांच घण्टे पचास मिनट तक चर्चा हुई और इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

सभा ने दो ध्यानाकर्षण मामलों पर भी विचार किया :- (एक) प्रो. महादेवराव शिवनकर द्वारा उठाया गया मामला "देश में एल.पी.जी. की कथित कमी से उत्पन्न स्थिति" और (दो) योगी आदित्य नाथ द्वारा उठाया गया मामला "देश में मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति।"

इस अवधि के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के 76 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 69 मामलों को भी उठाया गया।

जहां तक विधायी कार्यों का संबंध है, सभा ने पारित करने से पहले लगभग 35 मिनट तक पंजाब सामान्य संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू है। बिक्री कर जैसा कि निरसन विधेयक, 2005 पर विचार किया।

सभा ने विधेयक पारित करने से पहले 2 घंटा 56 मिनट तक राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण विधेयक, 2005 पर विचार किया।

इसके अलावा सभा ने लगभग एक घंटा और 21 मिनट तक राष्ट्र-गौरव अपमान निवारन (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2004 पर संयुक्त रूप से चर्चा की। चर्चा असमाप्त रही।

सभा में (एक) 29.10.2005 को दिल्ली में हुए कई बम विस्फोटो; (दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा; (तीन) 13.11.2005 को बिहार के जहनाबाद में हुए नक्सली हमले, और (चार) 11.11.2005 को झारखण्ड के होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीडीह में हुए नक्सली हमले के संबंध में 28 नवम्बर, 2005 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा के पटल पर रखे गए विवरण के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा भी हुई। यह चर्चा तीन घंटे तैतीस मिनट तक चली और असमाप्त रही।

इस अवधि के दौरान विभागों से संबंद्ध स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन, चार की गई कार्यवाही संबंधी प्रतवेदन और विधेयकों संबंधी दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

वोलकर समिति की रिपोर्ट में किए गए रहस्योद्‌घाटन से संबंधित मुद्दे के कारण हुए बलात् स्थगन के कारण सप्ताह के दौरान कुल घंटों में से 4 घंटे और 33 मिनट और 2.12.2005 को 4 घंटे और 22 मिनट काम नहीं हुआ। तथापि, कार्यसूची की आवश्यक मदों को निपटाने के लिए सभा दो घंटे और 36 मिनट देर तक बैठी।

मैं सहयोग के लिए आप सबका पुन: धन्यवाद करता हूं और कार्यवाही के सुचारू संचालन हेतु आपका सहयोग जारी रहने की उम्मीद करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, न तो नटवरसिंह जी ने इस्तीफा दिया, न तो सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया *(व्यवधान)* इन लोगों ने देश को विदेशियों के हाथों बेच डाला। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06 बजे

(इस समय श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अपराह्न 2.06½ बजे

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) विधेयक, 2004 — *जारी*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 और 20 पर एक साथ चर्चा करेंगे।

श्री अविनाश राय खन्ना - उपस्थित नहीं
चौधरी लाल सिंह - उपस्थित नहीं

माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी संसद सदस्यों का बिल का स्वागत करने तथा पक्ष में बोलने का आभारी हूं। इस सभा में श्री नवीन जिंदल द्वारा व्यक्त किए गए उनके विचारों से तथा इस बाबत की गयी उनकी कड़ी मेहनत तथा उनके प्रयास का, विशेष रूप से आभारी हूं।

मैं सभी का पुन: धन्यवाद करते हुए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक 2005 को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है :-

"कि राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :-

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है :-

"कि वृत्तिक और वानिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :-

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और आरंभ होना

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, ___ पंक्ति 4 ___

"2004" के (2)

स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री माणिकराव होडल्या गावित)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :-

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

'पचपनवें' के स्थान पर 'छपनवें' प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

(श्री माणिकराव होडल्या गावित)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अधिनियमन, सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 7 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 7 दिसम्बर, 2005/16 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकि प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्रीमती मेनका गांधी	182
2.	श्री बाडिगा रामकृष्णा डा. के.एस. मनोज	183
3.	श्री छतर सिंह दरबार	184
4.	श्री आलोक कुमार मेहता	185
5.	योगी आदित्यनाथ श्री हंसराज जी. अहीर	186
6.	श्री उदय सिंह श्री रामजीलाल सुमन	187
7.	श्री समिक लाहिरी	188
8.	श्री निखिल कुमार श्री असादूद्दीन ओवेसी	189
9.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्री हितेन बर्मन	190
10.	श्री प्रभुनाथ सिंह	191
11.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	192
12.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	193
13.	श्री महावीर भगोरा श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	194
14.	डा. के. धनराजू श्री सुनिल कुमार महतो	195
15.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	196
16.	डा. एम. जगन्नाथ	197
17.	श्री सनत कुमार मंडल	198
18.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा श्री मुन्शी राम	199
19.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	200
20.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	201

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1902
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1897
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	1930, 2037
4.	आदित्यनाथ, योगी	1991
5.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1944, 1947, 2009, 2039
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	1907, 1935
7.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	1932, 2002
8.	आठवले, श्री रामदास	1937, 2005, 2030, 2048
9.	"बाबा" श्री के.सी. सिंह	1909
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1967, 2027, 2046
11.	बर्मन, श्री हितेन	2062
12.	बखला, श्री जोवाकिम	1900, 1936, 1981
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1902
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	1919, 2003, 2029
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1911, 1977, 2007, 2020
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1949
17.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1884
18.	बोस, श्री सुब्रत	1936, 2064
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2062
20.	चालिहा, श्री किरिप	1961

1	2	3
21.	चटर्जी, श्री सांताश्री	1957, 2013
22.	चौरे, श्री बापू हरी	2002
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1892, 1927, 2004, 2009
24.	चावड़ा श्री हरिसिंह	1887
25.	चिन्ता मोहन, डा.	2059
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1942, 2008
27.	चौधरी, श्री पंकज	2067
28.	चौधरी, श्री अधीर	1992
29.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	1990, 2043
30.	धनराजू, डा. के.	1989
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1907, 1935, 1954
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1915, 1916, 1996, 2026, 2042
33.	गांधी, श्रीमती मेनका	1978, 2021, 2044, 2054
34.	गांधी, श्री प्रदीप	1955
35.	गणेशन, श्री एल.	1926, 2009
36.	गंगवार, श्री संतोष	1893, 1939, 1972
37.	हमज़ा, श्री टी.के.	1901
38.	हसन, श्री मुनव्वर	1960
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	1975, 2025, 2045
40.	इ[illegible], श्री रघुनाथ	2043
41.	जोगी, श्री अजीत	1910, 1988
42.	जोशी, श्री प्रहलाद	2035
43.	कनोडीया, श्री महेश	1952
44.	कस्वां, श्री राम सिंह	1966, 2009
45.	खैरे, श्री चन्द्रकांत	1888, 1917, 1926, 1994
46.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2035, 2057

1	2	3
47.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1887, 1895, 1970, 2038, 2053
48.	कोल, श्री लालचन्द्र	1928
49.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1882, 1968, 2018
50.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2042
51.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1928, 1933, 1934, 1940, 1948
52.	लाहिरी, श्री समिक	1995
53.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1984, 2024
54.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	1935, 1954
55.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1923, 1958, 2017
56.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1929, 2066
57.	महाजन, श्री वाई.जी.	2009
58.	महतो, श्री बीर सिंह	1931, 1987, 1989, 2001, 2054
59.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1920, 1987
60.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2067
61.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1923
62.	मंडल, श्री सनत कुमार	1962
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	1915, 1945, 1996, 2026, 2042
64.	मनोज, डा. के.एस.	1997
65.	मैक्लोड, श्री इन्ग्रिड	1969, 2019, 2042
66.	मेघवाल, श्री कैलाश	1882, 1911, 1913, 1938, 1947
67.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1989
68.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1924
69.	मिश्रा, डा. राजेश	1902, 1925
70.	मोहले, श्री पुन्नू लाल	1894
71.	मुकीम, मो.	1896, 1920, 2012, 2040

1	2	3
72.	मो. ताहिर, श्री	1936, 2063
73.	मोहिते श्री सुबोध	1885, 1964
74.	मुंशी राम, श्री	1934, 1948, 1995, 2065
75.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1917, 1998
76.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1881
77.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1926
78.	ओराम, श्री जुएल	1899, 1973, 2063
79.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1947, 1965, 2035
80.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2023
81.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1936, 1940, 1951, 2002
82.	पासवान, श्री वीरचंद्र	1921
83.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1938, 1950, 1994, 1996, 2006
84.	पाठक, श्री ब्रजेश	1903, 1979, 2033, 2050, 2058
85.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	1928
86.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2042
87.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1890, 1982
88.	पटले, श्री शिशुपाल	1934, 1995, 2024, 2065, 2067
89.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2001, 2054
90.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1939, 2042, 2063
91.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2060
92.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1971, 2022, 2043
93.	राणा, श्री काशीराम	1920
94.	राव, श्री के.एस.	1922
95.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1906, 1985, 2034, 2051, 2056
96.	राठौड़ श्री हरिभाऊ	1892, 1966

1	2	3
97.	रावत, श्री अशोक कुमार	1940, 1948, 2031, 2065, 2067
98.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1928, 1940, 2028
99.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1904, 1906, 1926, 1983, 2035
100.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1953
101.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1946, 2011
102.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2050
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1936, 1976, 2054
104.	साई प्रताप, श्री ए.	1941
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1898, 1980, 2036, 2052, 2068
106.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1908
107.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2061
108.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2059
109.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1976
110.	शाहिद मोहम्मद	1936, 1948, 2025, 2063
111.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1989
112.	शिवाजी राव, श्री अधलराव पाटील	2010, 2032, 2049, 2055
113.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1934, 1940, 1948, 1995, 2065
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1931, 1989
115.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1922
116.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2009
117.	सिंह, श्री गणेश	1959, 2015
118.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1915, 1945, 1996, 2026, 2042
119.	सिंह, श्री मानवेन्द्र	1923, 1986

1	2	3
120.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2014, 2043
121.	सिंह, श्री रेवती रमन	1905
122.	सिंह, श्री सुग्रीव	1938, 1950, 1994, 1996, 2006
123.	सिंह, श्री उदय	1992
124.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1993, 2063
125.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1952
126.	सुब्बा, श्री एम.के.	1883, 1918, 1961, 2009
127.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1889, 1963
128.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1943
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	1984, 2024, 2059
130.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1891, 2013

1	2	3
131.	थामस, श्री पी.सी.	1999
132.	तुम्मर, श्री वी.के.	1976
133.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1912, 2000, 2028, 2047, 2069
134.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1914
135.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1927, 2004, 2067
136.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2009
137.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1944, 1947, 2009, 2010
138.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1986
139.	यादव, श्री मित्रसेन	1940
140.	यादव, श्री राम कृपाल	1886, 1974
141.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1956, 2016, 2041

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	200
वाणिज्य और उद्योग	:	189, 190, 198
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह		184, 186
मानव संसाधन विकास		183, 187, 191, 192, 196, 199, 201
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग		182, 185, 188, 193, 195, 197
लघु उद्योग	:	
जनजातीय कार्य	:	194
शहरी रोजगार और गरीबी उपमशन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	1946, 1958, 1962
वाणिज्य और उद्योग	1889, 1893, 1902, 1903, 1906, 1908, 1910, 1912, 1924, 1926, 1928, 1930, 1936, 1941, 1944, 1948, 1949, 1951, 1968, 1971, 1973, 1984, 1985, 1992, 1999, 2000, 2003, 2010, 2011, 2012, 2031, 2034, 2048, 2050, 2058, 2059, 2060, 2062, 2068
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	1972
गृह	1881, 1883, 1887, 1892, 1894, 1895, 1904, 1905, 1909, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1925, 1927, 1937, 1939, 1940, 1945, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1969, 1987, 1989, 1990, 1994, 1996, 2005, 2007, 2009, 2014, 2019, 2023, 2025, 2028, 2029, 2038, 2039, 2040, 2043, 2047, 2049, 2054, 2058, 2061, 2064, 2065, 2066, 2067
मानव संसाधन विकास	1882, 1886, 1888, 1897, 1898, 1913, 1922, 1929, 1931, 1934, 1942, 1943, 1947, 1950, 1955, 1960, 1967, 1970, 1975, 1976, 1977, 1980, 1982, 2001, 2006, 2008, 2016, 2021, 2022, 2026, 2027, 2030, 2033, 2042, 2045
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	1884, 1890, 1891, 1896, 1900, 1901, 1907, 1911, 1914, 1923, 1935, 1966, 1974, 1979, 1981, 1986, 1991, 1993, 1995, 1998, 2004, 2013, 2015, 2020, 2024, 2032, 2035, 2036, 2037, 2041, 2053, 2055, 2056, 2057, 2069
लघु उद्योग	1965, 1988, 1997, 2044, 2052
जनजातीय कार्य	1899, 1938, 1978, 2017, 2046
शहरी विकास और गरीबीं उपमशन	1885, 1915, 1932, 1933, 1983, 2002, 2018, 2055

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/14/10/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।